उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

सितंबर, 2014

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
एम. मनोहरन **बनाम** टी. मुनुसामी और एक अन्य	418
थामसन और एक अन्य वाला मामला	343
धुनमुन यादव **बनाम** बिहार राज्य	371
बंसीलाल कुमावत **बनाम** राजस्थान राज्य	423
बन्टू और एक अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	299
मोहम्मद रजब अली और अन्य **बनाम** मुसम्मात मंजुला खातून	357
येंगपी इमलोंग चांग **बनाम** नागालैंड राज्य	349
योगेन्द्र सिंह भंडारी **बनाम** उत्तराखंड राज्य और एक अन्य	335
रमेश **बनाम** राजस्थान राज्य	429
लता **बनाम** तमिलनाडु राज्य और एक अन्य	414
संसद् के अधिनियम	
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	(1) – (23)

सितंबर, 2014

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, (1985 का 61) – धारा 42 और 43 – मादक पदार्थ की बरामदगी – यदि अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके कंधे पर लटके थैले से वैध अनुज्ञा पत्र या परमिट के बिना वाणिज्य मात्र से अधिक मादक पदार्थ अफीम की बरामदगी हो तो अभियुक्त की तलाशी उचित और वैध है और उसकी दोषसिद्धि न्यायसंगत और युक्तियुक्त है ।

रमेश बनाम **राजस्थान राज्य** 429

संसद् के अधिनियम

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) – (23)

पृष्ठ संख्या 299 – 452 **(2014) 2 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – सितंबर, 2014 (पृष्ठ संख्या 299 – 452)

संपादक-मंडल

डा. संजय सिंह,
सचिव, विधायी विभाग

श्रीमती शारदा जैन, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि,
सेवानिवृत्त अपर विधि सलाहकार,
विधि मंत्रालय

प्रो. डा. वैभव गोयल, विधि विभाग,
सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी,
गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

श्री जुगल किशोर,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 12

वार्षिक : ₹ 135

© 2014 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटोरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

पृष्ठ संख्या

घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

– धारा 2(द) और 20 – घरेलू हिंसा – धनीय अनुतोष – घरेलू हिंसा का अपराध साबित होने पर व्यथित पत्नी या महिला अपने पति या उस महिला के साथ घरेलू संबंध में रहने वाले या रह रहे किसी वयस्क पुरुष व्यक्ति से धनीय अनुतोष और प्रतिकर का दावा कर अनुतोष प्राप्त कर सकती है ।

मोहम्मद रजब अली और अन्य बनाम **मुसम्मात मंजुला खातून** 357

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 209 [सपठित अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 (1956 का 93) – धारा 3(1)(ख), प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 4) – धारा 63 और 68क और बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2006 (2006 का 4) – धारा 25] – मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी – अश्लील तस्वीरों वाली जाली सी.डी. को किराए पर देने और बेचने के आशय से दुकान में प्रदर्शित करना – अभियुक्त के कार्य से बालक के किसी अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ने या संव्यवहार में किसी बालक के अंतर्वलित न होने के कारण मामले की कार्यवाही बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन नहीं की जाएगी बल्कि विधि के अनुसार मजिस्ट्रेट न्यायालय मामले का निपटान करने के लिए सक्षम है ।

थामसन और एक अन्य वाला मामला 343

– धारा 482 – उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता – समन आदेश का अभिखंडन – जहां प्रथमदृष्ट्या

पृष्ठ संख्या

यह साबित होने पर कि अभियुक्त ने उच्च लोक सेवक को गाली दी थी और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी वहां अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन कार्यवाहियों को जारी रखते हुए समन आदेश को अभिखंडित नहीं किया जा सकता ।

योगेन्द्र सिंह भंडारी बनाम **उत्तराखंड राज्य और एक अन्य** 335

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 24] – हत्या – सह-अभियुक्त की संस्वीकृति – सह-अभियुक्त के इस आशय के अभिशंसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता कि अभियुक्त को अन्य सह-अभियुक्त के साथ रेलवे स्टेशन पर देखा गया था जहां सह-अभियुक्त ने व्यपहृत मृतक हेतु मुक्तिधन प्राप्त करने का विनिश्चय किया था ।

धुनमुन यादव बनाम **बिहार राज्य** 371

– धारा 364, 376(2), 302/34 और 201 – अपहरण, बलात्संग और हत्या – यदि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहता है कि अभियुक्तों ने मृतका का अपहरण करके उसके साथ बलात्संग किया और तत्पश्चात् उसकी हत्या कर दी तो अभियुक्तों को अभिकथित घटना या अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

बन्टू और एक अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 299

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (1971 का 70)

– धारा 19 – अपील की संधार्यता – विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष अवमान याचिका को प्रत्यर्थियों को

पृष्ठ संख्या

प्रोन्नति और स्थापन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने की स्वतंत्रता देकर बंद करने के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती क्योंकि अवमानकर्ता पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया गया है, इस प्रकार, दंड अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध ही अपील संधार्य होगी ।

एम. मनोहरन बनाम **टी. मुनुसामी और एक अन्य** 418

संविधान, 1950

– अनुच्छेद 226 [राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का 65) – धारा 13(3)] – निरोध – अधिनियम और नागालैंड सरकार की सरकारी कारबार नियम की अपेक्षा के अनुसार मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में मंत्री महोदय को ही निरोधादेश का अनुमोदन करने का प्राधिकार है, क्योंकि निरोधादेश का अनुमोदन मुख्य सचिव या संबद्ध मंत्री द्वारा नहीं किया गया अतः अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित निरोधादेश अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

येंगपी इमलोंग चांग बनाम **नागालैंड राज्य** 349

– अनुच्छेद 226 और 22(5) [सपठित तमिलनाडु मादक तस्कर, ओषधि अपराधी, वन अपराधी, गुंडा, अनैतिक व्यापार अपराधी, मलिन बस्ती कब्जाधारक और वीडियोचोर खतरनाक क्रियाकलाप अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 2(च), 3] – निवारक निरोध – बंदी प्रत्यक्षीकरण – अस्पष्टीकृत विलंब – निरुद्ध व्यक्ति को गुंडा मानते हुए निरुद्ध किया गया किंतु निरोध के विरुद्ध उसके अभ्यावेदन का निपटान करने में 10 दिन का विलंब किया गया अतः, निरोध अनुचित होने के कारण निरुद्ध व्यक्ति मुक्त होने का दायी है ।

लता बनाम **तमिलनाडु राज्य और एक अन्य** 414

पृष्ठ संख्या

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 24 – मुकरी हुई संस्वीकृति – यदि न्यायालय का यह समाधान होता है कि संस्वीकृति सत्य और स्वैच्छिक है तथा अभिलेख की अन्य सामग्रियों से संस्वीकृति की संपुष्टि होती है तो मुकरी हुई संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ।

धुनमुन यादव बनाम **बिहार राज्य** 371

– धारा 27 – प्रकटन बरामदगी – पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उतनी ही तथ्य या बात अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकेगी जितनी संस्वीकृति तथ्य या वस्तु की बरामदगी के बारे में है ।

धुनमुन यादव बनाम **बिहार राज्य** 371

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, (1985 का 61)

– धारा 18 और 29 – विनिषिद्ध माल की बरामदगी – जहां एक विशिष्ट अभियुक्त से पोस्ते का छिलका बरामद किया गया वहां विशिष्ट अभियुक्त और अन्वेषण अधिकारी के बीच अभिकथित मौखिक बातचीत के आधार पर और दूसरे अभियुक्त को उसके विरुद्ध किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में विनिषिद्ध माल की बरामदगी के अपराध से आरोपित नहीं किया जा सकता ।

बंसीलाल कुमावत बनाम **राजस्थान राज्य** 423

– धारा 42 और 43 – मादक पदार्थ की बरामदगी – यदि अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके कंधे पर लटके थैले से वैध अनुज्ञा पत्र या परमिट के बिना वाणिज्य मात्र से अधिक मादक पदार्थ अफीम की बरामदगी हो तो अभियुक्त की तलाशी उचित और वैध है और उसकी दोषसिद्धि न्यायसंगत और युक्तियुक्त है ।

रमेश बनाम **राजस्थान राज्य** 429

———

बन्टू और एक अन्य*

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 9 जुलाई, 2013

न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति बच्चू लाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 364, 376(2), 302/34 और 201 – अपहरण, बलात्संग और हत्या – यदि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहता है कि अभियुक्तों ने मृतका का अपहरण करके उसके साथ बलात्संग किया और तत्पश्चात् उसकी हत्या कर दी तो अभियुक्तों को अभिकथित घटना या अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा परवेन्द्र सिंह ने एक तहरीर राधाकृष्ण से लिखवाकर दिनांक 2 जुलाई, 2009 को शाम करीब 8.00 बजे सुबह थाना भोगांव, जिला मैनपुरी में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि वह मोहल्ला पथारिया, थाना भोगांव, जनपद मैनपुरी का मूल निवासी है । कल दिनांक 1 जुलाई, 2009 को शाम करीब 8.00 बजे उसके भाई विनोद कुमार की पुत्री कुमारी शिवा जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष है घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी तभी कुछ अज्ञात व्यक्ति जिनकी संख्या दो थी । उसकी भतीजी कुमारी शिवा को उठा ले गए काफी समय तक बच्ची घर पर नहीं आई तो हम लोगों ने देखभाल व पूछताछ की तो पता चला कि दो व्यक्ति बच्ची को उठाकर ले गए हैं वैसे ही उसने ढूंढना शुरू कर दिया तथा रात्रि भर तलाश करते रहे । आज दिनांक 2 जुलाई, 2009 को सुबह 6.00 बजे पता चला कि डिग्री कालेज के पीछे एक लड़की की लाश पड़ी है जब हम लोग वहां पहुंचे तो उसकी भतीजी शिवा बुरी तरह से घायल हालत में अस्त-व्यस्त पड़ी हुई थी । उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाए । वादी

---

* मूल निर्णय हिन्दी में है ।

मुकदमा परवेन्द्र सिंह के द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर थाना भोगांव पर दो अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध सं. 1014 वर्ष 2009 अंतर्गत धारा 364, 302, 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित किया गया । जिसमें उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का घटनाक्रम गलत है तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है । अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में कोई भी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया । विद्वान् अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), मैनपुरी ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए धारा 376(2)(एफ) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में छह-छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास तथा अपीलार्थीगण जीतू, राजेश एवं पंकज को धारा 364 के अंतर्गत दस-दस वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उन्हें छह-छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास के दंड से दंडित किया । अपीलार्थीगण जीतू, राजेश, पंकज, श्याम सिंह एवं बन्टू को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्यु दंड तथा प्रत्येक को पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उन्होंने छह-छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास के दंड से दंडित किया । अपीलार्थीगण जीतू, राजेश, पंकज, श्याम सिंह तथा बन्टू को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सात-सात वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उन्हें तीन-तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास के दंड से दंडित किया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण ने उक्त अपीलें योजित की हैं । उच्च न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस साक्षी ने जिरह में यह कहा है कि पथारिया से उसका गांव शिवपुरी 6-7 कि. मी. दूर होगा । विनोद उसके हिस्सेदार हैं तथा भाई लगते हैं । उसका विनोद की खेती में हिस्सा है । विनोद के यहां बचपन से वह आता-जाता है और विनोद उसके यहां आता-जाता है । विनोद के भाई परवेन्द्र चचेरे भाई हैं । यह भी कहा है कि वह दो भाई हैं उसके दूसरे भाई का नाम विनोद कुमार है । अरविन्द तथा मनोज उसके चचेरे भाई हैं ।

दिनांक 1 जुलाई, 2009 को विनोद के यहां वह किसी कार्य से नहीं आया था ऐसे ही आया था । बरसात के दिन थे विनोद के यहां 2-4 मिनट रुका था पानी पिया और चल दिया । विनोद की पत्नी को वह जानता है । विनोद की शादी को 23-24 साल हो गए होंगे । विनोद की पत्नी से उसकी बातचीत होती थी । विनोद घटना के समय घर पर नहीं था । वह गांव चला गया था उसे नहीं पता कि शिवा गायब थी अथवा नहीं । उसने विनोद की पत्नी को नहीं बताया कि शिवा को इन लड़कों के साथ जाते देखा है क्योंकि वह इन लड़कों को पहले से जानता था । इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि विनोद से उसकी बात उसी दिन शाम को हुई थी और उसी दिन बताया था लड़की को मुलजिमान के साथ मिलने वाली बात । इस सुझाव को गलत बताया कि मैं विनोद का (रिश्तेदार) सगा भाई होने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूं । यह भी बताया है कि वह घटनास्थल पर सुबह 9.00-9.30 बजे के बीच में पहुंच गया था । उस समय घटनास्थल पर शिवा की लाश मौजूद थी । पुलिस वाले उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे । पुलिस वाले लिखा-पढ़ी कर रहे थे और लिखा-पढ़ी पूर्ण हो चुकी थी । घटनास्थल पर उसके अलावा शिवा की मां व परिवार के अन्य लोग पहुंच गए थे । घटनास्थल पर काफी भीड़ थी वह नहीं बता सकता कि अरविन्द को उसे वहां देखा था या नहीं । दिनांक 2 जुलाई, 2009 को उसने शिवा की मम्मी को यह बताया था कि जीतू, राजेश, पंकज शिवा को जूस पिलाने ले जा रहे थे । यह बात उसने अपने परिवार के लोगों के सामने बताई थी । परवेन्द्र उसके सगे चाचा के लड़के हैं । उसे ध्यान नहीं कि यह बात बताते समय परवेन्द्र वहां थे या नहीं । उसने सुबह 10.00 बजे यह बात बताई थी । उसने यह बात विनोद के मकान पर जाकर बताई थी । पुलिस वाले उस समय नहीं थे जब वह आया था तब उसने बताई थी । उसने यह बात पुलिस को क्यों नहीं बताई वह इसकी वजह नहीं बता सकता । शिवा का पोस्टमार्टम हुआ था दरोगाजी ने घर पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे । इस सुझाव को गलत बताया कि वह शिवा की मम्मी के साथ रात भर शिवा की तलाश करता रहा । इस सुझाव को भी गलत बताया कि वह शिवा को जूस पिलाने के लिए जाते न देखा हो । उसने पोस्टमार्टम गृह पर भी पुलिस वालों को यह बात नहीं बताई थी । इस साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि वह अपने गांव शिवपुरी से भोगांव रात लगभग 8.00 बजे आया था । शिवा को बाजार जाते हुए पंकज, राजेश, जीतू के साथ देखा था और किसी को साथ जाते नहीं देखा था । इनके साथ श्याम सिंह को नहीं देखा था । यह बताया है कि शिवा उसकी सगी भतीजी थी ।

उसने शिवा से पूछा था कि कहां जा रही हो तो लड़कों ने कहा कि जूस पिलाने ले जा रहे हैं । इन लड़कों के साथ उसने शिवा को आते-जाते देखा है । जब वह विनोद के घर पहुंचा तो वहां शिवा की मां मौजूद थी । परवेन्द्र उस समय नहीं थे । उसने उस समय शिवा की मां को यह बात नहीं बताई कि उसने शिवा को इन लड़कों के साथ जाते देखा है । शिवा की मां ने गांव में खबर की थी कि शिवा नहीं मिल रही है जब उसे यह खबर मिली कि शिवा नहीं मिल रही तो इस खबर पर वह और गांव के लोग आए थे । फिर कहा कि मैं व अरविन्द व गांव के लोग आए थे । उसका पंकज के घर कोई आना-जाना नहीं था । राधा किशन उसके चाचा लगते हैं वह भी आ गए थे । हम लोगों ने शिवा को तलाश किया था शिवा नहीं मिली । वह मुलजिमान के घर भी शिवा को तलाश करने गया था परंतु शिवा व मुलजिमान घर नहीं मिले । मनोज उस समय नहीं आ पाए थे । पंकज और राजेश के घर वाले मिले थे पंकज जाटव जाति का है । विनोद ट्रक ड्राइवर है । फिर कहा कि वह ड्राइवर नहीं था । इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि पुलिस ने उसका बयान 12-13 दिन बाद लगभग लिया था । इस तरह इस साक्षी ने दिनांक 1 जुलाई, 2009 को समय लगभग 8.00 बजे शाम मृतका शिवा को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश तथा पंकज के साथ देखने का उल्लेख किया है तथा यह भी कहा है कि उसने इन लोगों से पूछा कि तुम शिवा को कहां ले जा रहे हो तो इन लोगों ने कहा कि वे लोग शिवा को जूस पिलाने ले जा रहे हैं । न्यायालय के विचार से इस साक्षी का उक्त कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर सुबह 9.00-9.30 बजे के बीच में पहुंच गया था । उस समय घटनास्थल पर शिवा की लाश मौजूद थी । पुलिस वाले उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे । पुलिस वाले लिखा-पढ़ी कर रहे थे । घटनास्थल पर उसके अलावा शिवा की मां व परिवार के अन्य लोग पहुंच गए थे । हमारे विचार से यदि इस साक्षी ने मृतका शिवा को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश एवं पंकज के साथ घटना के पूर्व दिनांक 1 जुलाई, 2009 को शाम के लगभग 8.00 बजे देखा था तो यह साक्षी उक्त तथ्य का उल्लेख पुलिस के समक्ष भी कर सकता था क्योंकि इस साक्षी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पर पुलिस मौजूद थी लेकिन इस साक्षी द्वारा इस तरह का कोई उल्लेख पुलिस अथवा विवेचनाधिकारी के समक्ष नहीं किया गया । इस साक्षी ने अपने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर उसके

अलावा शिवा की मां व परिवार के अन्य लोग पहुंच गए थे । न्यायालय के विचार से यह साक्षी मृतका की मां और परिवार के लोगों को भी उक्त तथ्य से अवगत कर सकता था लेकिन इस साक्षी द्वारा इस तरह का कोई उल्लेख मृतका की मां व परिवार के लोगों के समक्ष भी नहीं किया गया जब इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी तथा मृतका की लाश मिल गई थी और इस साक्षी ने अंतिम बार मृतका को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश व पंकज के साथ देखा था तो निश्चित रूप से यह साक्षी पुलिस व मृतका की मां एवं परिवार वालों के समक्ष बता सकता था लेकिन इस तरह की कोई सूचना पुलिस व मृतका की मां एवं परिवार वालों को न देना स्वयं इस साक्षी के कथन को संदिग्ध बना देता है । इस साक्षी ने आगे अपनी प्रतिपृच्छा में यह भी बताया है कि दिनांक 1 जुलाई, 2009 को वह अपने मित्र विनय के यहां था । वह वहां पर 11.00 बजे तक रुका था और 11.30 बजे घर आ गया था । वह भोगांव की लहसन मंडी के गेट पर करीब 11.30 बजे उतरा था । वहां मुलजिमान बन्टू, जीतू, राजेश, पंकज व श्याम मिले थे । इस सुझाव को गलत बताया है कि वहां पर उसे कोई न मिला हो । इस तरह इस साक्षी ने अपने बयान में दिनांक 1 जुलाई, 2009 को बेवर बाजार अपने दोस्त विनय के घर जाने का उल्लेख किया है और यह बताया है कि जब वह रात को 11.30 बजे लौटकर आया तो उसे भोगांव के मंडी के गेट पर मुलजिमान बन्टू, जीतू, राजेश, श्याम और पंकज मिले थे । ये पांचों लोग तलैया की तरफ से आ रहे थे । जीतू के कंधे पर बोरा था उसने इनसे पूछा था कि इतनी रात गए कहां से आ रहे हो तब इन लोगों ने बताया कि हम आढ़त की दुकान पर काम करने जा रहे हैं । इस तरह इस साक्षी ने रात को 11.30 बजे अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के मंडी के गेट के पास देखने का उल्लेख किया है और यह बताया है कि अपीलार्थी जीतू के कंधे पर बोरा था । इस साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत न्यायालय के विचार से इस साक्षी का कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और इस साक्षी के साक्ष्य से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है क्योंकि इस साक्षी ने मात्र मुलजिमान को मंडी के गेट के पास देखने का उल्लेख किया है और जीतू के कंधे पर बोरा होने का उल्लेख किया है लेकिन इस तरह का कोई कथन नहीं किया है कि उक्त बोरे में क्या था । मात्र अपीलार्थी जीतू के कंधे पर बोरा होने के आधार पर यह उपधारणा कायम नहीं की जा सकती है कि अपीलार्थीगण मृतका के शव को बोरे में बंद करके ले जा रहे थे

क्योंकि इस तरह का कोई कथन इस साक्षी द्वारा नहीं किया गया है कि बोरे में क्या था । ऐसी दशा में इस साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को कथित घटना व अपराध को जोड़ना उचित प्रतीत नहीं होता है । अभियोजन साक्षी सं. 7 राज कुमार शर्मा (इंस्पेक्टर) इस मुकदमे के विवेचनाधिकारी हैं । उसने अपने बयान में यह बताया है कि उन्होंने दिनांक 4 जुलाई, 2009 को अभियुक्तगण जीतू, राजेश, पंकज, श्याम सिंह तथा बन्टू को प्रतापपुरा चौराहे के पास समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया था । अभियुक्त जीतू, राजेश तथा बन्टू के कब्जे से गिरफ्तारी के समय नाजायज असलहे भी बरामद किए गए थे । खोखा व कारतूस भी दाखिल किए गए । अभियुक्तगण के कथन अंकित किए गए । उनके निशानदेही पर जिस स्थान पर शिवा के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी उस स्थान का नक्शा तैयार किया था । न्यायालय के विचार से, इस साक्षी को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा बलात्कार करने वाले स्थान पर लिवा ले जाना व दिखाना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । क्योंकि इस साक्षी द्वारा उक्त बलात्कार करने वाले स्थान का नक्शा बनाया गया है जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि नक्शा ए. स्थान पर मृतका शिवा के साथ बलात्कार करना दर्शाया गया है । उक्त ए. स्थान के आस-पास खेत तथा तलैया दर्शाई गई है । न्यायालय के विचार से यदि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने ए. स्थान पर मृतका के साथ बलात्कार किया होता और उसकी हत्या कर दी होती तो वे ऐसे सुनसान जगह से मृतका के शव को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर नहीं फेंकते । इस तरह मृतका के शव को उठाकर किसी दूसरे जगह पर ले जाकर फेंकने की बात स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है । नक्शा ए. स्थान के आस-पास खेत एवं तलैया दर्शाया गया है । ऐसे सुनसान स्थान पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मृतका के शव को छोड़कर भाग सकते थे और दूसरों के द्वारा देखे जाने के डर से मृतका के शव को उठाकर दूसरी जगह पर फेंकने के लिए न ले जाते । ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा इस साक्षी को मृतका के साथ बलात्कार करने वाले स्थान पर लिवा ले जाना व दिखाने की कहानी स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है और ऐसी दशा में इस साक्षी का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । फिर अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण को एक पुलिस मुठभेड़ की घटना में गिरफ्तार करना बताया गया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा अपने बयान के अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में उक्त मुकदमे में छूट जाने का

उल्लेख किया गया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से इस घटना से संबंधित कोई वस्तु बरामद होना नहीं बताया जाता है और न ही उनके निशानदेही पर इस घटना से संबंधित कोई बरामदगी ही बताई गई है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित घटना या अपराध में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है ।अभियोजन रानी ने अपने बयान में यह कहा है कि घटना से 10-15 दिन पहले उसका झगड़ा पड़ोस में रहने वाले बन्टू से हुआ था । उसने गाली गलोज भी किया था तथा देख लेने की धमकी भी दी थी । उसके पड़ोस में रहने वाले श्याम सिंह जो बैंड में नाचने गाने का काम करता है इसीलिए वह अपने बच्चों को उससे बोलने चालने नहीं देती थी इसीलिए श्याम सिंह उससे रंजिश मानने लगा था । इसी आधार पर इस साक्षी ने यह कहा है कि इन्हीं लोगों ने उसकी पुत्री को पकड़ कर उसकी हत्या कर दी होगी जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बन्टू एवं श्याम सिंह का इस साक्षी से कोई झगड़ा होना या रंजिश होना संदेह से परे सिद्ध नहीं है तथा झगड़ा या विवाद के संबंध में कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बन्टू एवं श्याम सिंह से कोई विवाद होना या रंजिश होने का उल्लेख नहीं है । यहां तक कि उपरोक्त अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई शक व संदेह भी जाहिर नहीं किया गया है । उपरोक्त दोनों अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है । अभियोजन साक्षी कुंवर बहादुर ने घटना के पूर्व दिनांक 1 जुलाई, 2009 को समय करीब 8.00 बजे शिवा को अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण जीतू, राजेश तथा पंकज के साथ बाजार की तरफ जाते हुए देखने का उल्लेख किया है जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि इस साक्षी के साक्ष्य से भी मृतका को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश तथा पंकज के साथ देखा जाना सिद्ध नहीं है । अभियोजन साक्षी मनोज कुमार ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 1 जुलाई, 2009 को रात 11.30 बजे उसने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बन्टू, जीतू, राजेश, श्याम सिंह और पंकज को भोगांव के मंडी के गेट के पास देखा था । ये पांचों लोग तलैया की तरफ से आ रहे थे और जीतू के कंधे पर बोरा था जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि इस साक्षी के साक्ष्य से भी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है । इस तरह का कोई कथन इस साक्षी के साक्ष्य से नहीं पाया जाता है कि बोरे में क्या था । उपरोक्त अभियोजन साक्षी कुंवर बहादुर एवं अभियोजन

साक्षी सं. 4 मनोज कुमार के बयान विवेचनाधिकारी द्वारा घटना के करीब 14-15 दिन बाद दिनांक 15 जुलाई, 2009 को अंकित किया गया है । उपरोक्त तथ्य के अभियोजन साक्षी सं. 1 परवेन्द्र सिंह, अभियोजन साक्षी सं. 2 रानी, अभियोजन साक्षी सं. 3 कुंवर बहादुर तथा अभियोजन साक्षी सं. 4 मनोज कुमार की साक्ष्य से शृंखलाबद्ध तरीके से यह सिद्ध नहीं है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने मृतका शिव का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी हो । अन्य साक्षी औपचारिक प्रकृति के हैं । उनके साक्ष्य में भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जिससे कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को कथित घटना या अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके । (पैरा 26, 29, 32, 40, 41 और 42)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2005] ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1394 :
अंजलस डुंगडंग बनाम **झारखंड राज्य** ; 36

[2003] (2003) 12 एस. सी. सी. 169 :
सेठ पाल बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ; 33

[1984] ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 :
शरद बिरधीचन्द शारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 35

[1977] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1063 :
हुकुम सिंह बनाम **राजस्थान राज्य** ; 37

[1952] ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 :
हनुमंत गोविन्द नारगुन्डर और एक अन्य
बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** । 38

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की कैपिटल दांडिक अपील सं. 193 और 274 तथा मृत्यु दंड की पुष्टि हेतु संदर्भ सं. 1/2012.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री अजय विक्रम यादव

प्रत्यर्थियों की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बच्चू लाल ने दिया ।

न्या. लाल – अपीलार्थीगण बन्टू तथा श्याम सिंह ने अपील सं. 193 वर्ष 2012 तथा अपीलार्थीगण जीतू, राजेश, पंकज, श्याम सिंह व बन्टू ने जेल अपील सं. 274 वर्ष 2012 श्री संजीव फौजदार, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मैनपुरी द्वारा सत्र परीक्षण सं. 357 वर्ष 2009 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 5 जनवरी, 2012 के विरुद्ध योजित की है । जिसके द्वारा उन्हें धारा 376(2)(एफ) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न करने की स्थित में वे छह-छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड भुगतेंगे । अपीलार्थीगण जीतू, राजेश एवं पंकज को धारा 364 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दस-दस वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में वे छह-छह मास का अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड भुगतेंगे । अपीलार्थी जीतू, राजेश, पंकज, श्याम सिंह एवं बन्टू को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्यु दंड तथा पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में वे छह-छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड भुगतेंगे । अपीलार्थीगण जीतू, राजेश, पंकज, श्याम सिंह तथा बन्टू को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सात-सात वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में वे तीन-तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड भुगतेंगे ।

2. अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मैनपुरी द्वारा मृत्यु दंड के पुष्टि हेतु संदर्भ सं. 1 वर्ष 2012 प्रेषित किया गया है ।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा परवेन्द्र सिंह ने एक तहरीर राधा कृष्ण से लिखवाकर दिनांक 2 जुलाई, 2009 को शाम करीब 8.00 बजे सुबह थाना भोगांव, जिला मैनपुरी में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि वह मोहल्ला पथारिया, थाना भोगांव, जनपद मैनपुरी का मूल निवासी है । कल दिनांक 1 जुलाई, 2009 को शाम करीब 8.00 बजे उसके भाई विनोद कुमार की पुत्री कुमारी शिवा जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष है घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी तभी कुछ अज्ञात व्यक्ति जिनकी संख्या दो थी । उसकी भतीजी कुमारी शिवा को उठा ले गए काफी समय तक बच्ची घर पर नहीं आई तो हम लोगों ने देखभाल व पूछताछ की तो पता चला कि दो व्यक्ति बच्ची को

उठाकर ले गए हैं वैसे ही उसने ढूंढना शुरू कर दिया तथा रात्रि भर तलाश करते रहे । आज दिनांक 2 जुलाई, 2009 को सुबह 6.00 बजे पता चला कि डिग्री कालेज के पीछे एक लड़की की लाश पड़ी है जब हम लोग वहां पहुंचे तो उसकी भतीजी शिवा बुरी तरह से घायल हालत में अस्त-व्यस्त पड़ी हुई थी । उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाए ।

4. वादी मुकदमा परवेन्द्र सिंह के द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना भोगांव पर दो अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध सं. 1014 वर्ष 2009 अंतर्गत धारा 364, 302, 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया ।

5. मामले की विवेचना थानाध्यक्ष श्री राज कुमार शर्मा द्वारा स्वयं ग्रहण की गई । उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक आरक्षी प्रेम प्रकाश तथा वादी परवेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया तथा घटनास्थल पर जाकर अपने हमराही उप-निरीक्षक श्री वशिष्ठ यादव, अभियोजन साक्षी सं. 6 द्वारा मृतका का पंचायतनामा सम्पन्न कराया जो प्रदर्श क-3 है तथा उससे संबंधित संलग्नक प्रपत्र चालान नाश प्रदर्श क-4, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदर्श क-5, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क-6, फोटो नाश प्रदर्श क-7 तैयार किया । मौके से खून आलूदा व सादी मिट्टी पुलिस कब्जे में लेकर सर्व मोहर करके उसकी फर्द प्रदर्श क-8 तथा मृतका कुमारी शिवा के शव के पास पड़ी उसकी एक जोड़ी चप्पल पुलिस कब्जे में लेकर उसकी फर्द प्रदर्श क-9 तथा घटनास्थल से एक रक्त-रंजित ईंट का टुकड़ा पुलिस कब्जे में लेकर उसकी फर्द प्रदर्श क-10 तथा एक पुरानी फटी पैंट (क्रीम कलर) को पुलिस कब्जा में लेकर सर्व मोहर करके उसकी फर्द प्रदर्श क-11 तैयार किया तथा मृतका के शव को सर्व मोहर करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया ।

6. अभियोजन साक्षी सं. 5 डाक्टर आर. डी. यादव एवं डाक्टर यू. सी. चतुर्वेदी द्वारा संयुक्त रूप से मृतका कुमारी शिवा के शव का शव विच्छेदन दिनांक 2 जुलाई, 2009 को समय करीब 2.50 बजे अपराह्न पर किया गया । कुमारी शिवा की आयु लगभग 8 वर्ष थी । मृत्यु के पश्चात् का संभाव्य समय 3/4 दिन था । मृतका औसत कद काठी की थी । मृत्यु के पश्चात् की अकड़न शरीर के ऊपरी भाग से निकल चुकी थी परंतु निचले हिस्से (अर्थात् पैरों) में मौजूद थी । मृतका के शरीर पर धूल से भरी हुई युकेलिप्टस की पत्तियां और भीतर के बालों में घास चिपकी हुई थी । सड़न मौजूद नहीं थी । मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित चोटें

पाई गईं :–

"1. कटा हुआ घाव जिसकी नाप 2 से. मी. x 0.8 से. मी. x हड्डी तक गहरा था जो कि चेहरे की बाईं तरफ वाली आंख के बाहरी केन्थस से 2 से. मी. नीचे थी ।

2. फटा हुआ घाव जिसकी नाप 4.5 से. मी. x 1 से. मी. जोकि नाक की रिज के साथ-साथ माथे के बीच लगे हुए भाग तक फैली थी । नाक की हड्डियां टूटी हुई थीं ।

3. खुरसट के साथ नीलगू निशान जिसकी नाप 5 से. मी. x 3 से. मी. जो कि ठीक दाहिने गाल पर मुख के दाहिने कोने पर ठीक बगल में मौजूद थी ।

4. खुरसट के साथ नीलगू निशान जो कि पूरे ऊपरी ओंठ की दोनों सतहों पर मौजूद था ।

5. खुरसट के साथ नीलगू निशान जो कि निचले पूरे ओंठ की दोनों सतहों पर मौजूद था ।

6. नीलगू निशान जिसकी नाप 3.5 से. मी. x 2.5 से. मी. थी जो कि चिन के दाहिने हिस्से में मौजूद थी ।

7. खुरसट के साथ नीलगू निशान जिसकी नाप 7 से. मी. x 2 से. मी. था जो कि दाहिने कान और उससे लगे हुए दाहिने टैम्पोरल क्षेत्र तक फैली हुई थी ।

ए. गर्दन को खोलकर देखने पर नीलगू निशान जिसकी नाप 5 से. मी. x 2 से. मी. थी जो कि गर्दन की मांस पेशियों (स्टर्नो मेटटाइड) मांसपेशी पर मौजूद थी ।

बी. नीलगू निशान जिसकी नाप 3 से. मी. x 1 से. मी. थी जो कि सांस नली की पिछली सतह पर मौजूद थी । मृतका की दोनों आंखें आधी खुली थीं । दोनों आंखें कंजेस्टेड थीं । मृतका के नाखून साइनोज थे । मल पदार्थ बाहर निकला हुआ था । मृतका के नथुनों से बदला हुआ खून (Altered Blood) निकल रहा था ।

योनि मार्ग की दशा – योनि द्वार के चारों ओर नीलगू निशान मौजूद था । मस्तिष्क और मस्तिष्क की झिल्लियां

कंजेस्टेड थी । दोनों प्लूरा कंजेस्टेड थे । लेरिंग्स और सांस नली कंजेस्टेड थे । हायोड बोन और सांस की नली के छल्ले टूटे नहीं थे । दोनों फेफड़े कंजेस्टेड थे । हृदय का दाहिना कक्ष भरा था । बायां खाली था । दांतों की सं. 14/14 थी । आमाशय में 200 ग्राम अधपचा पेस्ट जैसा खाद्य पदार्थ मौजूद था । छोटी आंत पचे हुए भोजन और गैसों से आधी भरी थी । बड़ी आंत मल पदार्थ और गैसों से आधी भरी थी यकृत कंजेस्टेड था । पित्ताशय आधा भरा हुआ था । प्लीहा कंजेस्टेड था । दोनों गुर्दे कंजेस्टेड थे । मूत्राशय खाली था । गर्भाशय में कोई भ्रूण मौजूद नहीं था ।"

डाक्टर के अनुसार, मृतका की मृत्यु हायोड बोन से सांस लेने के छिद्रों (मुख और नथुनों) Smothering के कारण दम घुटने से हुई थी । डाक्टर ने मृतका की योनि से दो स्लाइडें तैयार कर (वेजाइनल स्मियर) तैयार करके पैथोलोजिस्ट, जिला अस्पताल मैनपुरी को शुक्राणुओं की मौजूदगी के परीक्षण हेतु भेजा । मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-2 है ।

7. विवेचनाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी प्रदर्श क-12 तैयार किया । गवाहान के बयान अंकित करके दिनांक 4 जुलाई, 2009 को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश, पंकज, श्याम सिंह तथा बन्टू को प्रतापपुरा चौराहे के पास समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बयान अंकित किया तथा उनकी निशानदेही पर जिस स्थान पर कुमारी शिवा के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी उस स्थान का नक्शा नजरी प्रदर्श क-13 तैयार किया । तत्पश्चात् गवाहान का बयान अंकित करके एवं विवेचना संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण करके अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-14 भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 302, 201 एवं 376 के अंतर्गत न्यायालय में प्रेषित किया ।

8. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का मुकदमा दिनांक 30 अक्तूबर, 2009 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मैनपुरी के द्वारा सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया ।

9. अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 364, 376, 302 सपठित धारा 34 एवं 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इनकार किया गया तथा परीक्षण की मांग की गई ।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में अभियोजन

साक्षी सं. 1 परवेन्द्र सिंह (वादी मुकदमा), अभियोजन साक्षी सं. 2 (मृतका की मां), अभियोजन साक्षी सं. 3 कुंवर बहादुर, अभियोजन साक्षी सं. 4 मनोज कुमार, अभियोजन साक्षी सं. 5 डा. आर. डी. यादव, अभियोजन साक्षी सं. 6 श्री वशिष्ठ यादव (उप-निरीक्षक), अभियोजन साक्षी सं. 7 राज कुमार शर्मा थानाध्यक्ष/विवेचनाधिकारी को परीक्षित कराया गया है ।

11. अभियोजन साक्षी सं. 1 परवेन्द्र सिंह, अभियोजन साक्षी सं. 2 रानी, अभियोजन साक्षी सं. 3 कुंवर बहादुर तथा अभियोजन साक्षी सं 4 मनोज कुमार तथ्य के साक्षी हैं । अभियोजन साक्षी सं. 5 डा. आर. डी. यादव द्वारा मृतका के शव का शव विच्छेदन किया गया है । इस साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-2 अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताया है तथा यह भी कहा कि शव विच्छेदन दो डाक्टरों की टीम द्वारा किया गया था । द्वितीय चिकित्साधिकारी के रूप में डा. यू. सी. चतुर्वेदी आपातकालीन चिकित्साधिकारी जिला चिकित्सालय मैनपुरी आए थे और यह शव विच्छेदन उनकी मौजूदगी में किया गया था । डा. यू. सी. चतुर्वेदी शव विच्छेदन में मिली फांइडिंग तथा उसकी राय से सहमत थे । उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किए थे । इस साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि दिनांक 3 जुलाई, 2009 को मृतका के विजाइनल स्मियर से संबंधित परीक्षण रिपोर्ट तैयार की थी । विजाइनल स्मियर इपीथीलियल सैल्स से भरी हुई थी और बहुत अधिक संख्या में लाल रुधिर कणिकाएं मौजूद थीं । विजाइनल स्मियर में शुक्राणु मौजूद थे । इस साक्षी ने विजाइनल स्मियर से संबंधित रिपोर्ट प्रदर्श क-3 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है ।

12. अभियोजन साक्षी सं. 6 वशिष्ठ यादव, उप-निरीक्षक ने विवेचनाधिकारी के निर्देशन में मृतका का पंचायतनामा तैयार किया था । इस साक्षी ने बताया है कि दिनांक 2 जुलाई, 2009 को वह थाना भोगांव में उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत था । उस दिन उसने कुमारी शिवा पुत्री विनोद कुमार निवासी मोहल्ला तमोलियान पथारिया कस्बा व थाना भोगांव का पंचायतनामा भरा था । सुबह साढ़े आठ बजे शुरू किया था जिसे सवा दस बजे समाप्त किया था । मृतका का पंचायतनामा प्रदर्श क-3 है तथा उससे संबंधित प्रपत्र चालान नाश प्रदर्श क-4, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदर्श क-5, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क-6, फोटो नाश प्रदर्श क-7 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है । मौके से खून आलूदा व सादी मिट्टी पुलिस कब्जा में लेने के

बारे में फर्द प्रदर्श क-8 तथा मृतका कुमारी शिवा की एक जोड़ी चप्पल पुलिस कब्जा में लेने की फर्द प्रदर्श क-9 एवं घटनास्थल से एक अदद रक्त-रंजित ईंट का टुकड़ा पुलिस कब्जा में लेने की फर्द प्रदर्श क-10 व घटनास्थल से ही एक पुरानी गंदी पैंट (क्रीम कलर) को कब्जा पुलिस में लेने की फर्द प्रदर्श क-11 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है ।

13. अभियोजन साक्षी सं. 7 राज कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर द्वारा मामले की विवेचना की गई थी । उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी प्रदर्श क-12 तैयार किया था । इस साक्षी ने घटनास्थल का नक्शा नजरी अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है । यह भी बताया कि दिनांक 4 जुलाई, 2009 को अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण जीतू, राजेश, पंकज, श्याम सिंह तथा बन्टू को प्रतापपुरा चौराहे के पास समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण जीतू, राजेश तथा बन्टू के पास से नाजायज असलहा भी बरामद किए गए । अभियुक्त का बयान अंकित किया गया तथा उनकी निशानदेही पर जिस स्थान पर कुमारी शिवा के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी । उस स्थान (घटनास्थल) का नक्शा नजरी प्रदर्श क-13 तैयार किया जिसे अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है । इस साक्षी द्वारा विवेचना संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण करके अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । इस साक्षी ने आरोप पत्र प्रदर्श क-14 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है ।

14. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित किया गया । जिसमें उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का घटनाक्रम गलत है तथा उन्हें झूंठा फंसाया गया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में कोई भी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया ।

15. विद्वान् अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), मैनपुरी ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए धारा 376(2)(एफ) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में छह-छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास तथा

अपीलार्थीगण जीतू, राजेश एवं पंकज को धारा 364 के अंतर्गत दस-दस वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उन्हें छह-छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास के दंड से दंडित किया । अपीलार्थीगण जीतू, राजेश, पंकज, श्याम सिंह एवं बन्टू को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्यु दंड तथा प्रत्येक को पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उन्होंने छह-छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास के दंड से दंडित किया । अपीलार्थीगण जीतू, राजेश, पंकज, श्याम सिंह तथा बन्टू को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सात-सात वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया । अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उन्हें तीन-तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास के दंड से दंडित किया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने उक्त अपीलें योजित की हैं ।

16. हमने अपीलार्थीगण राजेश एवं पंकज की ओर से नियुक्त न्याय मित्र विद्वान् अधिवक्ता श्री अजय कुमार तथा अपीलार्थीगण बन्टू एवं श्याम सिंह की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री अजय विक्रम यादव तथा अपीलार्थी जीतू की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार दुबे एवं विपक्षी की ओर से विद्वान् शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह तथा उनके सहायक के रूप में श्री आनन्द तिवारी एवं कुमारी मीना विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना ।

17. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो व्यक्ति का नाम व पता अज्ञात के विरुद्ध थाने पर दर्ज कराई गई थी । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण में महज झूंठा फंसाया गया है । उनके कब्जे से अथवा उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है । प्रस्तुत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है लेकिन शृंखलाबद्ध तरीके से यह सिद्ध नहीं है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कारित की गई हो ।

18. अभियोजन साक्षी सं. 1 परवेन्द्र सिंह, अभियोजन साक्षी सं. 2 रानी, अभियोजन साक्षी सं. 3 कुंवर बहादुर तथा अभियोजन साक्षी सं. 4 मनोज कुमार (जो तथ्य के साक्षी) बताए जाते हैं वे आपस में सगे संबंधी एवं एक ही परिवार के सदस्य हैं । घटना के संबंध में कोई निष्पक्ष एवं स्वतंत्र साक्षी

को परीक्षित नहीं कराया गया । उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन नहीं किया गया और गलत ढंग से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की दोषसिद्धि निर्धारित करते हुए उन्हें प्रश्नगत दंडादेश से दंडित किया गया है जो विधि-संगत नहीं है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को एक पुलिस मुठभेड़ की घटना में गिरफ्तार करने की बात कही जाती है लेकिन वे उक्त प्रकरण में दोषमुक्त हो चुके हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश विधिसंगत न होने के कारण निरस्त होने योग्य है तथा अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने योग्य है ।

19. विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को कथित अपराध के लिए दोषी पाते हुए दंडादेश का आदेश पारित किया गया है जो न्याय की दृष्टिकोण से उचित एवं संगत है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अपीलें खंडित होने योग्य हैं ।

20. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के साक्षी के रूप में अभियोजन साक्षी सं. 1 परवेन्द्र सिंह, अभियोजन साक्षी सं. 2 रानी, अभियोजन साक्षी सं. 3 कुंवर बहादुर तथा अभियोजन साक्षी सं. 4 मनोज कुमार को परीक्षित कराया गया है ।

21. अभियोजन साक्षी सं. 1 परवेन्द्र सिंह ने अपने बयान में यह कहा है कि मृतका शिवा उसकी भतीजी थी । इसका अपहरण दिनांक 1 जुलाई, 2009 को लगभग 8.00 बजे शाम को जब उसकी भतीजी घर के बाहर खेल रही थी, तभी कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था । रात्रि में काफी देर तक जब उसकी भतीजी घर नहीं आई तब हम लोगों ने अपनी भतीजी की तलाश की तथा पूछताछ की । तब पता चला कि कोई दो व्यक्ति उसकी भतीजी को उठा ले गए हैं । तब हम लोगों ने पुनः तलाशना शुरू किया और पूरी रात तलाश करते रहे । सुबह दूसरे दिन दिनांक 2 जुलाई, 2009 को समय 6.00 बजे के लगभग सुबह कुछ लोगों ने बताया कि डिग्री कालेज के पीछे बुद्धन के मेले पर किसी बच्ची की लाश पड़ी है ।

तब हम लोग मौके पर पहुंचे जहां किसी लड़की की लाश बताई गई थी तब देखा कि बच्ची उसकी भतीजी की ही लाश है जो क्षत-विक्षत अवस्था में है । इस घटना की तहरीर उसने राधा किशन से लिखवा कर थाना भोगांव पर दी थी । इस साक्ष्य ने लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साबित किया है । इस साक्षी ने यह भी कहा है कि दिनांक 2 जुलाई, 2009 को शाम को उसकी भाभी ने उसे बताया था कि हमारा बन्टू से झगड़ा हो गया था और उसने धमकी दी थी कि तुझे देख लेंगे । तब वह शाम के समय बन्टू के घर पर गया था । बन्टू अपने घर पर नहीं मिला था ।

22. इस साक्षी ने जिरह में यह कहा है कि वह बी. ए. पास है । उसने बी. ए. वर्ष 2005 में किया था । उसका व उसकी भाभी का घर एक ही है । विनोद उसके ताऊ के लड़के हैं जिनकी लड़की शिवा थी । विनोद उससे बड़े हैं । वह उससे लगभग 10-15 साल बड़े होंगे । विनोद ट्रक चलाते हैं और अक्सर घर से बाहर रहते हैं । वह कभी-कभी आठ-आठ दिन तक बाहर रहते हैं । जिस मकान में वह तथा विनोद रहते हैं उसमें चार-पांच कमरे हैं । उसके भाई विनोद की शादी कब हुई थी उसे नहीं याद । शादी के कितने दिन बाद शिवा पैदा हुई थी उसे नहीं मालूम । उसकी भाभी की उम्र 30-35 साल की होगी । शिवा पढ़ती थी वह कक्षा एक या दो में पढ़ती थी, बच्ची थी ज्यादा समझदार भी नहीं थी । उसे याद नहीं कि शिवा को उठाकर ले जाने वाली बात किसने उसे बताई थी । वे लोग उसके मुहल्ले के थे वह उन लोगों को जानता था । उन लोगों का नाम याद नहीं हैं । उन लोगों ने मृतका शिवा को उठाकर ले जाने वालों की हुलिया भी नहीं बताई थी । नौ-दस बजे के लगभग शिवा को उठाकर ले जाने वाली बात उन लोगों ने उसे बताई थी । इस साक्षी ने यह भी कहा है कि लोगों के द्वारा शिवा को दो आदमी उठाकर ले जाने वाली बात उसने अपनी भाभी को उसी समय नहीं बताई थी । लड़की शिवा को ढूंढने में उसके साथ अन्य लोग उसके घर के भी थे । उन ढूंढने वालों में उसकी भाभी, उसका भतीजा तथा उसका भाई अरविन्द भी साथ में थे । बस यही तीन आदमी थे । तहरीर रिपोर्ट उसने इसलिए नहीं लिखी थी कि उसे इन मामलों में जानकारी नहीं थी । पंकज उसके मुहल्ले में ही रहता था । उसके और पंकज के मकान की बीच में दो-चार मकान होंगे । पंकज जाटव है, यह पल्लेदारी करता था । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि दिनांक 2 जुलाई, 2009 को सुबह जब हम लोग शिवा को तलाश कर रहे थे तब बाजार में लोगों ने बताया था कि एक बच्ची की लाश डिग्री कालेज

के पीछे पड़ी है । उस समय वह अकेला ही था । ग्राम शिवपुरी, थाना एलाऊ, जिला मैनपुरी में उसका परिवार रहता है । शिवपुरी के कुंवर बाहदुर एवं अरविन्द उसके भाई हैं । एक उसका सगा भाई है तथा दूसरा ताऊ का लड़का है । उसी दिन उन लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी । यह मुलाकात दिनांक 1 जुलाई, 2009 को कितने बजे हुई थी, वह नहीं बता सकता । उन्होंने क्या बताया था उसे याद नहीं । इसी गांव के विनोद कुमार उसके भाई लगते हैं । इनसे उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी । रिपोर्ट लिखाने वाले राधा किशन यादव उसके चाचा लगते हैं । इस साक्षी ने आगे अपनी प्रतिपृच्छा में यह भी बताया है कि शिवपुरी के अरविन्द और मनोज से उसकी मुलाकात सुबह हुई थी । समय ध्यान नहीं है तारीख 2 जुलाई, 2009 थी । शिवा की लाश उसी दिन उसे डिग्री कालेज के पीछे बुद्धन के खेत में मिली थी । घटनास्थल जहां लाश मिली थी वहां पूरब में क्या है उसे ध्यान नहीं है । पश्चिम में डिग्री कालेज है तथा उत्तर में खेत है । किसका खेत है उसे जानकारी नहीं है । दक्षिण में क्या है उसे जानकारी नहीं है । जहां लाश मिली थी वहां पुलिस उसके सामने आ गई थी । पुलिस ने लाश उसके सामने सील की थी । पंचायतनामा उसके सामने भरा गया था । उसने रिपोर्ट पंचायतनामा भरने के बाद लिखाई थी । पुलिस लगभग दो ढाई घंटे घटनास्थल पर रुकी थी । पुलिस जब घटनास्थल पर कार्यवाही कर रही थी उस समय वह तथा उसके परिवार के लोग थे, मनोज नहीं था । उसे याद नहीं कि अरविन्द भी वहां थे या नहीं । कुंवर बहादुर भी वहां थे उसे ध्यान नहीं है । इस पर पुलिस कार्यवाही से पहले अरविन्द, मनोज से उसकी बातचीत हो चुकी थी और उसे मिल चुके थे । इस साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि पंचायतनामा एवं लाश सील होने के समय वह मौजूद था । उस समय पथारिया मुहल्ला एवं शिवपुरी के लोग भी मौजूद थे । पंचायतनामा में शिवपुरी के लोग भी पंच थे । दिलीप सिंह, कुंवर बहादुर, मनोज मौजूद थे । उसकी भाभी रानी देवी है । पंचायतनामा के बाद उसने रिपोर्ट लिखाई थी । इस साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि उसकी भाभी रानी देवी ने रिपोर्ट के बाद उसी दिन दिनांक 2 जुलाई, 2009 को शाम को बताया था कि बन्टू से उसका झगड़ा हो गया है । उसका बयान दरोगाजी ने दिनांक 2 जुलाई, 2009 को ही सुबह लगभग 7-8 बजे लिया था । उस समय उसे जानकारी न होने की वजह से दरोगाजी को भाभी और बन्टू में झगड़ा होने की बात नहीं बताई थी । दरोगाजी को उसने यह बात 2 जुलाई, 2009 के बाद बताई थी । उन्होंने उसका दुबारा बयान लिया था । रानी देवी का कोई बयान दरोगाजी ने

लिया था उसे नहीं मालूम । मृतका शिवा की लाश लगभग 7-8 बजे दिनांक 2 जुलाई, 2009 को सील हुई होगी । इस सुझाव को गलत बताया है कि दरोगाजी ने दुबारा उसका कोई बयान न लिया हो । दरोगाजी को बन्टू व भाभी में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ उसने नहीं बताया था क्योंकि उसे भी नहीं मालूम था । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि मृतका शिवा उसकी भतीजी थी । दिनांक 1 जुलाई, 2009 को वह शाम 8.00 बजे लगभग घर पर ही था । हम लोग एक ही घर में रहते हैं । मृतका शिवा के घर के बाहर चबूतरे पर खेल रही थी । अन्य कौन-कौन बच्चे खेल रहे थे उसे जानकारी नहीं है । का समय इंतजार करने के बाद जब शिवा घर पर नहीं आई तो उसने उसके बारे में पता किया । उसने मुहल्ले में पता किया, जिन लोगों से पता किया उनका नाम उसे नहीं मालूम । फिर आगे कहा कि नाम मैं जानता हूं लेकिन इस समय याद नहीं है । जब शिवा नहीं मिली तो वे लोग उसे ढूंढते रहे । रिपोर्ट लिखाने नहीं गए । श्याम सिंह को वह पहचानता है वह उसके मुहल्ले में रहता है । अभियुक्त श्याम सिंह का उसकी भाभी के साथ पहले कोई झगड़ा हुआ था इस बाबत उसकी भाभी ने दूसरे दिन बताया था । शिवा की लाश डिग्री कालेज के पीछे बुद्धन के मेले में मिली थी । मृतका शिवा की लाश मौके पर ही सील की गई थी । सील होने में लगभग एक दो घंटा लग गया होगा । उसके बाद लाश सील कराई थी तब उसने रिपोर्ट कराई थी । पंचायतनामा भरने के समय कितने लोगों के हस्ताक्षर हुए उसे नहीं मालूम । उसका हस्ताक्षर पंचायतनामा पर नहीं हुआ था । इस साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि वह स्नातक है । रिपोर्ट उसने अपने हाथ से नहीं लिखी थी । रिपोर्ट उसने अपने चाचा से लिखाई थी । रिपोर्ट दो अज्ञात लोगों के नाम लिखाई थी ।

23. यहां यह उल्लेखनीय है कि यह साक्षी वादी मुकदमा है तथा उसने दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी । इस साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी अपीलार्थी को नामित नहीं किया गया । यद्यपि इस साक्षी ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 2 जुलाई, 2009 को शाम को उसकी भाभी ने उससे बताया था कि उसका बन्टू से झगड़ा हो गया था और बन्टू ने धमकी दी थी कि तुझे देख लेंगे और जब वह शाम को बन्टू के घर पर गया था तब बन्टू अपने घर पर नहीं मिला था । हमारे विचार से इस साक्षी का उक्त कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है क्योंकि अभियोजन साक्षी सं. 2 रानी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि परवेन्द्र (वादी मुकदमा) उसका देवर है और उससे बताया था कि उसका बंटू से

घटना से पहले झगड़ा क्यों और क्या हुआ । फिर कहा कि झगड़े वाली बात परवेन्द्र को पहले से मालूम थी । उसके सामने भी झगड़ा हुआ था । ऐसी दशा में जब अपीलार्थी बन्टू से झगड़ा होने की बात की जानकारी इस को पहले तब इस साक्षी का यह कहना कि दिनांक 2 जुलाई, 2009 को उसकी भाभी ने बताया था कि उसका बन्टू से झगड़ा हो गया था और उसने धमकी दी थी कि तुझे देख लेंगें में कोई वास्तविकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि अपीलार्थी बन्टू ने मृतका शिवा की मां को । यदि मृतका की मां रानी से अपीलार्थी बन्टू का कोई झगड़ा हुआ था और अपीलार्थी बन्टू ने मृतका शिवा की मां को कोई धमकी दी थी तथा झगड़ा इस साक्षी के समक्ष होने का उल्लेख किया है तब यह साक्षी उक्त तथ्य का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी कर सकता था लेकिन इस तरह का कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं पाया जाता है । ऐसी दशा में अपीलार्थी बन्टू का मृतका की मां रानी के साथ घटना के पूर्व किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा होने के तथ्य की भी पुष्टि संदेह से परे नहीं होती है जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि इस साक्षी द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । इस साक्षी के बयान में इस तरह की कोई बात नहीं आई है जिससे कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को कथित घटना या अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके ।

24. अभियोजन साक्षी सं. 2 रानी मृतका की मां है । इस साक्षी ने अपने बयान में यह कहा है कि मृतका शिवा उसकी बेटी थी । घटना के समय उसकी पुत्र आठवीं वर्ष में चल रही थी । घटना दिनांक 1 जुलाई, 2009 की शाम करीब 8.00 बजे की है । घटना वाले दिन उसकी पुत्री दरवाजे पर खेल रही थी । जब उसकी पुत्री काफी देर तक वापस नहीं आई तो उसने उसकी तलाश की । उसने आस-पड़ोस तथा मोहल्ले में तलाश किया था जब नहीं मिली तब उसके परिवार वाले तथा पड़ोसियों ने बाजार में खोजा था किंतु नहीं मिली । दूसरे दिन सुबह 6-7 बजे के करीब उसकी पुत्री की लाश बुद्धन वाली बगिया में डिग्री कालेज के पीछे जहां पर सुअर का मेला लगता है उसकी लाश पड़ी मिली थी । उसकी पुत्री का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था । घटना से 10-15 दिन पहले उसका झगड़ा पड़ोस में रहने वाले बन्टू से हुआ था । उसने उसे काफी बुरा-भला कहा था तथा गाली-गलौज भी किया था और देख लेने की धमकी भी दी थी । उसके पड़ोस में रहने वाले श्याम सिंह (जो बैंड में नाचने-गाने का काम करता है) इसलिए वह अपने बच्चों को उससे बोलने-चालने नहीं देती थी । इसलिए श्याम सिंह भी उससे रंजिश मानने लगा था । उसने व

परिवार वालों ने बन्टू तथा श्याम सिंह के घर पर शिवा को तलाश किया था किंतु न उसकी बेटी मिला न बन्टू तथा न ही श्याम सिंह मिले थे । ये दोनों अपने-अपने घरों पर से फरार हो गए थे । यह बात उसने अपने पति को बताई थी कि श्याम सिंह व बन्टू उससे रंजिश मानते हैं क्योंकि उन लोगों से उसका झगड़ा हुआ था । उन्हीं लोगों ने उसकी पुत्री को पकड़ कर उसकी हत्या कर दी होगी । इस तरह इस साक्षी ने अपने बयान में घटना से 10-15 दिन पहले अपीलार्थी बन्टू से झगड़ा होने की बात कही है और उसके द्वारा दी गई धमकी कि तुझे देख लेंगे की बात का भी उल्लेख किया है तथा यह भी कहा है कि पड़ोस के रहने वाले श्याम सिंह (जो बैंड में नाचने-गाने का काम करता है) वह उससे अपने बच्चों को बोलने-चालने नहीं देती थी । इसलिए श्याम सिंह भी उससे रंजिश मानने लगा था । इन्हीं लोगों के द्वारा उसने अपनी पुत्री को पकड़ कर उसकी हत्या करने की संभावना व्यक्त की है । हमारे विचार से यदि इस घटना से 10-15 दिन पहले इस साक्षी का अपीलार्थी बन्टू से कोई झगड़ा हो गया था और उसने किसी भी प्रकार की कोई धमकी दी थी तो इस संबंध में यह साक्षी अपीलार्थी/अभियुक्त बन्टू के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती थी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उच्चाधिकारियों से शिकायत आदि कर सकती थी लेकिन इस तरह की कोई कार्यवाही न करना अपीलार्थी बन्टू से झगड़ा होने की कहानी को संदिग्ध बना देता है । पत्रावली पर इस तरह का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे कि इस साक्षी का अपीलार्थी बन्टू एवं श्याम सिंह से रंजिश होने के तथ्य की पुष्टि हो सके । यह साक्षी स्वीकृत रूप से घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । इस साक्षी ने मृतका को किसी व्यक्ति के द्वारा पकड़ कर या लिवाकर ले जाते हुए नहीं देखा है बल्कि इस साक्षी ने अपने बयान में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसकी पुत्री दरवाजे पर गली में खेल रही थी जब उसकी पुत्री काफी देर तक वापस नहीं आई तो उसने उसकी तलाश की । उसने आस-पड़ोस तथा मुहल्ले में तलाश किया था जब नहीं मिली तब उसके परिवार वाले तथा पड़ोसियों ने बाजार में खोजा था किंतु नहीं मिली । दूसरे दिन सुबह 6-7 बजे के करीब उसकी पुत्री की लाश बुद्धन वाली बगिया डिग्री कालेज के पीछ जहां पर सुअर का मेला लगता है उसकी लाश पड़ी मिली थी । इससे यह स्पष्ट होता है कि जब इस साक्षी की पुत्री गायब हो गई और काफी देर तक वापस लौटकर नहीं आई तब इस साक्षी के द्वारा मृतका की तलाश की गई । इस साक्षी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मतृका को अपने साथ लिवाकर ले जाते हुए नहीं देखा गया है । यद्यपि इस साक्षी ने यह बात कही है कि अपीलार्थी

बन्टू और श्याम सिंह उससे रंजिश मानते थे किंतु अपीलार्थी बन्टू एवं श्याम सिंह के द्वारा उससे रंजिश मानने का कोई भी प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । ऐसी दशा में इस साक्षी की साक्ष्य के भी अपीलार्थीगण के द्वारा मृतका को लिवाकर ले जाने या उसके साथ घटना कारित करने या उसकी हत्या कारित करने के तथ्य की भी संदेह से परे पुष्टि नहीं होती है ।

25. अभियोजन साक्षी सं. 3 कुंवर बहादुर ने अपने बयान में यह कहा है कि वह विनोद कुमार के घर पर आता-जाता है । दिनांक 1 जुलाई, 2009 को वह अपने गांव से भोगांव आया था तो शाम लगभग 8.00 बजे विनोद की पुत्री शिवा अपने घर से 2-3 सौ मीटर आगे बाजार की तरफ मिली थी । शिवा के साथ अभियुक्त जीतू, राजेश तथा पंकज साथ थे । उसने इन लोगों से पूछा कि तुम शिवा को कहां ले जा रहे हो तो उन लोगों ने कहा कि वे शिवा को जूस पिलाने ले जा रहे हैं । वह अक्सर विनोद के घर आता-जाता था । इसलिए जीतू, राजेश तथा पंकज को पहचानता है । वह तथा अरविन्द, विनोद के घर गए थे और कुछ देर रुकने के पश्चात् वह और अरविन्द अपने गांव चले गए थे । उसे शिवा की हत्या की सूचना घटना के दूसरे दिन सुबह मिली थी । उसने यह बताया था कि नेशनल डिग्री कालेज के पास बुद्धन की बगिया के पास शिवा की मिट्टी (लाश) पड़ी मिली है । हाजिर अदालत अभियुक्त जीतू, राजेश, पंकज को देखकर कहा कि इन्हीं मुलजिमानों के साथ उसने शिवा को आखिरी बार दिनांक 1 जुलाई, 2009 को समय लगभग 8.00 बजे देखा था ।

26. इस साक्षी ने जिरह में यह कहा है कि पथारिया से उसका गांव शिवपुरी 6-7 कि. मी. दूर होगा । विनोद उसके हिस्सेदार हैं तथा भाई लगते हैं । उसका विनोद का खेती में हिस्सा है । विनोद के यहां बचपन से वह आता-जाता है और विनोद उसके यहां आता-जाता है । विनोद के भाई परवेन्द्र चचेरे भाई हैं । यह भी कहा है कि वह दो भाई हैं उसके दूसरे भाई का नाम विनोद कुमार है । अरविन्द तथा मनोज उसके चचेरे भाई हैं । दिनांक 1 जुलाई, 2009 को विनोद के यहां वह किसी कार्य से नहीं आया था ऐसे ही आया था । बरसात के दिन थे विनोद के यहां 2-4 मिनट रुका था पानी पिया और चल दिया । विनोद की पत्नी को वह जानता है । विनोद की शादी को 23-24 साल हो गए होंगे । विनोद की पत्नी से उसकी बातचीत होती थी । विनोद घटना के समय घर पर नहीं था । वह गांव चला गया था उसे नहीं पता कि शिवा गायब थी अथवा नहीं । उसने विनोद की पत्नी को नहीं बताया कि शिवा को इन लड़कों के साथ जाते

देखा है क्योंकि वह इन लड़कों को पहले से जानता था । इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि विनोद से उसकी बात उसी दिन शाम को हुई थी और उसी दिन बताया था लड़की को मुलजिमान के साथ मिलने वाली बात । इस सुझाव को गलत बताया कि विनोद का (रिश्तेदार) सगा भाई होने के कारण झूठी गवाही दे रहा है । यह भी बताया है कि वह घटनास्थल पर सुबह 9.00-9.30 बजे के बीच में पहुंच गया था । उस समय घटनास्थल पर शिवा की लाश मौजूद थी । पुलिस वाले उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे । पुलिस वाले लिखा-पढ़ी कर रहे थे और लिखा-पढ़ी पूर्ण हो चुकी थी । घटनास्थल पर उसके अलावा शिवा की मां व परिवार के अन्य लोग पहुंच गए थे । घटनास्थल पर काफी भीड़ थी वह नहीं बता सकता कि अरविन्द को उसे वहां देखा था या नहीं । दिनांक 2 जुलाई, 2009 को उसने शिवा की मम्मी को यह बताया था कि जीतू, राजेश, पंकज शिवा को जूस पिलाने ले जा रहे थे । यह बात उसने अपने परिवार के लोगों के सामने बताई थी । परवेन्द्र उसके सगे चाचा के लड़के हैं । उसे ध्यान नहीं कि यह बात बताते समय परवेन्द्र वहां थे या नहीं । उसने सुबह 10.00 बजे यह बात बताई थी । उसने यह बात विनोद के मकान पर जाकर बताई थी । पुलिस वाले उस समय नहीं थे जब वह आया था तब उसने बताई थी । उसने यह बात पुलिस को क्यों नहीं बताई वह इसकी वजह नहीं बता सकता । शिवा का पोस्टमार्टम हुआ था दरोगाजी ने घर पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे । इस सुझाव को गलत बताया कि वह शिवा की मम्मी के साथ रात भर शिवा की तलाश करता रहा । इस सुझाव को भी गलत बताया कि वह शिवा को जूस पिलाने के लिए जाते न देखा हो । उसने पोस्टमार्टम गृह पर भी पुलिस वालों को यह बात नहीं बताई थी । इस साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि वह अपने गांव शिवपुरी से भोगांव रात लगभग 8.00 बजे आया था । शिवा उसको बाजार जाते हुए पंकज, राजेश, जीतू के साथ देखा था और किसी को साथ जाते नहीं देखा था । इनके साथ श्याम सिंह को नहीं देखा था । यह बताया है कि शिवा उसकी सगी भतीजी थी । उसने शिवा से पूछा था कि कहां जा रही हो तो लड़कों ने कहा कि जूस पिलाने ले जा रहे हैं । इन लड़कों के साथ उसने शिवा को आते-जाते देखा है । जब वह विनोद के घर पहुंचा तो वहां शिवा की मां मौजूद थी । परवेन्द्र उस समय नहीं थे । उसने उस समय शिवा की मां को यह बात नहीं बताई कि उसने शिवा को इन लड़कों के साथ जाते देखा है । शिवा की मां ने गांव में खबर की थी कि शिवा नहीं मिल रही है जब उसे यह खबर मिली कि शिवा नहीं मिल रही तो इस खबर पर वह और गांव के लोग

आए थे । फिर कहा कि मैं व अरविन्द व गांव के लोग आए थे । उसका पंकज के घर कोई आना-जाना नहीं था । राधा किशन उसके चाचा लगते हैं वह भी आ गए थे । हम लोगों ने शिवा को तलाश किया था शिवा नहीं मिली । वह मुलजिमान के घर भी शिवा को तलाश करने गया था परंतु शिवा व मुलजिमान घर नहीं मिले । मनोज उस समय नहीं आ पाए थे । पंकज और राजेश के घर वाले मिले थे पंकज जाटव जाति का है । विनोद ट्रक ड्राइवर है । फिर कहा कि वह ड्राइवर नहीं था । इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि पुलिस ने उसका बयान 12-13 दिन बाद लगभग लिया था । इस तरह इस साक्षी ने दिनांक 1 जुलाई, 2009 को समय लगभग 8.00 बजे शाम मृतका शिवा को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश तथा पंकज के साथ देखने का उल्लेख किया है तथा यह भी कहा है कि उसने इन लोगों से पूछा कि तुम शिवा को कहां ले जा रहे हो तो इन लोगों ने कहा कि वे लोग शिवा को जूस पिलाने ले जा रहे हैं । हमारे विचार से इस साक्षी का उक्त कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर सुबह 9.00-9.30 बजे के बीच में पहुंच गया था । उस समय घटनास्थल पर शिवा की लाश मौजूद थी । पुलिस वाले उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे । पुलिस वाले लिखा-पढ़ी कर रहे थे । घटनास्थल पर उसके अलावा शिवा की मां व परिवार के अन्य लोग पहुंच गए थे । हमारे विचार से यदि इस साक्षी ने मृतका शिवा को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश एवं पंकज के साथ घटना के पूर्व दिनांक 1 जुलाई, 2009 को शाम के लगभग 8.00 बजे देखा था तो यह साक्षी उक्त तथ्य का उल्लेख पुलिस के समक्ष भी कर सकता था क्योंकि इस साक्षी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पर पुलिस मौजूद थी लेकिन इस साक्षी द्वारा इस तरह का कोई उल्लेख पुलिस अथवा विवेचनाधिकारी के समक्ष नहीं किया गया । इस साक्षी ने अपने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर उसके अलावा शिवा की मां व परिवार के अन्य लोग पहुंच गए थे । हमारे विचार से यह साक्षी मृतका की मां और परिवार के लोगों को भी उक्त तथ्य से अवगत कर सकता था लेकिन इस साक्षी द्वारा इस तरह का कोई उल्लेख मृतका की मां व परिवार के लोगों के समक्ष भी नहीं किया गया जब इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी तथा मृतका की लाश मिल गई थी और इस साक्षी ने अंतिम बार मृतका को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश व पंकज के साथ देखा था तो निश्चित रूप से यह साक्षी पुलिस व मृतका की

एवं परिवारवालों के समक्ष बता सकता था लेकिन इस तरह की कोई सूचना पुलिस व मृतका की मां एवं परिवार वालों को न देना स्वयं इस साक्षी के कथन को संदिग्ध बना देता है ।

27. दूसरा यह कि इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में यह भी स्वीकार किया है कि शिवा की मां ने गांव में खबर की थी कि शिवा नहीं मिल रही है जब उसे यह खबर मिली कि शिवा नहीं मिल रही है तो इस खबर पर वह और गांव के लोग आए थे । फिर कहा कि वह और अरविन्द तथा गांव के लोग आए थे । राधा किशन उसके चाचा लगते हैं वह भी आ गए थे । हम लोगों ने शिवा को तलाश किया था, शिवा नहीं मिली । वह मुलजिमानों के घर भी शिवा को तलाश करने गया था परंतु शिवा व मुलजिमान घर पर नहीं मिले । मनोज उस समय नहीं आ पाए थे । इस साक्षी के उक्त कथन से यह विदित होता है कि शिवा के गायब होने की सूचना मिलने पर शिवा के घर जाकर एवं उसको तलाश करने की बात कही है । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह शिवा को तलाशने मुलजिमान के घर पर भी गया था जब कि अपने मुख्य बयान में इस साक्षी ने यह कहा है कि उसे शिवा की हत्या की सूचना घटना के दूसरे दिन सुबह मिली थी । उसे यह बताया गया था कि नेशनल डिग्री कालेज के पास बुद्धन की बगिया के पास शिवा की लाश पड़ी मिली है । इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में सुबह 9.00-9.30 बजे घटनास्थल पर पहुंचने का उल्लेख किया है । यह भी कहा है कि उस समय घटनास्थल पर शिवा की लाश मौजूद थी । इस तरह यह साक्षी एक तरफ तो मृतका की हत्या की सूचना दूसरे दिन मिलने पर मौके पर पहुंचने की बात कहता है दूसरी तरफ यह कहता है कि शिवा के गायब होने की सूचना मिलने पर शिवा के घर गया था और उसने शिवा को तलाश किया था लेकिन शिवा नहीं मिली । मुलजिमान के घर पर भी शिवा को तलाशने गया था परंतु अभियुक्तगण व शिवा नहीं मिले । उपरोक्त परिस्थितियों में इस साक्षी का कथन विरोधाभासी होने के कारण विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । जब इस साक्षी को रात में ही खबर मिल गई थी और उसने लोगों के साथ शिवा को तलाश किया था यहां तक कि मुलजिमान के घर पर भी जाने का उल्लेख किया है । यदि इस साक्षी ने शिवा को अंतिम बार 1 जुलाई, 2009 को समय लगभग 8.00 बजे शाम अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश व पंकज के साथ देखा होता तो निश्चित रूप से यह साक्षी मृतका की मां तथा परिवार के लोगों एवं वादी मुकदमा को उक्त तथ्य से अवगत कर सकता था तथा वादी मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी इस तरह का

उल्लेख कर सकता था कि मृतका शिवा को कुंवर बहादुर द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2009 को समय 8.00 बजे अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश व पंकज के साथ बाजार की तरफ जाते हुए देखा गया था लेकिन इस तरह का कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति में इस साक्षी के द्वारा जो मृतका शिवा को अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण जीतू, राजेश व पंकज के साथ अंतिम बार दिनांक 1 जुलाई, 2009 को समय 8.00 बजे शाम देखने की बात कही गई है वह संदेह से परे विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है । इस साक्षी का बयान विवेचनाधिकारी द्वारा घटना के लगभग 12-13 दिन बाद दिनांक 15 जुलाई, 2009 को अंकित किया गया है । हमारे विचार से यदि इस साक्षी ने मृतका शिवा को घटना के पूर्व अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश व पंकज के साथ अंतिम बार देखा होता तो यह साक्षी मृतका के शव मिलने के तुरंत बाद विवेचनाधिकारी को उक्त तथ्य से अवगत कर सकता था लेकिन इस साक्षी द्वारा घटना के तुरंत बाद पुलिस एवं विवेचनाधिकारी को अवगत नहीं कराया गया है । ऐसी स्थिति में इस साक्षी का कथन संदेह से परे विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और उपरोक्त परिस्थितियों में मृतका शिवा को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश एवं पंकज के साथ अंतिम बार दिनांक 1 जुलाई, 2009 को समय 8.00 बजे शाम देखा जाना संदेह से परे सिद्ध नहीं है ।

28. अभियोजन साक्षी सं. 4 मनोज कुमार ने अपने बयान में यह बताया है कि वह दिनांक 1 जुलाई, 2009 को दोपहर में अपने कार्य से बेवर बाजार गया था । फिर कहा कि वह वहां अपने दोस्त के घर पर गया था । अपने दोस्त के यहां से रात को 11.30 बजे अपने घर आ गया था । वह बेवर से भोगांव तक रोडवेज से आकर भोगांव के मंडी के गेट पर उतरा था । वहां पर उसे हाजिर अदालत मुलजिमान बन्टू, जीतू, राजेश, श्याम और पंकज मिले थे । यह पांचों लोग तलैया की तरफ से आ रहे थे । जीतू के कंधे पर बोरा था । उसने उनसे पूछा था कि इतनी रात गए कहां से आ रहे हो तब उन लोगों ने बताया कि हम आढ़त की दुकान पर काम करने जा रहे हैं । उस समय बिजली की रोशनी हो रही थी उसमें इन सभी को देखा था । इन सभी को वह पहले से जानता था क्योंकि उसके मुहल्ले में ये लोग रहते थे । दूसरे दिन पता चला कि शिवा की लाश नेशनल डिग्री कालेज के पीछे बुद्धन की बगिया में जहां सुअरों का मेला लगता है वहीं पड़ी थी । उसके बाद उसे पूरा विश्वास हुआ कि शिवा की हत्या इन्हीं लोगों ने की है । उसके बाद क्षेत्र में काफी आक्रोश व भय व्याप्त हो गया

था । लोगों ने बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजा था । इस साक्षी ने जिरह में यह बताया है कि बस से उतरने के बाद वह अपने घर भोगांव चला गया था । भोगांव में उसका मकान तमोलियन मुहल्ले में है । विनोद कुमार का मकान उसके मकान के पास में ही है । विनोद कुमार की पत्नी उसे नहीं मिली थी । उसे उसकी मम्मी ने बताया था कि शिवा खो गई है उसकी तलाश हो रही है । उसने यह बात अपनी माताजी को नहीं बताई थी कि उक्त पांचों मुलजिमान उसे मिले थे । सुबह शिवा की लाश बुद्धन की बगिया में मिली थी । वह सुबह 8.00 बजे बुद्धन की बगिया में लाश के पास पहुंच गया था । परवेन्द्र उसके ताऊ के लड़के हैं । अरविन्द भी उसके ताऊ का लड़का है । कुंवर बहादुर भी गांव के नाते ताऊ के लड़के हैं । ये लोग बुद्धन की बगिया में उससे पहले पहुंच गए थे । पुलिस आ गई थी जिसनें उन लोगों के सामने लिखा-पढ़ी की थी । लाश को हम लोगों के सामने सील किया था । बगिया में मुहल्ले के लोग व गांव शिवपुरी के लोग शिवा की मां मौजूद थे । उसे समय का पता नहीं कि बुद्धन की बगिया से कितने बजे वापस आए जब शिवा की लाश बगिया से चली आई थी तभी हम लोग भी चले आए थे । उसने पोस्टमार्टम तक यह बात किसी को नहीं बताई थी कि 11.30 बजे रात उपरोक्त मुलजिमान मिले थे । दरोगाजी ने उसका बयान घटना के करीब 14-15 दिन बाद लिया था । उसका बयान दरोगाजी ने परवेन्द्र के घर पर लिया था जो इस मुकदमे का वादी है । तभी उसने दरोगाजी को बताया था कि उसे शक है कि उपरोक्त मुलजिमान ने शिवा की हत्या की है । उसने पहले भी यह बात अपने भाई कुंवर बहादुर को बताई थी । घटना के तीसरे दिन बताया था । दरोगाजी ने उसका कोई हस्ताक्षर नहीं कराए थे । इस सुझाव को सही बताया कि उसने शिवा की हत्या करते हुए इन मुलजिमानों को नहीं देखा था । सुझाव को गलत बताया कि उपरोक्त मुलजिमान ने शिवा की हत्या न की हो । इस सुझाव को भी गलत बताया है कि वह बवेर से 11.30 बजे रात नहीं आया और अपने घर पर था । इस सुझाव को भी गलत बताया कि वह शिवा के परिवार का होने के नाते रंजिशन झूठी गवाही दे रहा हो । इस सुझाव को सही बताया है कि कुंवर बहादुर, परवेन्द्र, अरविन्द और अन्य लोग शिवा को रात भर ढूंढते रहे परंतु उसने इनके साथ नहीं ढूंढा था । इस साक्षी ने जिरह में यह भी बताया है कि दरोगाजी ने उसका बयान 14-15 दिन बाद लिया था । उससे गवाही देने के लिए किसी ने नहीं कहा था । शिवा की लाश मिलने पर वह घटनास्थल पर गया था । वह दरोगाजी के साथ उस जगह गया था जहां उसने मुलजिमान को देखा था । यह जगह लहसन मंडी के बिल्कुल

पास है तलैया वहां से 20-25 कदम है, लहसन मंडी के पीछे है । वह अकेला था वह विनोद के घर आता-जाता था । विनोद का मकान परवेन्द्र के मकान से एक मकान छोड़कर है । वह परवेन्द्र के यहां भी आता-जाता है । इस साक्षी ने पुनः कहा कि वह लाश के पास सुबह 8.00 बजे पहुंचा था । वहां कुंवर बहादुर थे, अरविन्द कुमार भी थे परंतु उसकी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी । वहां पर दरोगाजी थे जिन्होंने 14-15 दिन बाद उसके बयान लिए थे । वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता कि लाश मिलने वाले दिन उसने यह बात क्यों नहीं बताई । खुद कहा कि उससे दरोगाजी ने नहीं पूछा था । दरोगाजी 14-15 दिन बात परवेन्द्र के घर आए थे तब उससे पूछा था कि तुम कहां गए थे और कितने बजे लौटकर आए थे । उसका किसी ने भी गवाही में नाम नहीं लिखाया था । रात अंधेरी थी लेकिन लाइट थी । लट्ठा 4-5 कदम दूर था उसने दरोगाजी को बयान में बताया था कि बिजली की रोशनी में मुलजिमान को देखा था । यदि उसके बयान में दरोगाजी ने यह बात नहीं लिखी तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता । दरोगाजी उसे जिस स्थान से मुलजिमान को देखा था उस जगह बयान के दूसरे दिन ले गए थे लेकिन कोई नक्शा नहीं बनाया था । इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने कुंवर बहादुर के कहने से गवाही दी हो । इस साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि वह भोगांव से बेवर गया था । भोगांव से वह करीब 3.30 बजे चला था । उसके दोस्त का नाम विनय था जो उसके साथ भोगांव डिग्री कालेज में पढ़ता है । उसका यह फाइनल वर्ष है । उसके मकान से मदन गेट जी. टी. रोड 15-20 कदम दूरी पर है । उसके मकान से लहसन मंडी का गेट 100-150 मीटर दूरी पर है । मंडी गेट से ही रास्ता था इसलिए वह वहीं पर उतर गया था । विनय के भतीजे का जन्म दिन था इसलिए वह बेवर गया था, दावत थी । वह वहां 6-7 घंटे रुका था । विनय उससे रात में रुकने के लिए कह रहा था लेकिन वह रुका नहीं था । उसका विनोद, कुंवर बहादुर, परवेन्द्र के मकान अलग-अलग हैं, दीवालें मिली हुई हैं । सभी मुलजिमान मंडी में लहसन आदि का काम करते हैं जब वह भोगांव अपने घर आया तो उसकी मुलाकात मम्मी से हुई थी बाकी घर के लोग सो रहे थे । उसे नहीं मालूम कि शिवा गायब है । दरोगाजी ने उसका बयान लिया था । उसने दरोगाजी को सही बयान दिया था । उसने दरोगाजी को बयान दिया था कि उसने पांच मुलजिमान देखे थे । इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने कुछ नहीं देखा ।

29. इस साक्षी ने आगे अपनी प्रतिपृच्छा में यह भी बताया है कि दिनांक 1 जुलाई, 2009 को वह अपने मित्र विनय के यहां था । वह वहां पर 11.00 बजे तक रुका था और 11.30 बजे घर आ गया था । वह भोगांव की लहसन मंडी के गेट पर करीब 11.30 बजे उतरा था । वहां मुलजिमान बन्टू, जीतू, राजेश, पंकज व श्याम मिले थे । इस सुझाव को गलत बताया है कि वहां पर उसे कोई न मिला हो । इस तरह इस साक्षी ने अपने बयान में दिनांक 1 जुलाई, 2009 को बेवर बाजार अपने दोस्त विनय के घर जाने का उल्लेख किया है और यह बताया है कि जब वह रात को 11.30 बजे लौटकर आया तो उसे भोगांव के मंडी के गेट पर मुलजिमान बन्टू, जीतू, राजेश, श्याम और पंकज मिले थे । ये पांचों लोग तलैया की तरफ से आ रहे थे । जीतू के कंधे पर बोरा था उसने इनसे पूछा था कि इतनी रात गए कहां से आ रहे हो तब इन लोगों ने बताया कि हम आढ़त की दुकान पर काम करने जा रहे हैं । इस तरह इस साक्षी ने रात को 11.30 बजे अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के मंडी के गेट के पास देखने का उल्लेख किया है और यह बताया है कि अपीलार्थी जीतू के कंधे पर बोरा था । इस साक्षी की सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत हमारे विचार से इस साक्षी का कथन किसी भी प्रकार से स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और इस साक्षी के साक्ष्य से अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है क्योंकि इस साक्षी ने मात्र मुलजिमान को मंडी के गेट के पास देखने का उल्लेख किया है और जीतू के कंधे पर बोरा होने का उल्लेख किया है लेकिन इस तरह का कोई कथन नहीं किया है कि उक्त बोरे में क्या था । मात्र अपीलार्थी जीतू के कंधे पर बोरा होने के आधार पर यह उपधारणा कायम नहीं की जा सकती है कि अपीलार्थीगण मृतका के शव को बोरे में बंद करके ले जा रहे थे क्योंकि इस तरह का कोई कथन इस साक्षी द्वारा नहीं किया गया है कि बोरे में क्या था । ऐसी दशा में इस साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को कथित घटना व अपराध को जोड़ना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

30. दूसरा यह कि इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि वह सुबह 8.00 बजे बुद्धन की बगिया में लाश के पास पहुंच गया था । यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस आ गई थी जिसने उसके सामने लिखा-पढ़ी की थी और शव को सील किया था । हमारे विचार से यह साक्षी जब घटनास्थल पर पुलिस के समक्ष पहुंच गया था तब

मुलजिमान को रात में 11.30 बजे मिलने वाली बात पुलिस व विवेचनाधिकारी को बता सकता था लेकिन इस तरह की कोई सूचना इस साक्षी द्वारा विवेचनाधिकारी को नहीं दी गई और न ही विवेचनाधिकारी के समक्ष पंचायतनामा की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को देखना या अपीलार्थी जीतू के कंधे पर बोरा होने का कोई कथन किया है । इस साक्षी का बयान विवेचनाधिकारी द्वारा घटना के करीब 14-15 दिन बाद दिनांक 15 जुलाई, 2009 को अंकित किया गया है । ऐसी दशा में इस साक्षी की साक्ष्य से कथित घटना की रात में समय करीब 11.30 बजे अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को एक साथ देखा जाना व अपीलार्थी जीतू के कंधे पर बोरा होने के तथ्य की संदेह से परे पुष्टि नहीं होती है ।

31. यहां पर उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्वीकार किया है कि जब यह साक्षी सुबह 8.00 बजे बुद्धन की बगिया में लाश के पास पहुंचा तब वहां पर वादी परवेन्द्र, अरविन्द तथा कुंवर बहादुर उससे पहले पहुंच गए थे । हमारे विचार से जब वादी परवेन्द्र घटनास्थल पर इस साक्षी से पहले पहुंच गए थे और वहां पर मौजूद थे तब यह साक्षी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को रात में 11.30 बजे देखने व जीतू के कंधे पर बोरा होने की बात वादी मुकदमा से भी बता सकता था तथा वादी परवेन्द्र उक्त तथ्य का उल्लेख अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में कर सकते थे लेकिन इस तरह का कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं पाया जाता है । ऐसी दशा में इस साक्षी का कथन संदेह से परे विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और इस साक्षी की साक्ष्य से कथित घटना की रात्रि में मुलजिमान को इस साक्षी के द्वारा एक साथ देखा जाना एवं जीतू के कंधे पर बोरा होना संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है ।

32. अभियोजन साक्षी सं. 7 राज कुमार शर्मा (इंस्पेक्टर) इस मुकदमे के विवेचनाधिकारी हैं । उसने अपने बयान में यह बताया है कि उन्होंने दिनांक 4 जुलाई, 2009 को अभियुक्तगण जीतू, राजेश, पंकज, श्याम सिंह तथा बन्टू को प्रतापपुरा चौराहे के पास समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया था । अभियुक्त जीतू, राजेश तथा बन्टू के कब्जे से गिरफ्तारी के समय नाजायज असलहे भी बरामद किए गए थे । खोखा व कारतूस भी दाखिल किए गए । अभियुक्तगण के कथन अंकित किए गए । उनके निशानदेही पर जिस स्थान पर शिवा के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी उस स्थान का नक्शा नजरी प्रदर्श क-13 तैयार किया था । हमारे विचार से, इस साक्षी को अपीलार्थीगण/

अभियुक्तगण द्वारा बलात्कार करने वाले स्थान पर लिवा ले जाना व दिखाना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । क्योंकि इस साक्षी द्वारा उक्त बलात्कार करने वाले स्थान का नक्शा नजरी प्रदर्श क-13 बनाया गया है जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि नक्शा नजरी में ए. स्थान पर मृतका शिवा के साथ बलात्कार करना दर्शाया गया है । उक्त ए. स्थान के आस-पास खेत तथा तलैया दर्शाई गई है । हमारे विचार से यदि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने ए. स्थान पर मृतका के साथ बलात्कार किया होता और उसकी हत्या कर दी होती तो वे ऐसे सुनसान जगह से मृतका के शव को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर नहीं फेंकते । इस तरह मृतका के शव को उठाकर किसी दूसरे जगह पर ले जाकर फेंकने की बात स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है । नक्शा नजरी में ए. स्थान के आस-पास खेत एवं तलैया दर्शाया गया है । ऐसे सुनसान स्थान पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मृतका के शव को छोड़कर भाग सकते थे और दूसरों के द्वारा देखे जाने के डर से मृतका के शव को उठाकर दूसरी जगह पर फेंकने के लिए न ले जाते । ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा इस साक्षी को मृतका के साथ बलात्कार करने वाले स्थान पर लिवा ले जाना व दिखाने की कहानी स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है और ऐसी दशा में इस साक्षी का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । फिर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को एक पुलिस मुठभेड़ की घटना में गिरफ्तार करना बताया गया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा अपने बयान के अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में उक्त मुकदमे में छूट जाने का उल्लेख किया गया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से इस घटना से संबंधित कोई वस्तु बरामद होना नहीं बताया जाता है और न ही उनके निशानदेही पर इस घटना से संबंधित कोई बरामदगी ही बताई गई है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित घटना या अपराध में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है ।

33. **सेठ पाल** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] के मामले में अपीलार्थी (मृतका के भाई) की दोषसिद्धि इन परिस्थितियों के आधार पर की गई थी कि :–

1. शव बरामदगी के पूर्व मृतक, अपीलार्थी एवं. जी. (अपीलार्थी

[1] (2003) 12 एस. सी. सी. 169.

का साला/बहनोई) अभियोजन साक्षी सं. 1 के द्वारा चाय की दुकान पर साथ देखा गया था ; तथा

2. उसके बाद अपीलार्थी मोहल्ले में नहीं देखा गया ।

34. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि प्रथम परिस्थिति फंसाने वाली परिस्थिति नहीं, द्वितीय परिस्थिति तथ्यों के आधार पर पलायन के सदृश्य नहीं तथा अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया ।

35. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित विधि संबंधी पांच स्वर्णिम सिद्धान्त (पंचशील) की **शरद बिरधीचन्द शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] में उचित रूप से निम्नरूपेण व्याख्यित किया गया गया है :–

"(1) दोषसिद्धि की जाने वाली परिस्थितियां पूर्णतः साबित होनी चाहिए । यह उल्लिखित किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने इंगित किया कि संबंधित परिस्थितियां 'अवश्य सिद्ध होना चाहिए' या 'होनी चाहिए' न कि 'केवल सिद्ध किया जा सकता है' । 'सिद्ध किया जा सकता है' एवं 'सिद्ध हो या होना चाहिए' में न केवल व्याकरण संबंधी बल्कि विधिक भिन्नता है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिवाजी साहेबराव बोबाडे **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, [(1973) 2 एस. सी. सी. 793 = ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2622] में निर्धारित किया गया ।

निश्चित रूप से मूल सिद्धांत यह है कि न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए जाने से पूर्व अभियुक्त आवश्यक रूप से दोषी हो न कि दोषी हो सकता है तथा 'हो सकता है' या 'होना चाहिए' के बीच एक लंबा मानसिक अंतर है जो अनिश्चित अनुमानों को निश्चित परिणामों से अलग करता है ।

(2) इस प्रकार से साबित तथ्य अपराधी के दोष संबंधी परिकल्पना से संगत होने चाहिए अर्थात् वे, अपराधी के दोषी होने की परिकल्पना के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्येय नहीं होने चाहिए ।

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति व अभिनति की होना चाहिए ।

---

[1] ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

(4) वह एक जिनको साबित किया जाना, के अतिरिक्त प्रत्येक संभावना को अपवर्जित करती हो, तथा

(5) साक्ष्यों की शृंखला इस प्रकार की होनी चाहिए जो अपराधी की निर्दोषिता से संगत विनिश्चय के लिए युक्तियुक्त आधार न प्रदान करे तथा यह अवश्य प्रदर्शित करे कि समस्त मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अपराधी द्वारा किया गया है ।"

36. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अंजलस डुंगडंग** बनाम **झारखंड राज्य**[1] के दृष्टांत में पूर्व प्रतिपादित व्यवस्थाओं की पुष्टि करते हुए यह स्थिर किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में यदि परिस्थितियों की कड़ी टूटती है अथवा उनके बीच अंतराल आ जाता है, तब ऐसे साक्ष्य को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता । संदेह कितना भी गहरा एवं ठोस क्यों न हो वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता ।

37. **हुकुम सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में संलिप्तता को दर्शाने वाले तथ्य एवं परिस्थितियां प्रबल व विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा साबित होनी चाहिए और इस प्रकार से साबित तथ्य अभियुक्त के दोष से संगत होने चाहिए एवं उसके दोष से संबंधित परिकल्पना के अतिरिक्त किसी अन्य युक्तियुक्त परिकल्पना के लिए व्याख्येय नहीं होने चाहिए । संक्षेप में परिस्थितिजन्य साक्ष्य को विशुद्ध रूप से केवल और केवल एक ही निष्कर्ष की ओर इंगित करना चाहिए कि किसी अन्य ने नहीं अपितु अभियुक्त ने ही कथित अपराध को अंजाम दिया है । यदि किसी वाद विशेष में साबित परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त की निर्दोषिता से असंगत न हो एवं यदि वे किसी तर्क संगत व्याख्या के अधीन हों तो कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है ।

38. **हनुमंत गोविन्द नारगुन्डर और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[3] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करते समय, इस प्रकार के साक्ष्यों पर लागू नियम अवश्य ध्यानस्थ रखने चाहिए । इस प्रकार के वाद में हमेशा खतरा होता है कि अनुमान या संदेह विधिक साक्ष्य का स्थान ले लें । जहां

---

[1] ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1394.
[2] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1063.
[3] ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343.

साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति के होते हैं वहीं ऐसी परिस्थितियां जिनसे दोषिता निष्कर्षित की जा सके, प्रथमदृष्ट्या पूर्णतः साबित होनी चाहिए तथा इस प्रकार से साबित तथ्य अभियुक्त के दोष संबंधी परिकल्पना से सुसंगत होने चाहिए । पुनः परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति व अभिनति की होनी चाहिए तथा वे इस प्रकार की होनी चाहिए जो साबित किए जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक कल्पना को अपवर्जित करती हो । दूसरे शब्दों में साक्ष्यों की एक ऐसी पूर्ण शृंखला अवश्य होनी चाहिए जो अपराधी की निर्दोषिता से संगत विनिश्चय के लिए युक्तियुक्त आधार न छोड़े एवं उन्हें इस प्रकार से होना चाहिए कि वे इस बात को अवश्य प्रदर्शित करे कि समस्त मानवीय संभावनाओं में कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया है ।

39. प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है । उनके कब्जे से या उनके निशानदेही पर इस घटना से संबंधित कोई वस्तु या चीज बरामद होना भी नहीं बताई गई है । प्रथम सूचना रिपोर्ट दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई है । अभियोजन साक्षी सं. 1 परवेन्द्र सिंह जोकि वादी मुकदमा है तथा अभियोजन साक्षी सं. 2 रानी जो कि मृतका की मां है उक्त दोनों साक्षियों ने अपने-अपने बयान में इस तरह का कोई कथन नहीं किया है कि उन्होंने अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण को मृतका शिवा को अपने साथ लिवाकर ले जाते हुए देखा हो बल्कि अभियोजन साक्षी सं. 1 ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 2 जुलाई, 2009 को उसकी भाभी अर्थात् मृतका की मां ने बताया था कि उसका बन्टू से झगड़ा हो गया था और उसने धमकी दी थी कि तुझे देख लेंगे तब वह शाम को बन्टू के घर पर गया था । बन्टू अपने घर पर नहीं मिला ।

40. अभियोजन साक्षी सं. 2 रानी ने अपने बयान में यह कहा है कि घटना से 10-15 दिन पहले उसका झगड़ा पड़ोस में रहने वाले बन्टू से हुआ था । उसने गाली-गलौज भी किया था तथा देख लेने की धमकी भी दी थी । उसके पड़ोस में रहने वाले श्याम सिंह जो बैंड में नाचने-गाने का काम करता है इसीलिए वह अपने बच्चों को उससे बोलने-चालने नहीं देती थी इसीलिए श्याम सिंह उससे रंजिश मानने लगा था । इसी आधार पर इस साक्षी ने यह कहा है कि इन्हीं लोगों ने उसकी पुत्री को पकड़ कर उसकी हत्या कर दी होगी जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बन्टू एवं श्याम सिंह का इस साक्षी से कोई

झगड़ा होना या रंजिश होना संदेह से परे सिद्ध नहीं है तथा झगड़ा या विवाद के संबंध में कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बन्टू एवं श्याम सिंह से कोई विवाद होना या रंजिश होने का उल्लेख नहीं है । यहां तक कि उपरोक्त अपीलार्थीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई शक व संदेह भी जाहिर नहीं किया गया है । उपरोक्त दोनों अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है ।

41. अभियोजन साक्षी सं. 3 कुंवर बहादुर ने घटना के पूर्व दिनांक 1 जुलाई, 2009 को समय करीब 8.00 बजे शिवा को अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण जीतू, राजेश तथा पंकज के साथ बाजार की तरफ जाते हुए देखने का उल्लेख किया है जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि इस साक्षी के साक्ष्य से भी मृतका को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश तथा पंकज के साथ देखा जाना सिद्ध नहीं है । अभियोजन साक्षी सं. 4 मनोज कुमार ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 1 जुलाई, 2009 को रात 11.30 बजे उसने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बन्टू, जीतू, राजेश, श्याम सिंह और पंकज को भोगांव के मंडी के गेट के पास देखा था । ये पांचों लोग तलैया की तरफ से आ रहे थे और जीतू के कंधे पर बोरा था जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि इस साक्षी के साक्ष्य से भी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है । इस तरह का कोई कथन इस साक्षी के साक्ष्य से नहीं पाया जाता है कि बोरे में क्या था । उपरोक्त अभियोजन साक्षी सं. 3 कुंवर बहादुर एवं अभियोजन साक्षी सं. 4 मनोज कुमार के बयान विवेचनाधिकारी द्वारा घटना के करीब 14-15 दिन बाद दिनांक 15 जुलाई, 2009 को अंकित किया गया है ।

42. उपरोक्त तथ्य के अभियोजन साक्षी सं. 1 परवेन्द्र सिंह, अभियोजन साक्षी सं. 2 रानी, अभियोजन साक्षी सं. 3 कुंवर बहादुर तथा अभियोजन साक्षी सं. 4 मनोज कुमार की साक्ष्य से शृंखलाबद्ध तरीके से यह सिद्ध नहीं है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने मृतका शिवा का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी हो । अन्य साक्षी औपचारिक प्रकृति के हैं । उनके साक्ष्य में भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जिससे कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को कथित घटना या अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके ।

43. उपरोक्त समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष अपने कथानक को अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 364, 376(2)(एफ)/302/34 एवं 201 भारतीय दंड संहिता संदेह से परे सिद्ध नहीं है । ऐसी दशा में विद्वान् अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मैनपुरी द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि, मृत्यु दंड तथा कारावास का दंडादेश स्थिर रहने योग्य नहीं है एवं निरस्त होने योग्य है । तद्नुसार उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं । विद्वान् अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मैनपुरी द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 5 जनवरी, 2012 निरस्त किया जाता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश, पंकज, श्याम सिंह तथा बन्टू को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 376(2)(एफ)/302/34 एवं 201 भारतीय दंड संहिता से तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश एवं पंकज को धारा 364 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जेल में निरुद्ध हैं । यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों तो उन्हें अविलंब जेल से रिहा किया जाए ।

44. रिहाई के पूर्व विचारण न्यायालय अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जीतू, राजेश पंकज, श्याम सिंह तथा बन्टू से धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अपनी संतुष्टि पर उनका व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उनकी दो-दो जमानतें 6 माह की अवधि के लिए अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए लेगें ।

45. संदर्भ सं. 1 वर्ष 2012 निरस्त किया जाता है ।

46. निर्णय की प्रति एवं परीक्षण न्यायालय की पत्रावली अविलंब अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाए ।

दिनांक 9.7.2013

अपीलें मंजूर की गईं ।

आर्य

योगेन्द्र सिंह भंडारी

बनाम

उत्तराखंड राज्य और एक अन्य

तारीख 10 फरवरी, 2014

न्यायमूर्ति यू. सी. ध्यानी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 – उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता – समन आदेश का अभिखंडन – जहां प्रथमदृष्ट्या यह साबित होने पर कि अभियुक्त ने उच्च लोक सेवक को गाली दी थी और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी वहां अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन कार्यवाहियों को जारी रखते हुए समन आदेश को अभिखंडित नहीं किया जा सकता ।

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार उत्तरकाशी के जिला न्यायाधीश के निवास पर तैनात पुलिस कार्मिक द्वारा यह अभिकथित था कि 21 सितंबर, 2009 को रात्रि 8:30 बजे एक व्यक्ति उच्च अधिकारी को गाली देते हुए रामलीला मैदान से विश्वनाथ चौक की ओर आ रहा था । जब इत्तिलाकर्ता को ऐसा करने से मना किया तो अभियुक्त ने इत्तिलाकर्ता को भी गाली दी और उसे घोर परिणामों की धमकी दी गई । यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त नशे में था । जब इत्तिलाकर्ता ने अभियुक्त का पीछा करने का प्रयास किया तो वह भाग गया । इत्तिलाकर्ता पुलिस कांस्टेबल आवेदक का नाम जोगिंदर सिंह भंडारी के रूप में जानता था । घटना अभिकथित रूप से तारीख 21 सितंबर, 2009 को हुई । घटनास्थल की रिपोर्ट तारीख 21 सितंबर, 2009 को दर्ज कराई गई । अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार किया गया और विद्वान् सेशन न्यायाधीश उत्तरकाशी द्वारा आदेश तारीख 30 सितंबर, 2009 द्वारा जमानत मंजूर की गई । परिवादी (इसमें प्रत्यर्थी सं. 2) ने तारीख 23 सितंबर, 2009 को उत्तरकाशी के पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353, 504 और 506 के अधीन थी । उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया और अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन दण्डनीय अपराधों की बाबत दण्डनीय अपराधों के विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया है । इससे व्यथित होकर दण्ड

प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह आवेदन किया गया । उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अभिलेख के दस्तावेज़ के परिशीलन से यह इंगित होता है कि प्रथमदृष्ट्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन दण्डनीय अपराध आवेदक के विरुद्ध बनता है । जब आवेदन के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन दर्ज कराई गई थी । अन्वेषण के दौरान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के अधीन अपराध को अभिकथित अपराध की पंक्ति में सम्मिलित किया गया । आवेदक ने अभिकथित रूप से इत्तिलाकर्ता जो लोक सेवक था और लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था के विरुद्ध आक्रमण नहीं किया और आपराधिक बल का भी प्रयोग नहीं किया गया । आवेदक का लोक सेवक के रूप में उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से उस व्यक्ति को निवारित करने भयोपरत करने का कोई आशय नहीं था । अभियुक्त आवेदक ने अभिकथित रूप से ऐसे लोक सेवक को उसके कर्तव्य के विधिसम्मत निर्वहन में इत्तिलाकर्ता को बाधा नहीं पहुंचाई अतः आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं बनता । उच्च न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उचित और तर्कसंगत विकल्प का चुनाव करना चाहिए । यह अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन या परिवादी द्वारा लगाए गए अभिकथन की सत्यता या अन्यथा का मूल्यांकन करने का प्रक्रम नहीं है । इसी प्रकार, यह ऐसा अवधारण करने का प्रक्रम नहीं है कि अभियुक्त की ओर से उठाई गई प्रतिरक्षा कितनी दमदार है । यदि अभियुक्त अभियोजन/परिवादी द्वारा लगाए गए अभिकथनों में कुछ संदिग्धता या संदेह दर्शाने में सफल होता है तो भी विचारण के पूर्व अभियुक्त को उन्मोचित करने अनुज्ञेय नहीं होगा । यह ऐसा इसलिए है कि क्योंकि यह अभियोजन या परिवादी को इसे सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिए बिना अभियोजन/परिवादी द्वारा लगाए गए अभियोगों को अंतिम रूप प्रदान करती है । तथापि, प्रतिकूलतः भी सही नहीं है, क्योंकि यदि विचारण आरंभ किया जाता है तो अभियुक्त को अपूरणीय परिणाम नहीं भुगतना होगा । अभियुक्त भी विधि के अनुसार साक्ष्य पेश कर अपनी प्रतिरक्षा सिद्ध कर सफल होने की स्थिति में होगा । ऐसी विधिक स्थिति घोषित करते हुए न्यायालय द्वारा अनेक निर्णय लिए गए हैं कि ऐसी दशा में जहां अभियोजन/परिवादी ने लगाए आरोपों के सभी

तत्वों को स्पष्ट करते हुए अभिकथन लगाए हैं और न्यायालय के समक्ष सामग्री प्रस्तुत है कि लगाए गए अभिकथन की सत्यता के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य दिए हैं, वहां विचारण अवश्य किया जाना चाहिए । इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन अभियुक्त आवेदक के विरुद्ध अपराध का आधार पर प्रस्तुत किया गया है किंतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के अधीन प्रथमदृष्ट्या कोई अपराध नहीं बनता यदि सम्पूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को ठीक तरह से देखा जाए । (पैरा 6, 8 और 9)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 3 एस. सी. सी. 330 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. (क्रिमिनल) 659 : **राजीव थापर और अन्य** बनाम **मदन लाल कपूर** ; 8

[2003] (2003) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 986 : **अमित कपूर** बनाम **रमेश चन्द्र और अन्य** । 7

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक प्रकीर्ण आवेदन (सी-482) सं. 136.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री परीक्षित सैनी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री पी. एस. स्वान, अपर सरकारी अधिवक्ता और श्रीमती मीना वोहरा, सहायक

न्यायमूर्ति यू. सी. ध्यानी – आवेदक ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस आवेदन याचिका के माध्यम से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353, 504 और 506 के अधीन उत्तरकाशी के पुलिस थाना कोतवाली की 2009 की अपराध संख्या 82 के आरोप पत्र से संबंधित समन आदेश तारीख 9 नवंबर, 2009 तथा 2009 के अपराध मामला संख्या 819 राज्य बनाम योगेन्द्र सिंह वाले मामले की कार्यवाही जो उत्तरकाशी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उन्हीं अपराधों के लिए लंबित थी को अभिखण्डित करने की ईप्सा करता है ।

2. परिवादी (इसमें प्रत्यर्थी सं. 2) ने तारीख 23 सितंबर, 2009 को

उत्तरकाशी के पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 82/2009 दर्ज कराई जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन थी । उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया और अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 504 और 506 के अधीन दण्डनीय अपराधों की बाबत दण्डनीय अपराधों के विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया है । इससे व्यथित होकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह आवेदन किया गया ।

3. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार उत्तरकाशी के जिला न्यायाधीश के निवास पर तैनात पुलिस कार्मिक द्वारा यह अभिकथित था कि 21 सितंबर, 2009 को रात्रि 8:30 बजे एक व्यक्ति उच्च अधिकारी को गाली देते हुए रामलीला मैदान से विश्वनाथ चौक की ओर आ रहा था । जब इत्तिलाकर्ता को ऐसा करने से मना किया तो अभियुक्त ने इत्तिलाकर्ता को भी गाली दी और उसे घोर परिणामों की धमकी दी गई । यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त नशे में था । जब इत्तिलाकर्ता ने अभियुक्त का पीछा करने का प्रयास किया तो वह भाग गया । इत्तिलाकर्ता पुलिस कांस्टेबल आवेदक का नाम जोगिंदर सिंह भंडारी के रूप में जानता था । घटना अभिकथित रूप से 21 सितंबर, 2009 को हुई । घटनास्थल की रिपोर्ट 21 सितंबर, 2009 को दर्ज कराई गई । अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार किया गया और विद्वान् सेशन न्यायाधीश उत्तरकाशी द्वारा आदेश तारीख 30 सितंबर, 2009 द्वारा जमानत मंजूर की गई ।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन के साथ संलग्न शपथपत्र के पैराग्राफ 2 में यह कहा गया है कि आवेदक भारतीय सेना का सिपाही है और इस समय गढ़वाल राइफल में अरुणाचल प्रदेश में तैनात है । तारीख 21 अगस्त, 2009 की रात को जब वह अपने मित्रों के साथ जिला न्यायाधीश के मकान के सामने के मार्ग पर जा रहा था तब भरत सिंह नाम का एक कांस्टेबल जो पिए हुए था, उन्हें रोका और उनसे पूछताछ की और इसके पश्चात् आवेदक घटनास्थल से चले गए क्योंकि कांस्टेबल आवेदक के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा था । तारीख 22 अगस्त, 2009 को आवेदक पुलिस थाने गया और थाना अधिकारी पुलिस प्रदीप गुस्सैन को घटना के बारे में बताया जिन्होंने आवेदक से कहा कि भगत सिंह जिला न्यायाधीश का गार्ड था और उसे मामले की रिपोर्ट करने से मना किया गया क्योंकि इससे समस्या पैदा होगी । यह भी कहा गया है कि उसके पश्चात् तारीख 23 सितंबर, 2009

को विपक्षी पक्षकार ने यह अभिकथित करते हुए उत्तरकाशी के कोतवाली पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह विपक्षी पक्षकार संख्या 2 उत्तरकाशी के जिला न्यायाधीश के बंगले पर ड्यूटी पर था तथा तारीख 21 सितंबर, 2009 को रात लगभग 8:30 बजे एक व्यक्ति (वर्तमान आवेदक) जो पिए हुए था । उच्च अधिकारियों को अपमानजनक शब्द बोलते हुए विश्वनाथ चौक की ओर जा रहा था और जब उसने रोका तो आवेदक ने विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को मारने की धमकी दी और वहां से भाग गया । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन 2009 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 82 के रूप में दर्ज की गई ।

5. शपथपत्र के पैरा 7 में यह कहा गया है कि सभी कार्य उत्तरकाशी के जिला न्यायाधीश के अनुदेशों पर विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा किया गया था । उत्तरकाशी के जिला न्यायाधीश के विरुद्ध प्रयुक्त मानहानि-जनक शब्दों का ब्यौरा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रकट नहीं किया गया था । उत्तरकाशी का जिला न्यायाधीश डी. जी. सी. (राजस्व) आवेदक के पिता के विरुद्ध पक्षपात रखता था और आवेदक को बली का बकरा बनाया गया था और विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की कार्रवाई द्वारा तंग किया गया । डी. जी. सी. ने उत्तराखण्ड के माननीय उच्च न्यायालय के महा रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा (जिस पत्र की प्रति उपाबंध 5 के रूप में संलग्न है) में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने का भी निर्णय किया गया था । पैरा 12 में यह भी कहा गया था कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों को उनके देखने मात्र से स्वीकार नहीं किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता ।

6. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अभिलेख के दस्तावेज़ के परिशीलन से यह इंगित होता है कि प्रथमदृष्ट्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन दण्डनीय अपराध आवेदक के विरुद्ध बनता है । जब आवेदन के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन दर्ज कराई गई थी । अन्वेषण के दौरान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के अधीन अपराध को अभिकथित अपराध की पंक्ति में सम्मिलित किया गया । आवेदक ने अभिकथित रूप से इत्तिलाकर्ता जो लोक सेवक था और लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था के विरुद्ध आक्रमण नहीं किया

और आपराधिक बल का भी प्रयोग नहीं गया । आवेदक का लोक सेवक के रूप में उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से उस व्यक्ति को निवारित करने भयोपरत करने का कोई आशय नहीं था । अभियुक्त आवेदक ने अभिकथित रूप से ऐसे लोक सेवक को उसके कर्तव्य के विधिसम्मत निर्वहन में इत्तिलाकर्ता को बाधा नहीं पहुंचाई अतः आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं बनता ।

7. **अमित कपूर** बनाम **रमेश चन्द्र और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग की बाबत कतिपय सिद्धांत अधिकथित किए । उसमें एक सिद्धांत यह है कि न्यायालय को ऐसी कसौटी को लागू करना चाहिए कि क्या मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ों के अधीन भी यथानिर्मित अविवादित अभिकथनों से प्रथमदृष्ट्या अपराध साबित होता है या नहीं । यह अभिकथन प्रकटतः इतने बेतुके और स्वभावतः असंभाव्य हैं कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति कभी भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकता और जहां अपराध के आधारभूत तत्वों की पूर्ति नहीं होती है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है । जहां किसी अपराध के तथ्यात्मक आधार अधिकथित किए गए हैं वहां न्यायालयों को अनिच्छुक रहना चाहिए और इस आधार पर भी कार्यवाहियों को अभिखण्डित करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि एक या दो तत्व बताए नहीं गए हैं या समाधानप्रद प्रतीत नहीं होते यदि अपराध की अपेक्षाओं का सारवान् पालन हो । उच्च न्यायालय को असम्यक् रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । यह विचार करना चाहिए कि क्या मामले की समाप्ति पर दोषसिद्धि होगी या नहीं, पर विचार करते हुए साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षा की आवश्यकता नहीं है । जहां ऐसे शक्ति का प्रयोग पूर्णतः न्याय की प्रकट अवहेलना को निवारित करने के लिए आवश्यक है और कुछ कठोर त्रुटि जो ऐसे मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा का सुधार करने के लिए किए जाते हैं का आरंभ में ही अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियोजन का गला घोंटने के लिए हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी यह है कि न्यायालयों को यह देखना चाहिए कि वह यह अभिधारित करने के लिए अभिलेख के तथ्यों, साक्ष्यों या सामग्री की परीक्षा नहीं कर सकते कि क्या ऐसी पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर मामले में दोषसिद्धि की जा सकती है । न्यायालय को प्रथमदृष्ट्या समग्रतः किए

---

[1] (2003) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 986.

गए अभिकथन पर विचार करना है कि क्या उसे अपराध गठित होता है, यदि हां, तो क्या यह अन्याय को बढ़ाने के लिए न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है । यदि अभिलेख से अपराध का किया जाना प्रकट होता है और अपराध के तत्वों के होने का समाधान होता है तो ऐसी आपराधिक कार्यवाही को मात्र इस कारण अभिखण्डित नहीं किया जा सकता है कि सिविल दोष भी किया गया है । शक्ति का प्रयोग विधिसम्मत अभियोजन को दबाने या गला घोंटने के लिए नहीं कहा जा सकता । यदि तथ्यात्मक आधार और अपराध के तत्वों के होने की पुष्टि होती है तो न्यायालय अपनी आरंभिक अधिकारिता के प्रयोग में परिवाद को खारिज या ऐसी कार्यवाही को अभिखण्डित नहीं करेंगे ।

8. इस प्रक्रम पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन निहित अधिकारिता के प्रयोग में अभियुक्त-आवेदक के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही को अभिखण्डित करने की कोई गुजांइश नहीं है जैसाकि **राजीव थापर और अन्य** बनाम **मदन लाल कपूर**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिकथित विधि से प्रकट होता है । उक्त विनिर्णय के पैराग्राफ 28 को सुविधा की दृष्टि से नीचे दोहराया जा रहा है :–

> "28. उच्च न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उचित और तर्कसंगत विकल्प का चुनाव करना चाहिए । यह अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन या परिवादी द्वारा लगाए गए अभिकथन की सत्यता या अन्यथा का मूल्यांकन करने का प्रक्रम नहीं है । इसी प्रकार, यह ऐसा अवधारण करने का प्रक्रम नहीं है कि अभियुक्त की ओर से उठाई गई प्रतिरक्षा कितनी दमदार है । यदि अभियुक्त अभियोजन/परिवादी द्वारा लगाए गए अभिकथनों में कुछ संदिग्धता या संदेह दर्शाने में सफल होता है तो भी विचारण के पूर्व अभियुक्त को उन्मोचित करने की अनुज्ञेय नहीं होगा । यह ऐसा इसलिए है कि क्योंकि यह अभियोजन या परिवादी को इसे सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिए बिना अभियोजन/परिवादी द्वारा लगाए गए अभियोगों को अंतिम रूप प्रदान करती है । तथापि, प्रतिकूलतः भी सही नहीं है, क्योंकि यदि विचारण आरंभ किया जाता है तो अभियुक्त को अपूरणीय परिणाम नहीं भुगतना होगा । अभियुक्त भी विधि के

---

[1] (2013) 3 एस. सी. सी. 330 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. (क्रिमिनल) 659.

अनुसार साक्ष्य पेश कर अपनी प्रतिरक्षा सिद्ध कर सफल होने की स्थिति में होगा । ऐसी विधिक स्थिति घोषित करते हुए न्यायालय द्वारा अनेक निर्णय लिए गए हैं कि ऐसी दशा में जहां अभियोजन/परिवादी ने लगाए आरोपों के सभी तत्वों को स्पष्ट करते हुए अभिकथन लगाए हैं और न्यायालय के समक्ष सामग्री प्रस्तुत है कि लगाए गए अभिकथन की सत्यता के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य दिए हैं, वहां विचारण अवश्य किया जाना चाहिए ।"

9. इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन अभियुक्त आवेदक के विरुद्ध अपराध का आधार पर प्रस्तुत किया गया है किंतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के अधीन प्रथमदृष्ट्या कोई अपराध नहीं बनता यदि सम्पूर्ण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को ठीक तरह से देखा जाए ।

10. इसके परिणामस्वरूप, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के अधीन अभियुक्त-आवेदक को समन करने की बाबत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन मंजूर किए जाने योग्य है । तद्नुसार इसे भागतः मंजूर किया जाता है । जहां तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के अधीन दण्डनीय अपराध को अभिखण्डित किए जाने की बाबत मंजूर किया जाता है यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन दण्डनीय अपराधों के बाबत खारिज किया जाता है, जिसके लिए अभियुक्त-आवेदक को पहले ही उत्तरकाशी के सेशन न्यायाधीश द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का निदेश दिया गया है ।

11. तथापि, आवेदक को समुचित प्रक्रम पर अपना उन्मोचन या दोषमुक्ति प्राप्त करने के लिए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी (विचारण न्यायालय) के समक्ष सभी तथ्यात्मक अभिवाकों को उठाने की स्वतंत्रता दी जाती है ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

पां.

थामसन और
एक अन्य वाला मामला

तारीख 12 फरवरी, 2014

न्यायमूर्ति के. रामकृष्णन

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 209 [सपठित अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 (1956 का 93) – धारा 3(1)(ख), प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 4) – धारा 63 और 68क और बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2006 (2006 का 4) – धारा 25] – मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी – अश्लील तस्वीरों वाली जाली सी.डी. को किराए पर देने और बेचने के आशय से दुकान में प्रदर्शित करना – अभियुक्त के कार्य से बालक के किसी अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ने या संव्यवहार में किसी बालक के अंतर्वलित न होने के कारण मामले की कार्यवाही बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन नहीं की जाएगी बल्कि विधि के अनुसार मजिस्ट्रेट न्यायालय मामले का निपटान करने के लिए सक्षम है ।

मामले में अभियोजन का यह पक्षकथन था कि तारीख 29 जुलाई, 2006 को शाम लगभग 7:15 बजे पुलिस थाने ने अभियुक्त को अश्लील तस्वीर और भिन्न-भिन्न फिल्मों की जाली सी. डी. प्रदर्शित करते हुए पाया जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण कर रहा था और इसका आशय या तो बेचना या किराए पर देना था । यह पल्लीपुरम ग्राम के अंगादी भागम में "थॉमस सी. डी." नाम से प्रदर्शित किया गया था । अन्वेषण के पश्चात्, उत्तरी पारावुर के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-I को अंतिम रिपोर्ट फाइल की गई, और उस न्यायालय द्वारा फाइल पर ग्रहण किया गया । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने सी. सी. संख्या 658/2006 के रिपोर्ट में मामला संज्ञान लिया । बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 25 के अधीन विशेष न्यायालय की स्थापना के पश्चात् मजिस्ट्रेट ने यह मत व्यक्त किया कि मामले पर आगे कार्यवाही करने की अपनी अधिकारिता खो दी है और इस प्रकार सी. पी. संख्या 150/2010 के आदेश के अनुसार भारतीय सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया । जब यह एर्नाकुलम के विद्वान् सेशन न्यायाधीश को प्राप्त हुआ तो विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह विचार किया कि निचले न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी आदेश

उचित नहीं था यह बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 25 की परिधि के भीतर आएगा क्योंकि मामले में कोई बालक अंतर्विष्ट नहीं है सुपुर्दगी आदेश को अभिखण्डित करने हेतु इच्छा व्यक्त की तथा मजिस्ट्रेट को मामले के विचारण में आगे कार्यवाही करने का निदेश दिया । अतः यह निर्देश उद्भूत हुआ । अभियुक्त को नोटिस भेजा गया किंतु वह अनुपस्थित रहा । निर्देश का निपटान करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 63 और धारा 68(क) के साथ पठित धारा 51 के अधीन की धारा 63 प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन के लिए दण्ड के संबंध में है और यह 6 मास से अन्यून नहीं होगा किंतु यह 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 50,000/- रुपए से अन्यून नहीं होगा किंतु जो 2,00,000/- रुपए तक का हो सकेगा । प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 63 और धारा 68(क) के साथ पठित धारा 51 के अधीन अधिनियम की धारा 68(क) अधिनियम की धारा 52(क) के उल्लंघन के लिए शास्ति विहित करती है जो तीन वर्ष के कारावास तक का हो सकेगा न तो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 63 और धारा 68(क) के साथ पठित धारा 51 के अधीन अधिनियम न ही अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर का प्रकाशन) अधिनियम सम्बद्ध अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची 2 यह दर्शित करती है कि इस प्रकृति के अपराधों का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाए । इसके अतिरिक्त, उस मामले के अभिलेखों पर मामले में कुछ वर्णित नहीं है कि कोई बालक प्रभावित हुआ या उससे बालक के अधिकार प्रभावित हुए । इस मामले में किसी बालक का कोई अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त कोई बालक इस संव्यवहार में अन्तर्वलित नहीं है इस प्रकार इन प्रयासों में मजिस्ट्रेट का इस अनुमान पर मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने का आदेश कि यह बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों के अधीन आएंगे, विधि में असंधार्य है और सी. पी. संख्या 150/2010 में विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सुपुर्दगी आदेश अभिखण्डित किए जाने योग्य है । इस प्रकार, सी. पी. संख्या 150/2010 (मुनाम्बम पुलिस थाने) के अपराध संख्या 180/2006 में सी. सी. संख्या (658/2006) में मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करते हुए विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सुपुर्दगी आदेश अपास्त किया जाता है और यह मजिस्ट्रेट न्यायालय को अंतरित किया जाता है तथा मजिस्ट्रेट को विधि के

अनुसार मामले का निपटान करने का निदेश दिया जाता है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश को मामले के निपटान के लिए अभिलेख को विद्वान् मजिस्ट्रेट न्यायालय को अंतरित करने को निदेश दिया जाता है । (पैरा 9)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2011] 2011 (4) के. एल. टी. 1003 :
अब्दुल अज़ीज बनाम **पुलिस समिति निरीक्षक** । 9

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक निर्देश सं. 7.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 395 के अधीन निर्देश ।

अपीलार्थी की ओर से –

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एन. सुरेश, लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति के. रामकृष्णन – यह निर्देश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 395 के अधीन एर्नाकुलम के सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए निर्देश के अनुरोध के आधार पर विचारार्थ है ।

2. एर्नाकुलम पुलिस थाने में अपराध संख्या 180/2006 भारतीय दंड संहिता की धारा 292, अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(ख) और प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 63 और 68क के साथ पठित धारा 51 के अधीन अभिकथित अपराधों के लिए अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज किया गया था ।

3. मामले में अभियोजन का यह पक्षकथन था कि तारीख 29 जुलाई, 2006 को शाम लगभग 7:15 बजे पुलिस थाने ने अभियुक्त को अश्लील तस्वीर और भिन्न-भिन्न फिल्मों की जाली सी. डी. प्रदर्शित करते हुए पाया जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण कर रहा था और इसका आशय या तो बेचना या किराए पर देना था । यह पल्लीपुरम ग्राम के अंगादी भागम में "थॉमस सी. डी." नाम से प्रदर्शित किया गया था । अन्वेषण के पश्चात्, उत्तरी पारावुर के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-I को अंतिम रिपोर्ट फाइल की गई, और उस न्यायालय द्वारा फाइल पर ग्रहण किया गया । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने सी. सी. संख्या 658/2006 के रिपोर्ट में मामला संज्ञान लिया । बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 25 के अधीन विशेष न्यायालय की स्थापना के पश्चात् मजिस्ट्रेट ने यह मत व्यक्त किया कि मामले पर आगे कार्यवाही करने की

अपनी अधिकारिता खो दी है और इस प्रकार सी. पी. संख्या 150/2010 के आदेश के अनुसार भारतीय सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया । जब यह एर्नाकुलम के विद्वान् सेशन न्यायाधीश को प्राप्त हुआ तो विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह विचार किया कि निचले न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी आदेश उचित नहीं था यह बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 25 की परिधि के भीतर आएगा क्योंकि मामले में कोई बालक अंतर्विष्ट नहीं है सुपुर्दगी आदेश को अभिखण्डित करने हेतु इच्छा व्यक्त की तथा मजिस्ट्रेट को मामले के विचारण में आगे कार्यवाही करने का निदेश दिया । अतः यह निर्देश उद्भूत हुआ । अभियुक्त को नोटिस भेजा गया किंतु वह अनुपस्थित रहा ।

4. विद्वान् लोक अभियोजक को भी सुना गया ।

5. सेशन न्यायालय द्वारा भेजे गए निर्देश पत्र के देखने से यह लगता है कि मुनाम्बम पुलिस थाने के पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा मामले का पता लगाया गया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(ख) और प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 63 और धारा 68(क) के साथ पठित धारा 51 के अधीन अभिकथित अपराधों के लिए अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सं. 180/2006 दर्ज किया गया ।

6. अभियोजन का यह पक्षकथन था कि तारीख 29 जुलाई, 2006 को शाम लगभग 7:15 बजे पुलिस दल को यह पता चला कि अभियुक्त प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण में पल्लीपुरम ग्राम के अंगादी भागम में "थॉमस सी. डी." नाम की अपनी दुकान में विक्रय या किराए के प्रयोजन से अश्लील तस्वीरों और विभिन्न फिल्मों की कुछ जाली सीडियों को प्रदर्शित कर रहा था और अभियुक्त का कार्य नवयुवकों के विचारों को दूषित करने के समान होगा तथा यौन अपराध प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करेगा और तद्द्वारा उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(ख) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 63 और धारा 68(क) के साथ पठित धारा 51 के अधीन दण्डनीय अपराध किया । अन्वेषण के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने उत्तरी पारावुर के न्यायिक प्रथम वर्ग न्यायालय संख्या-I के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने आरंभतः सी. सी. संख्या 658/2006 के रूप में मामले का संज्ञान लिया । जब मामला उस न्यायालय के समक्ष लंबित था उसी समय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन बालकों

और उनके अधिकारों को प्रभावित करने वाले अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में मुख्य सेशन न्यायालय को अभिहित किया गया । मजिस्ट्रेट ने यह सोचा कि यह मामला उस प्रवर्ग के अधीन आएगा और मामले को सी. पी. 150/2010 में तारीख 5 अप्रैल, 2011 के आदेश के अनुसार मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया ।

7. अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(क) अपहानि कर प्रकाशन को परिभाषित करती है जो इस प्रकार है :–

> "(क) "अपहानिकर अधिकार प्रकाशन" से किसी पुस्तक, पत्रिका, पैम्फ्लेट, पत्रिका, समाचारपत्र या अन्य इसी तरह के प्रकाशन अभिप्रेत हैं जिसमें तस्वीर की सहायता से या तस्वीर की सहायता के बिना या पूर्णतः तस्वीर से कहानियों का प्रदर्शन किया जाता है जो पूर्णतः या मुख्यतः निम्न का प्रदर्शन करते हैं –
>
> (i) अपराधों का किया जाना; या
>
> (ii) हिंसा या क्रूरता का कार्य या,
>
> (iii) घृणात्मक या भयावह प्रकृति की घटनाएं ऐसी रीति में पूर्णतः प्रकाशन ऐसे अल्पवय व्यक्ति को भ्रष्ट कर देने की प्रवृत्ति रखता है जिसके हाथों में यह पड़ेगा चाहे उत्प्रेरित कर या प्रोत्साहित कर उसे अपराध या हिंसा या क्रूरता का कार्य या किसी अन्य प्रकार से जो भी हो प्रभावित करेगा ।"

8. अधिनियम की धारा 3 दण्ड के संबंध में है जो छः महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का हो सकेगा ।

9. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 63 और धारा 68(क) के साथ पठित धारा 51 के अधीन की धारा 63 प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन के लिए दण्ड के संबंध में है और यह 6 मास से अन्यून नहीं होगा किंतु यह 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 50,000/- रुपए से अन्यून नहीं होगा किंतु जो 2,00,000/- रुपए तक का हो सकेगा । प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 63 और धारा 68(क) के साथ पठित धारा 51 के अधीन अधिनियम की धारा 68(क), अधिनियम की धारा 52(क) के उल्लंघन के लिए शास्ति विहित करती है जो तीन वर्ष के कारावास तक का हो सकेगा न तो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 63 और धारा 68(क) के साथ पठित धारा 51 के अधीन अधिनियम न ही अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर का प्रकाशन) अधिनियम सम्बद्ध अधिनियम के अधीन

अपराधों के विचारण के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची 2 यह दर्शित करती है कि इस प्रकृति के अपराधों का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाए । इसके अतिरिक्त, उस मामले के अभिलेखों पर मामले में कुछ वर्णित नहीं है कि कोई बालक प्रभावित हुआ या उससे बालक के अधिकार प्रभावित हुए । **अब्दुल अज़ीज** बनाम **पुलिस समिति निरीक्षक**[1] वाले मामले में प्रकाशित विनिश्चय में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केवल यदि कोई बालक अन्तर्वलित है या बालक पर हमला किया गया है या बालक के अधिकार प्रभावित हुआ है तो बालक का अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने की आवश्यकता है । इस मामले में किसी बालक का कोई अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त कोई बालक इस संव्यवहार में अन्तर्वलित नहीं है इस प्रकार इन प्रयासों में मजिस्ट्रेट का इस अनुमान पर मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने का आदेश कि यह बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों के अधीन आएंगे, विधि में असंधार्य है और सी. पी. संख्या 150/2010 में विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सुपुर्दगी आदेश अभिखण्डित किए जाने योग्य है । इस प्रकार, सी. पी. संख्या 150/2010 (मुनाम्बम पुलिस थाने) के अपराध संख्या 180/2006 में सी. सी. संख्या (658/2006) में मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करते हुए विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सुपुर्दगी आदेश अपास्त किया जाता है और यह मजिस्ट्रेट न्यायालय को अंतरित किया जाता है तथा मजिस्ट्रेट को विधि के अनुसार मामले का निपटान करने का निदेश दिया जाता है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश को मामले के निपटान के लिए अभिलेख को विद्वान् मजिस्ट्रेट न्यायालय को अंतरित करने को निदेश दिया जाता है ।

उपरोक्त निदेश और मताभिव्यक्ति के साथ इस निर्देश का उत्तर दिया जाता है और निपटाया जाता है ।

निर्देश का निपटान किया गया ।

पां.

---

[1] 2011 (4) के. एल. टी. 1003.

येंगपी इमलोंग चांग

बनाम

नागालैंड राज्य

तारीख 3 मार्च, 2014

न्यायमूर्ति पी. के. सैकिया

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 [राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का 65) – धारा 13(3)] – निरोध – अधिनियम और नागालैंड सरकार की सरकारी कारबार नियम की अपेक्षा के अनुसार मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में मंत्री महोदय को ही निरोधादेश का अनुमोदन करने का प्राधिकार है, क्योंकि निरोधादेश का अनुमोदन मुख्य सचिव या संबद्ध मंत्री द्वारा नहीं किया गया अतः अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित निरोधादेश अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

यह कार्यवाही ट्यूएनसांग के विद्वान् जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 8 जुलाई, 2013 के निरोधादेश, नागालैंड सरकार के अपर मुख्य सचिव द्वारा पारित तारीख 15 जुलाई, 2013 के अनुमोदन आदेश और नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव द्वारा पारित तारीख 2 सितंबर, 2013 के पुष्टिकरण आदेश, जिसके द्वारा और जिसके अधीन याची का निरोध तारीख 8 जुलाई, 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, को अभिखंडित किए जाने के प्रयोजनार्थ आरंभ की गई । वर्तमान कार्यवाही के निस्तारण के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची येंगपी इमलोंग चांग को 23 आसाम राइफल्स कार्मिकों द्वारा तारीख 26 जून, 2013 को ट्यूएनसांग के सेंहजान, सेक्टर-ए से कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया था और ट्यूएनसांग पुलिस थाना को यह अभिकथित करते हुए सौंप दिया गया था कि याची नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (खेपलांग) का सक्रिय सदस्य है और उसने नागरिक क्षेत्र में आयुध और गोला बारूद और युद्ध में प्रयोग होने वाली सामग्रियों को रखे जाने के द्वारा युद्ध विराम के बुनियादी नियमों का अतिक्रमण किया है । जब याची/बंदी अभिरक्षा में था, तो विद्वान् जिला मजिस्ट्रेट ने तारीख 8 जुलाई, 2013 को 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम संक्षेप में 1980 का अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आक्षेपित निरोधादेश पारित कर दिया और जैसाकि अपेक्षित था उस

आदेश को उच्चतर प्राधिकारियों को संसूचित कर दिया । उसी दिन बंदी को निरोध के आधारों के बारे में भी संसूचित किया गया था । इसी दौरान नागालैंड सरकार के अपर मुख्य सचिव ने तारीख 8 जुलाई, 2013 के अनुमोदन आदेश द्वारा निरोधादेश का अनुमोदन कर दिया । अब याची ने निरोधादेश, अनुमोदन आदेश और पुष्टिकरण आदेश को अनेक आधारों पर चुनौती देते हुए इस न्यायालय की शरण ली है । निरोधादेश और अन्य पश्चात्वर्ती आदेशों को अभिखंडित किए जाने की ईप्सा करने के लिए जिन आधारों का आश्रय लिया गया है, उनमें से एक आधार यह है कि नागालैंड सरकार के अपर मुख्य सचिव, जिसने निरोधादेश का अनुमोदन किया था, निरोधादेश का अनुमोदन करने के लिए सक्षम नहीं था चूंकि कार्यकारी कारबार के नियमों के अधीन इस प्रकार की शक्ति केवल नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव को प्राप्त है । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने पक्षों के अभिवचनों और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों और साथ ही विनिश्चयों, जिनका अवलंब याची द्वारा लिया गया, के संबंध में दिए गए परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया । न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यद्यपि याची ने ऊपरवर्णित आदेशों पर अनेक आधारों पर आक्रमण किया है, फिर भी सुनवाई के दौरान उसने अपनी दलीलों को केवल इस दलील तक सीमित रखा कि तारीख 15 जुलाई, 2013 के निरोधादेश के अनुमोदन का आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है चूंकि अधिकारी जिसने इस आदेश का अनुमोदन किया, ऐसा करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित सक्षमता नहीं रखता था । न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रकाश में इन निवेदनों पर विचार किया है । प्रस्तुत मामले पर विचार करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस तथ्य के बाबत कोई विवाद नहीं है कि कार्यकारी कारबार नियम के अधीन केवल नागालैंड सरकार का मुख्य सचिव ही 1980 के अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य सरकार के नाम में निरोधादेश का अनुमोदन/पुष्टि करने के लिए प्राधिकृत है । किंतु वह इन शक्तियों का प्रयोग किसी स्थायी आदेश के अंतर्गत, संबद्ध मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में करता है जिसको वह किसी अन्य को पुनः प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, चूंकि विधि अनुसार प्रत्यायोजित प्राधिकार का पुनः प्रत्यायोजित किया जाना अनुज्ञेय नहीं होता । इस तथ्य के बाबत कोई विवाद नहीं है कि नागालैंड सरकार के अपर मुख्य सचिव और न कि मुख्य सचिव ने तारीख 15 जुलाई, 2013 का अनुमोदन आदेश जारी किया था । चूंकि पूर्वोक्त नियम के अधीन अपर मुख्य सचिव निरोधादेश का अनुमोदन/पुष्टि करने के लिए

प्राधिकृत नहीं था और चूंकि प्रत्यायोजित प्राधिकार का पुनः प्रत्यायोजन विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय नहीं होता, न्यायालय के विचार में, मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में संबंद्ध मंत्री को निरोधादेश का अनुमोदन करना चाहिए था । क्योंकि नागालैंड सरकार के अपर मुख्य सचिव ने अपेक्षित रूप से अर्हित हुए बिना ही तारीख 15 जुलाई, 2013 का अनुमोदन आदेश जारी किया था, वह आदेश 2013 की रिट याचिका सं. 20(के) में दिए गए विनिश्चय को दृष्टि में रखते हुए मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है । परिणामतः, न्यायालय का यह विचार है कि तारीख 8 जुलाई, 2013 का निरोधादेश और तारीख 15 जुलाई, 2013 को पारित अनुमोदन आदेश को सम्मिलित करते हुए समस्त पश्चात्वर्ती आदेश, जिनको इस कार्यवाही में आक्षेपित किया गया है, अभिखंडित किए जाने योग्य है । (पैरा 12, 14, 15, 16 और 17)

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक रिट याचिका सं. 33(के).

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री आई. इमती लांगूचर, के. रेनपेमों, (सुश्री) लिमानारों, जोंगपोंग सांगबा, हिसेनलो हिंब, केखरीसेतू (सुश्री) तिंजेगला और लिपोकमर

प्रत्यर्थी की ओर से सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति पी. के. सैकिया – याची के विद्वान् काउंसेल श्री के. रेनपेमों को सुना । नागालैंड राज्य के विद्वान् लोक अभियोजन श्री के. बोतसा को भी सुना ।

2. यह कार्यवाही ट्यूएनसांग के विद्वान् जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 8 जुलाई, 2013 के निरोधादेश, नागालैंड सरकार के अपर मुख्य सचिव द्वारा पारित तारीख 15 जुलाई, 2013 के अनुमोदन आदेश और नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव द्वारा पारित तारीख 2 सितंबर, 2013 के पुष्टिकरण आदेश, जिसके द्वारा और जिसके अधीन याची का निरोध तारीख 8 जुलाई, 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, को अभिखंडित किए जाने के प्रयोजनार्थ आरंभ की गई ।

3. वर्तमान कार्यवाही के निस्तारण के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची येंगपी इमलोंग चांग को 23 आसाम राइफल्स कार्मिकों द्वारा

तारीख 26 जून, 2013 को ट्यूएनसांग के सेंहजान, सेक्टर-ए से कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया था और ट्यूएनसांग पुलिस थाना को यह अभिकथित करते हुए सौंप दिया गया था कि याची नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (खेपलांग) का सक्रिय सदस्य है और उसने नागरिक क्षेत्र में आयुध और गोला बारूद और युद्ध में प्रयोग होने वाली सामग्रियों को रखे जाने के द्वारा युद्ध विराम के बुनियादी नियमों का अतिक्रमण किया है ।

4. यह भी अभिकथित किया गया है कि याची नागालैंड राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था कायम रखे जाने पर गंभीर परिणाम रखने वाले अनेक विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त था । तद्नुसार, याची/बंदी के विरुद्ध 1962 के नागालैंड सुरक्षा विनियम की धारा 7/8 सपठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क) के अधीन पुलिस थाना ट्यूएनसांग में 2013 का मामला सं. 12 रजिस्ट्रीकृत किया गया और उसको सम्यक् अनुक्रम में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया ।

5. जब याची/बंदी अभिरक्षा में था, तो विद्वान् जिला मजिस्ट्रेट ने तारीख 8 जुलाई, 2013 को 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम संक्षेप में 1980 के अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आक्षेपित निरोधादेश पारित कर दिया और जैसाकि अपेक्षित था उस आदेश को उच्चतर प्राधिकारियों को संसूचित कर दिया । उसी दिन बंदी को निरोध के आधारों के बारे में भी संसूचित किया गया था । इसी दौरान नागालैंड सरकार के अपर मुख्य सचिव ने तारीख 8 जुलाई, 2013 के अनुमोदन आदेश द्वारा निरोधादेश का अनुमोदन कर दिया ।

6. तत्पश्चात् तारीख 2 सितंबर, 2013 को नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव ने निरोधादेश की पुष्टि करते हुए आदेश पारित कर दिया, तद्द्वारा याची/बंदी के निरोध को तारीख जिसको उसका निरोधादेश पारित किया गया था, से एक वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकृत कर दिया । इसी दौरान, याची ने निरोधादेश को रद्द किए जाने की ईप्सा करते हुए एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जिसको संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ।

7. अब याची ने निरोधादेश, अनुमोदन आदेश और पुष्टिकरण आदेश को अनेक आधारों पर चुनौती देते हुए इस न्यायालय की शरण ली है । निरोधादेश और अन्य पश्चात्वर्ती आदेशों को अभिखंडित किए जाने की ईप्सा करने के लिए जिन आधारों का आश्रय लिया गया है, उनमें से एक आधार यह है कि नागालैंड सरकार के अपर मुख्य सचिव, जिसने

निरोधादेश का अनुमोदन किया था, निरोधादेश का अनुमोदन करने के लिए सक्षम नहीं था चूंकि कार्यकारी कारबार के नियमों के अधीन इस प्रकार की शक्ति केवल नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव को प्राप्त है ।

8. इस संबंध में हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि 1980 के अधिनियम की धारा 3(4) के अधीन 1980 के अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा पारित निरोधादेश का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा वह आदेश पारित किए जाने की तारीख से 12 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए । कार्यकारी कारबार के नियमों के अधीन राज्य सरकार, जैसाकि 1980 के अधिनियम में अनुध्यात किया गया है का अर्थ भारसाधक मंत्री या इंतजाम के अंतर्गत ऐसे मंत्री की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी में होगा, जैसाकि पूर्ववर्ती नियमों द्वारा अनुध्यात किया गया है ।

9. यह दलील दी गई है कि ऊपरवर्णित नियमों के अधीन स्थायी आदेश के आधार पर केवल नागालैंड सरकार का मुख्य सचिव 1980 के अधिनियम की धारा 3(4) के निबंधनों के अनुसार मंत्री की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत है । इसलिए किसी अधिकारी जो 1980 के अधिनियम की धारा 3(4) की अपेक्षा का अतिक्रमण करने का निर्णय लेता है, का कार्य विधि की दृष्टि में मान्य न ठहराए जाने योग्य होता है ।

10. चूंकि नागालैंड सरकार के अपर मुख्य सचिव को पूर्वोक्त नियमों के अधीन निरोधादेश का अनुमोदन प्रदान करने का कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं है निरोधादेश और समस्त अन्य पश्चात्वर्ती आदेश इसी आधार पर अभिखंडित किए जाने योग्य हैं । इस दलील के समर्थन में याची/बंदी के विद्वान् काउंसेल ने 2013 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 20(के) में तारीख 13 फरवरी, 2013 को पारित इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया ।

11. राज्य/प्रत्यर्थी ने खंडन शपथपत्र फाइल किया और कार्यवाही का विरोध यह अभिकथित करते हुए किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल की गई वर्तमान कार्यवाही में किए गए अभिकथन विधि की दृष्टि में मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं हैं और याची द्वारा आरंभ की गई कार्यवाही खारिज किए जाने योग्य है । यह अभिकथित किया है कि यह सत्य है कि अनुमोदन आदेश नागालैंड सरकार के अपर मुख्य सचिव द्वारा पारित किया गया था किंतु उसको ऐसा इसलिए करना पड़ा चूंकि वह

तारीख 15 जुलाई, 2013 को नागालैंड राज्य के नियमित मुख्य सचिव के राज्य से बाहर होने के कारण सरकार के मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहा था ।

12. मैंने पक्षों के अभिवचनों और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों और साथ ही विनिश्चयों, जिनका अवलंब याची द्वारा लिया गया, के संबंध में दिए गए परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यद्यपि याची ने ऊपरवर्णित आदेशों पर अनेक आधारों पर आक्रमण किया है, फिर भी सुनवाई के दौरान उसने अपनी दलीलों को केवल इस दलील तक सीमित रखा कि तारीख 15 जुलाई, 2013 के निरोधादेश के अनुमोदन का आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है चूंकि अधिकारी जिसने इस आदेश का अनुमोदन किया, ऐसा करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित सक्षमता नहीं रखता था । मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रकाश में इन निवेदनों पर विचार किया है ।

13. 2013 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 20(के) में पारित तारीख 13 फरवरी, 2013 के आदेश का सुसंगत भाग तत्कालिक निदेश के तौर पर नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है :–

> "16. यद्यपि याची ने दलीलों के दौरान पूर्वोक्त आदेश(शों) पर विभिन्न आधारों पर आक्रमण किया, उसने अपनी दलीलों को केवल इस अभिकथन तक सीमित रखा कि तारीख 8 जुलाई, 2013 का आदेश विधि की दृष्टि में अस्तित्वहीन है चूंकि इसको मुख्य सचिव द्वारा नहीं बल्कि अपर मुख्य सचिव द्वारा पारित किया गया था जिसको नागालैंड सरकार के कार्यकारी कारबार नियम के नियम 22 के अधीन निरोधादेश का अनुमोदन करने की अपेक्षित सक्षमता प्राप्त नहीं थी ।
>
> इस दावे के समर्थन में याची/बंदी के विद्वान् काउंसेल ने अब्दुल हुसैन **बनाम** भारत संघ [2012 (2) जी. एल. टी. 358] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय को मेरे समक्ष निर्दिष्ट किया । सुसंगत भाग को नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है –
>
> > '9. तारीख 28 जुलाई, 1980 को अधिसूचित नागालैंड सरकार के कार्यकारी कारबार नियम सुसंगत हैं । भाग-3 कारबार के विभागीय निस्तारण को विचारित करता है । नियम 22 इस प्रकार है –

मामलों का निस्तारण सामान्यतया किन्हीं अन्य नियमों द्वारा अन्यथा रूप से उपबंधित के सिवाय भारसाधक मंत्री के प्राधिकार द्वारा या अधीन किया जाएगा जो स्थायी आदेशों के माध्यम से ऐसे निदेश दे सकेगा जैसा विभाग में मामले के निस्तारण के लिए उचित प्रतीत करे, ऐसे स्थायी आदेश की प्रतियां राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजी जाएंगी ।'

17. उपरोक्त नियम के परिशीलन से दर्शित होता है कि सामान्यतया मामलों का निस्तारण भारसाधक मंत्री के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किया जाना होता है किंतु वह स्थायी आदेशों द्वारा मामलों, जिनको वह उचित समझता है, के निस्तारण के लिए ऐसे निदेश जैसा उचित प्रतीत करे, दे सकता है । भाग-1 नियम 12 में सरकार के आदेशों या लिखतों के प्रमाणीकरण के बाबत प्रावधान समाविष्ट हैं जो उन प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट करते हैं जो आदेशों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं ।

18. अतः यह स्पष्ट है कि चूंकि राज्य सरकारें भिन्न समयकाल में भिन्न होगीं, प्राधिकृत अधिकारी और विनिश्चय करने का प्राधिकार भी भिन्न होगा, जब तक कि मंत्रालय के किसी समुचित स्थायी आदेश द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं कर दिया जाए ।

19. प्रस्तुत मामले पर पुनः विचार करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि तारीख 28 मई, 2012 के आदेश के अंतर्गत अभिकथित तथ्य अविवादित हैं, अतः मुख्य सचिव को 1980 के अधिनियम के अधीन पारित निरोधादेश का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । इस तथ्य के बाबत कोई विवाद नहीं है कि निरोधादेश का अनुमोदन मुख्य सचिव द्वारा नहीं किया गया था । फिर भी उस आदेश का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव द्वारा किया गया था जो उस दिवस को जब निरोधादेश का अनुमोदन किया गया, कार्यवाहक मुख्य सचिव था ।

20. **अब्दुल हुसैन** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय के प्रकाश में नागालैंड सरकार के कार्यकारी कारबार नियम के नियम 22 का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल नियमित मुख्य सचिव निरोधादेश का अनुमोदन करने को प्राधिकृत है । यदि तारीख 28 मई, 2012 के आदेश के लेखक का आशय निरोधादेश के अनुमोदन के प्रयोजनार्थ मुख्य सचिव के अलावा किसी

अन्य अधिकारी को प्राधिकृत करने का होता, तो वह ऊपरवर्णित आदेश में उस अधिकारी को विनिर्दिष्ट रूप से नामित करने के द्वारा ऐसा कर सकता था ।

21. चूंकि ऐसा नहीं किया गया इसका अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में अपर मुख्य सचिव जो मुख्य सचिव की हैसियत में कार्य कर रहा है तारीख 28 मई, 2012 के आदेश के आधार पर निरोधादेश का अनुमोदन कर सकता है । मेरी सुविचारित राय में जब मुख्य सचिव किसी कारणवश अपने कर्तव्य पालन वाले स्थान से बाहर होता है, तो कोई अन्य नहीं बल्कि भारसाधक मंत्री ही निरोधादेश को अनुमोदन प्रदान करेगा । कोई अन्य निर्वचन नागालैंड सरकार के कार्यकारी कारबार नियम के नियम 22 के प्रयोजन को निश्चित रूप से विफल कर देगा ।"

14. प्रस्तुत मामले पर विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तथ्य के बाबत कोई विवाद नहीं है कि कार्यकारी कारबार नियम के अधीन केवल नागालैंड सरकार का मुख्य सचिव ही 1980 के अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य सरकार के नाम में निरोधादेश का अनुमोदन/पुष्टि करने के लिए प्राधिकृत है । किंतु वह इन शक्तियों का प्रयोग किसी स्थायी आदेश के अंतर्गत, संबद्ध मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में करता है जिसको वह किसी अन्य को पुनः प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, चूंकि विधि अनुसार प्रत्यायोजित प्राधिकार का पुनः प्रत्यायोजित किया जाना अनुज्ञेय नहीं होता ।

15. इस तथ्य के बाबत कोई विवाद नहीं है कि नागालैंड सरकार के अपर मुख्य सचिव और न कि मुख्य सचिव ने तारीख 15 जुलाई, 2013 का अनुमोदन आदेश जारी किया था । चूंकि पूर्वोक्त नियम के अधीन अपर मुख्य सचिव निरोधादेश का अनुमोदन/पुष्टि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था और चूंकि प्रत्यायोजित प्राधिकार का पुनः प्रत्यायोजन विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय नहीं होता, मेरे विचार में, मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में संबद्ध मंत्री को निरोधादेश का अनुमोदन करना चाहिए था ।

16. क्योंकि नागालैंड सरकार के अपर मुख्य सचिव ने अपेक्षित रूप से अर्हित हुए बिना ही तारीख 15 जुलाई, 2013 का अनुमोदन आदेश जारी किया था, वह आदेश 2013 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 20(के) में दिए गए विनिश्चय को दृष्टि में रखते हुए मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है ।

17. परिणामतः, मेरा यह विचार है कि तारीख 8 जुलाई, 2013 का

निरोधादेश और तारीख 15 जुलाई, 2013 को पारित अनुमोदन आदेश को सम्मिलित करते हुए समस्त पश्चात्वर्ती आदेश, जिनको इस कार्यवाही में आक्षेपित किया गया है, अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

18. तदनुसार, तारीख 8 जुलाई, 2013 का निरोधादेश तारीख 15 जुलाई, 2013 का निरोधादेश तारीख 15 जुलाई, 2013 का अनुमोदन आदेश और तारीख 2 सितंबर, 2013 का पुष्टिकरण आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित और अपास्त किए जाते हैं ।

19. याची/बंदी अर्थात् येंगपी इमलोंग चांग को तुरंत स्वतंत्र किए जाने के लिए निदेशित किया जाता है, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो ।

याचिका मंजूर की गई ।

शु.

(2014) 2 दा. नि. प. 357 **गुवाहाटी**

मोहम्मद रजब अली और अन्य

बनाम

मुसम्मात मंजुला खातून

तारीख 14 मार्च, 2014

न्यायमूर्ति ए. के. गोस्वामी

घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 2(द) और 20 – घरेलू हिंसा – धनीय अनुतोष – घरेलू हिंसा का अपराध साबित होने पर व्यथित पत्नी या महिला अपने पति या उस महिला के साथ घरेलू संबंध में रहने वाले या रह रहे किसी वयस्क पुरुष व्यक्ति से धनीय अनुतोष और प्रतिकर का दावा कर अनुतोष प्राप्त कर सकती है ।

विपक्षी का विवाह मोहम्मद नूसूल इस्लाम के साथ तारीख 27 अप्रैल, 2008 को एक रजिस्ट्रीकृत कुबूलनामा जिसके अंतर्गत 3,900/- रुपए की मेहर की रकम निर्धारित की गई थी, निष्पादित किए जाने के द्वारा सम्पन्न हुआ था और विवाह के समय स्त्रीधन के रूप में स्वर्ण आभूषण सम्मिलित

करते हुए मूल्यवान वस्तुएं उसको दी गई थीं जिनको उसने उक्त आवेदन में निर्दिष्ट छह प्रत्यर्थियों के हवाले कर दिया था जिनमें वर्तमान याची, उसका पति मोहम्मद नूसूल इस्लाम, उसकी सास और प्रत्यर्थी संख्या 2 की पत्नी भी सम्मिलित थे । विवाह के कुछ दिनों के पश्चात् उक्त प्रत्यर्थियों ने विपक्षी को यातनाएं देना आरंभ कर दिया और उस पर 50,000/- रुपए की नकद रकम लाने के लिए दबाव डालने लगे । चूंकि वह (विपक्षी) और उसके परिजन उक्त मांग को पूरा कर पाने में असमर्थ थे, उसको तारीख 30 नवंबर, 2008 को उसकी ससुराल से निकाल दिया गया । विपक्षी द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि विवाह के समय वह अध्यापक विकास पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की छात्रा थी और शिक्षा ग्रहण कर रही थी । उसके द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि उसको किसी भी प्रकार का कोई भरण-पोषण प्रदान नहीं किया गया यद्यपि उसके पति के पास अगार के कारबार और कृषि इत्यादि से धनोपार्जन के स्रोत उपलब्ध हैं और वह प्रतिमाह 30,000/- से 40,000/- रुपए उपार्जित करता है । प्रत्यर्थी भूमि और रिहायशी मकान के स्वामी हैं और वह प्रत्यर्थियों के निवास स्थान पर अपने पति के साथ निवास करती थी । पूर्वोक्त आधारों पर उसने घरेलू हिंसा अधिनियम की धाराओं 18/19/20/21 के अधीन अनुतोष प्रदान किए जाने की प्रार्थना की थी । घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन फाइल किए गए उक्त आवेदन के सभी अन्य प्रत्यर्थियों ने, पति के अतिरिक्त, यह अभिकथित करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत किया कि आवेदक के पति ने उनकी जानकारी के बिना घर छोड़ दिया था और उसका पता ठिकाने के बारे में उनको कुछ भी ज्ञात नहीं है । उनके द्वारा यह अभिवाक् किया गया कि दम्पति पृथक् रूप से प्रथम गृहस्थी बनाकर रह रहा था और इस प्रकार उन्होंने सामान्यतः आवेदन में किए गए सभी अभिकथनों से इनकार किया । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचारोपरांत यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि आवेदक व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध घरेलू हिंसा का कृत्य कारित किया गया । यह पुनरीक्षण आवेदन होजाई के शंकर देव नगर के अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) द्वारा 2011 की दांडिक अपील संख्या 14(एन) में तारीख 16 जून, 2012 को पारित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा याचियों द्वारा फाइल की गई अपील को अस्वीकृत कर दिया गया । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका का निपटान करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में साक्ष्य इस बाबत पेश किया गया है कि विपक्षी याची सं. 1, जो उसका ससुर है, से संबंधित

मकान में रह रही थी । यह स्पष्ट है कि पति या विपक्षी को साझा गृहस्थी में कोई अधिकार स्वत्व या हित प्राप्त नहीं था । किंतु यह तथ्य शेष रह जाता है कि पति और विपक्षी ससुर के मकान में अस्थायी या क्षणिक रूप से नहीं रहते थे । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रदर्शित होता है कि जब तक याची को मकान से निकाला नहीं गया, दम्पति याची संख्या 1 के मकान में रहता था । यह असामान्य बात नहीं है कि किसी मुस्लिम परिवार के सदस्य सहयोजिता में रहते हों । फिर भी, वे संयुक्त परिवार का गठन उस भाव में नहीं करते जिस भाव में इस अभिव्यक्ति को हिंदू विधि में प्रयोग किया जाता है । मुस्लिम विधि में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो संयुक्त परिवार को मान्यता प्रदान करता हो । इसलिए, उस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, जिसका प्रयोजन ऐसी महिलाएं जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं, के संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है और अभिव्यक्ति "घरेलू नातेदारी" और "साझा गृहस्थी" की परिभाषा में प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति "संयुक्त परिवार" का निर्वचन जो पोषणीयता के प्रयोजनार्थ घरेलू हिंसा अधिनियम के उद्देश्यों और इस अधिनियम के अधीन कतिपय अनुतोष अभिप्राप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ संगत हों, किया जाना चाहिए और इसलिए, मेरा विचार है कि अभिव्यक्ति "संयुक्त परिवार" से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत होगी जिसमें किसी परिवार के सदस्य सहयोजिता में रहते हैं न कि उस "संयुक्त परिवार" से है जैसा कि हिंदू विधि में समझा गया है । कोई अन्य निर्वचन देश की विशाल जनसंख्या जो साझा गृहस्थी में रहती है, को अपवर्जित कर देने वाला प्रभाव रखेगा जो अधिनियम के स्वीकृत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विधान मण्डल का आशय नहीं हो सकता । विद्वान् निचले न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के, आधार पर निष्कर्ष अभिलिखित किया कि विपक्षी को याचियों और उसके पति द्वारा घरेलू हिंसा के अधीन रखा गया, जिनके विरुद्ध मामले में एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने वाला आदेश पारित किया गया । याचियों के विद्वान् काउंसेल यह दर्शित कर पाने में असमर्थ रहे हैं कि निचले न्यायालय द्वारा निकाला गया उक्त निष्कर्ष तर्क विरुद्ध किस प्रकार है । प्रत्यर्थी और घरेलू नातेदारी की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की सुविचारित राय है कि श्री चक्रवर्ती की इस दलील में कि धनीय अनुतोष और प्रतिकर के लिए निदेश केवल पति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है और पति के

परिवार के पुरुष सदस्यों के विरुद्ध नहीं में कोई गुणागुण नहीं है । प्रत्यर्थी से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है । धारा 2(थ) का परंतुक स्थिति को पुनः स्पष्ट करता है कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी । परिवाद को घरेलू हिंसा नियम के नियम 2(ख) में परिभाषित किया गया है जिसके अर्थांतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा संरक्षण अधिकारी के समक्ष मौखिक या लिखित में किया गया कोई अभिकथन होगा और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 उपबंधित करती है कि कोई संरक्षण अधिकारी भी व्यथित व्यक्ति की ओर से घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । इस प्रकार घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन पुरुषों, जिन्होंने घरेलू हिंसा कारित की है, के धनीय अनुतोष विरुद्ध प्रदान किया जाना अनुज्ञेय है । एस. आर. बत्रा वाले मामले में दिए गए विनिश्चय के पैराग्राफ 28 में सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि आनुकल्पिक आवास के लिए दावा केवल पति के विरुद्ध किया जा सकता है, न कि ससुराल वालों या अन्य नातेदारों के विरुद्ध । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए निचले विद्वान् न्यायालय द्वारा याची को किराए का संदाय करने का निदेश विधि की दृष्टि में मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है । तद्नुसार, आक्षेपित निर्णय में केवल इस सीमा तक मध्यक्षेप किया जाता है कि वर्तमान याची प्रतिमाह 1,000/- रुपए के किराए का संदाय करने के दायी नहीं होंगे, जैसा कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निदेशित किया गया है । (पैरा 16, 17, 18, 24 और 25)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2007] (2007) 3 एस. सी. सी. 169 =
ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1118 :
एस. आर. बत्रा और एक अन्य बनाम **श्रीमती तरूणा बत्रा** । 8,15

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 423.

2011 की दांडिक अपील संख्या 14(एन) में होजाई के शंकर देव नगर के अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) द्वारा तारीख 16 जून, 2012 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री बी. चक्रवर्ती, टी. आर. शर्मा और एल. गोगोई

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. चौहान

न्यायमूर्ति ए. के. गोस्वामी – यह पुनरीक्षण याचिका होजाई के शंकर देव नगर के अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) द्वारा 2011 की दांडिक अपील संख्या 14(एन) में तारीख 16 जून, 2012 को पारित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा याचियों द्वारा फाइल की गई अपील को अस्वीकृत कर दिया गया और होजाई के शंकर देव नगर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विपक्षी द्वारा फाइल किए गए प्रकीर्ण मामला संख्या 7 में 2005 के घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (संक्षेप में "घरेलू हिंसा अधिनियम" की धारा 13 के अंतर्गत फाइल की गई याचिका में तारीख 3 फरवरी, 2011 को पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि कर दी गई, के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. वर्तमान याचिका तीन याचियों द्वारा फाइल की गई है जो क्रमशः विपक्षी के ससुर और देवर हैं । संक्षेप में विपक्षी का पक्षकथन जैसा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन फाइल किए गए आवेदन में वर्णित किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ ये हैं कि विपक्षी का विवाह मोहम्मद नूसूल इस्लाम के साथ तारीख 27 अप्रैल, 2008 को एक रजिस्ट्रीकृत कुबूलनामा जिसके अंतर्गत 3,900/- रुपए की मेहर की रकम निर्धारित की गई थी, निष्पादित किए जाने के द्वारा सम्पन्न हुआ था और विवाह के समय स्त्रीधन के रूप में स्वर्णाभूषण सम्मिलित करते हुए मूल्यवान वस्तुएं उसको दी गई थीं जिनको उसने उक्त आवेदन में निर्दिष्ट छह प्रत्यर्थियों के हवाले कर दिया था जिनमें वर्तमान याची, उसका पति मोहम्मद नूसूल इस्लाम, उसकी सास और प्रत्यर्थी संख्या 2 की पत्नी भी सम्मिलित थे । विवाह के कुछ दिनों के पश्चात् उक्त प्रत्यर्थियों ने विपक्षी को यातनाएं देना आरंभ कर दिया और उस पर 50,000/- रुपए की नकद रकम लाने के लिए दबाव डालने लगे । चूंकि वह (विपक्षी) और उसके परिजन उक्त मांग को पूरा कर पाने में असमर्थ थे, उसको तारीख 30 नवंबर, 2008 को उसकी ससुराल से निकाल दिया गया । विपक्षी द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि विवाह के समय वह अध्यापक विकास

पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की छात्रा थी और शिक्षा ग्रहण कर रही थी । उसके द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि उसको किसी भी प्रकार का कोई भरण-पोषण प्रदान नहीं किया गया यद्यपि उसके पति के पास अगार के कारबार और कृषि इत्यादि से धनोपार्जन के स्रोत उपलब्ध हैं और वह प्रतिमाह 30,000/- से 40,000/- रुपए उपार्जित करता है । प्रत्यर्थी भूमि और रिहायशी मकान के स्वामी हैं और वह प्रत्यर्थियों के निवास स्थान पर अपने पति के साथ निवास करती थी । पूर्वोक्त आधारों पर उसने घरेलू हिंसा अधिनियम की धाराओं 18/19/20/21/22 के अधीन अनुतोष प्रदान किए जाने की प्रार्थना की थी ।

3. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन फाइल किए गए उक्त आवेदन के सभी अन्य प्रत्यर्थियों ने, पति के अतिरिक्त, यह अभिकथित करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत किया कि आवेदक के पति ने उनकी जानकारी के बिना घर छोड़ दिया था और उसका पता ठिकाने के बारे में उनको कुछ भी ज्ञात नहीं है । उनके द्वारा यह अभिवाक् किया गया कि दम्पति पृथक् रूप से प्रथम गृहस्थी बनाकर रह रहा था और इस प्रकार उन्होंने सामान्यतः आवेदन में किए गए सभी अभिकथनों से इनकार किया ।

4. विपक्षी के पति के विरुद्ध मामले को एकपक्षीय कार्यवाही हेतु अग्रसर किया गया ।

5. विपक्षी ने विचारण के दौरान स्वयं को सम्मिलित करते हुए दो साक्षियों का परीक्षण कराया । प्रत्यर्थियों ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया ।

6. विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचारोपरांत यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि आवेदक व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध घरेलू हिंसा का कृत्य कारित किया गया और तद्नुसार निम्नलिखित आदेश पारित किया :–

"आदेश"

उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए,

(1) प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 18 के अधीन व्यथित व्यक्ति का स्त्रीधन हड़पने से प्रतिषिद्ध है, और

(2) प्रत्यर्थियों को घरेलू हिंसा का कोई भी कृत्य कारित न करने के लिए निदेशित किया ।

(3) प्रत्यर्थियों को अधिनियम की धारा 19 के अधीन व्यथित व्यक्ति

को इस आदेश की तारीख के वर्ष के प्रत्येक अंग्रेजी कैलेंडर माह के प्रथम पन्द्रह दिवसों के भीतर प्रतिमाह 1,000/- रुपए (एक हजार रुपए) के किराए का संदाय करने के लिए निदेशित किया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थियों को व्यथित व्यक्ति को स्त्रीधन यदि कोई हो, वापस लौटाने के लिए निदेशित किया जाता है ।

(4) अधिनियम की धारा 20 के अधीन प्रत्यर्थी, अर्थात्,

1. मोहम्मद नूसूल इस्लाम,

2. मोहम्मद रजब अली,

3. मोहम्मद बहसूल इस्लाम, और

4. मोहम्मद सहीदुल इस्लाम

को इस आदेश की तारीख से तीन माह के भीतर व्यथित व्यक्ति को 50,000/- रुपए (पचास हजाए रुपए) की एकमुश्त रकम का संदाय करने के लिए निदेशित किया जाता है ।

(5) अधिनियम की धारा 22 के अधीन प्रत्यर्थियों अर्थात्,

1. मोहम्मद नूसूल इस्लाम,

2. मोहम्मद रजब अली,

3. मोहम्मद बहसूल इस्लाम, और

4. मोहम्मद सहीदुल इस्लाम

को व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध घरेलू हिंसा के कृत्य कारित करने के द्वारा मानसिक यातना और भावुकतापूर्ण कष्टों को सम्मिलित करते हुए क्षतियों के बाबत प्रतिकर और क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का संदाय करने के लिए निदेशित किया जाता है । पुनः प्रत्यर्थियों को प्रतिकर की रकम को बड़ी रकम के रूप में विचारित करते हुए इस रकम का संदाय आदेश की तारीख से तीन माह के भीतर करने के लिए निदेशित किया जाता है ।

7. याचियों द्वारा फाइल की गई अपील जो 2011 की दांडिक अपील संख्या 14(एन) है, भी नागांव के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 16 जून, 2012 के निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी ।

8. याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री बी. चक्रवर्ती ने निवेदन किया कि

विपक्षी के पति का पता ठिकाना अज्ञात है और चाहे यह अभिनिर्धारित कर भी दिया जाए कि उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा का मामला बनता है, फिर भी विपक्षी याचियों के विरुद्ध किसी मौद्रिक अनुतोष की हकदार नहीं है । उन्होंने निवेदन किया कि केवल पति ही मौद्रिक अनुतोष का संदाय करने का दायी होता है । उनके द्वारा यह दलील भी दी गई कि विपक्षी अपने स्वयं के ही वृत्तांतानुसार याची संख्या 1, जो उसका ससुर है, के घर में निवास कर रही थी और इसलिए विद्वान् निचले न्यायालय ने विपक्षी को 1,000/- रुपए प्रतिमाह के किराए का संदाय करने का निदेश देकर अवैधानिक रूप से कार्य किया । सारतः याची के विद्वान् काउंसेल का निवेदन यह है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धाराओं 19/20/22 के अधीन याचियों के विरुद्ध विद्वान् न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में समाविष्ट निदेश मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है । विद्वान् काउंसेल ने अपने निवेदन के समर्थन में **एस. आर. बत्रा और एक अन्य** बनाम **श्रीमती तरुणा बत्रा**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया ।

9. इसके विपरीत विपक्षी के विद्वान् काउंसेल श्री एस. चौहान ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और निवेदन किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर स्पष्टतः दर्शित हो जाता है कि विपक्षी को याचियों और उसके पति द्वारा उसकी ससुराल में घरेलू हिंसा के अधीन रखा गया था, अतः विद्वान् निचले न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई अवैधता कारित नहीं की ।

10. मैंने याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री बी. चक्रवर्ती और विपक्षी के विद्वान् काउंसेल श्री. एस. चौहान को सुना । मैंने मामले के अभिलेख का भी परिशीलन किया ।

11. निचले न्यायालय में विपक्षी का परीक्षण अभि. सा. 1 के रूप में किया गया था । उसने अपने साक्ष्य में अभिकथित किया था कि अभियुक्तों ने उस पर विभिन्न प्रकार से आक्रमण किया जिसके लिए उसको चिकित्सीय उपचार भी कराना पड़ा था । उसका विवाह तारीख 27 अगस्त, 2008 को सम्पन्न हुआ था और उसको तारीख 30 नवंबर, 2008 को उसकी ससुराल से निकाल दिया गया था । उसने दहेज की मांग किए जाने के संबंध में भी कथन किया । प्रति-परीक्षा में उसने अभिकथित किया कि वह और उसका पति याची संख्या 1 के घर में रह रहे थे और वे कभी अलग-अलग नहीं रहे । याची संख्या 1 के दो मकान हैं और मकान जिसमें

---

[1] (2007) 3 एस. सी. सी. 169 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1118.

वह निवास कर रही थी, चार कमरों का है जहां एक कमरे में उसका ससुर भी निवास करता था । उसने आगे शपथपूर्वक कथन किया है कि उसका पति निरंतर रूप से उसके ससुर के मकान में ही निवास करता था ।

12. अभि. सा. 2 विपक्षी का नातेदार है और उसने शपथपूर्वक कथन किया कि उसको विपक्षी द्वारा सूचित किया गया था कि उसको याचिका द्वारा शारीरिक यातना के अधीन रखा जाता था और वे दहेज की मांग करते थे ।

13. इसके पहले कि मैं मामले में आगे कार्यवाही करूं, यह सुसंगत होगा कि "घरेलू नातेदारी" प्रत्यर्थी और साझा गृहस्थी की परिभाषा पर विचार किया जाए चूंकि उनका इस मामले में महत्व है । घरेलू हिंसा को धारा 3 में परिभाषित किया गया है और यह उचित होगा कि घरेलू हिंसा की परिभाषा का उल्लेख किया जाए । परिभाषाओं को नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है :–

> "2 (छ). 'घरेलू नातेदारी' से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, साक्षी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के साक्ष्य हैं ।"
>
> "2.(थ). प्रत्यर्थी से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत हैं जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है :
>
> परंतु यह कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी ।"
>
> "2.(ध). साक्षी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्ततः स्वामित्व या किराएदारी में है, या उनमें से किसी के स्वामित्व या किराएदारी में है जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले, कोई अधिकार हक, हित या साम्य रखते हैं और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी, इस बात

पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक साक्ष्य है ।"

"घरेलू हिंसा की परिभाषा – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह :–

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य जीवन अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग लैंगिक दुरुपयोग मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है ; या

(ख) किसी दहेज या अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है ; या

(ग) खंड (क) का खंड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है ;

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक ।"

14. धारा 3 के स्पष्टीकरण 1 को ऊपर प्रत्युत्पादित नहीं किया गया है चूंकि वह इस मामले के प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं है । स्पष्टीकरण 1 शारीरिक दुरुपयोग लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग को परिभाषित करता है, जो अभिव्यक्तियां धारा 3(क) में समाविष्ट हैं । धारा 3 का स्पष्टीकरण 2 उपबंधित करता है कि यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य लोप या किसी कार्य का करना या आचरण इस धारा के अधीन "घरेलू हिंसा" का गठन करता है, मामले के सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा ।

15. **एस. आर. बत्रा** (उपरोक्त) वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने

मत व्यक्त किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2(थ) में साझा गृहस्थी की परिभाषा अत्यधिक उचित ढंग से शब्दांकित नहीं है और ऐसा बेढंगे प्रारूपण के परिणामवश है । उपरोक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 2 (थ) में समाविष्ट "साझा गृहस्थी" की परिभाषा में एक ऐसी गृहस्थी भी अभिप्रेत है जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है और चूंकि प्रत्यर्थी स्वीकृततः प्रश्नगत सम्पत्ति में पहले रह चुकी थी, इसलिए उक्त सम्पत्ति इस आधार पर उसकी साझा गृहस्थी है कि यदि इस निवेदन को स्वीकार कर लिया जाता तो इसका यह अर्थ होता कि पति और पत्नी जहां पर भी पहले एक साथ रह चुके हैं, वो सम्पत्ति साझा गृहस्थी बन जाती है । उपरोक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार का मत अव्यवस्था सृजित करेगा और बेतुका होगा और मत व्यक्त किया कि इस प्रकार के कोई भी निर्वचन, जो बेतुकेपन की ओर ले जाता हो, स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । उपरोक्त मामले में आगे अभिनिर्धारित किया गया कि पत्नी धारा 17(1) के अधीन केवल एक अधिकार का दावा करने की हकदार है जो साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होता है और एक साझा गृहस्थी का अर्थ मकान से होगा जो पति से संबंधित हो या उसके द्वारा किराए पर लिया गया हो, या ऐसे मकान से होता है जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित हो जिसका पति एक साक्ष्य है । तद्नुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि आनुकल्पिक आवास का दावा केवल पति के विरुद्ध किया जा सकता है न कि ससुर सास या अन्य नातेदारों के विरुद्ध ।

16. हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में साक्ष्य इस बाबत पेश किया गया है कि विपक्षी याची सं. 1, जो उसका ससुर है, से संबंधित मकान में रह रही थी । यह स्पष्ट है कि पति या विपक्षी को साझा गृहस्थी में कोई अधिकार स्वत्व या हित प्राप्त नहीं था । किंतु यह तथ्य शेष रह जाता है कि पति और विपक्षी ससुर के मकान में अस्थायी या क्षणिक रूप से नहीं रहते थे । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रदर्शित होता है कि जब तक याची को मकान से निकाला नहीं गया, दम्पत्ति याची संख्या 1 के मकान में रहता था ।

17. यह असामान्य नहीं है कि किसी मुस्लिम परिवार के सदस्य सहयोजिता में रहते हों । फिर भी, वे संयुक्त परिवार का गठन उस भाव में नहीं करते जिस भाव में इस अभिव्यक्ति को हिंदू विधि में प्रयोग किया जाता है । मुस्लिम विधि में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो संयुक्त परिवार

को मान्यता प्रदान करता हो ।

18. इसलिए, उस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, जिसका प्रयोजन ऐसी महिलाएं जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं, के संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है और अभिव्यक्ति "घरेलू नातेदारी" और "साझा गृहस्थी" की परिभाषा में प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति "संयुक्त परिवार" का निर्वचन जो पोषणीयता के प्रयोजनार्थ घरेलू हिंसा अधिनियम के उद्देश्यों और इस अधिनियम के अधीन कतिपय अनुतोष अभिप्राप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ संगत हों, किया जाना चाहिए और इसलिए, मेरा विचार है कि अभिव्यक्ति "संयुक्त परिवार" से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत होगी जिसमें किसी परिवार के सदस्य सहयोजिता में रहते हैं न कि उस "संयुक्त परिवार" से है जैसा कि हिंदू विधि में समझा गया है । कोई अन्य निर्वचन देश की विशाल जनसंख्या जो साझा गृहस्थी में रहती है, को अपवर्जित कर देने वाला प्रभाव रखेगा जो अधिनियम के स्वीकृत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विधान-मण्डल का आशय नहीं हो सकता ।

19. धारा 20 जो धनीय अनुतोष प्रदान किए जाने के लिए उपबंधित करता है, अधिकथित करता है कि मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन का निस्तारण करते समय घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति की किसी संतान द्वारा उपगत व्यय और सहन की गई हानियों की पूर्ति के लिए धनीय अनुतोष का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा और ऐसे अनुतोष में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे किन्तु वह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगा :–

(क) उपार्जनों की हानि;

(ख) चिकित्सीय व्ययों;

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी सम्पत्ति के नाश नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि; और

(घ) व्यथित व्यक्ति के साथ-साथ उसकी संतान, यदि कोई हो, के लिए भरणपोषण, जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई आदेश या

भरणपोषण के आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश सम्मिलित है ।

धारा 20 की उपधारा (2) उपबंधित करती है कि इस धारा के अधीन अनुदत्त धनीय अनुतोष पर्याप्त, उचित और युक्तियुक्त होगा तथा उस जीवन स्तर से जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्त है, संगत होगा ।

उपधारा (3) उपबंधित करती है कि मजिस्ट्रेट को, जैसा मामले की प्रकृति और परिस्थितियां अपेक्षा करें, भरणपोषण के एक समुचित एकमुश्त संदाय या मासिक संदाय का आदेश देने की शक्ति होगी ।

उपधारा (6) उपबंधित करती है कि उपधारा (1) के अधीन आदेश की निबंधनों में संदाय करने की प्रत्यर्थी की ओर से असफलता पर मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोजक या ऋणी को व्यथित व्यक्ति का प्रत्यक्षतः संदाय करने या मजदूरी या वेतन का एक भाग न्यायालय में जमा करने या शोध्य ऋण या प्रत्यर्थी के खाते में शोध्य या उद्भूत ऋण को, जो प्रत्यर्थी द्वारा संदेय धनीय अनुतोष में समायोजित कर ली जाएगी, जमा करने का निदेश दे सकेगा ।

20. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 22 उपबंधित करती है कि अन्य अनुतोष के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त किए जाएं, मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर प्रत्यर्थी को क्षतियों, जिसके अंतर्गत उस प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट सम्मिलित है, प्रतिकर और नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश देने का आदेश पारित कर सकेगा ।

21. 2006 के घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम संक्षेप में घरेलू हिंसा नियम का नियम 6 मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल किए जाने के लिए प्रक्रिया अधिकथित करता है । नियम 6(5) उपबंधित करता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर विचार किया जाएगा और उस पर पारित आदेश उसी रीति में प्रवृत्त किए जाएंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अधिकथित है ।

22. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 126(2) उपबंधित करती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की कार्रवाई में समस्त साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में, जिसके विरुद्ध भरणपोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्थापना है अथवा जब उसकी वैयक्तिक हाजिरी से

अभिमुक्ति दे दी गई है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो समन-मामलों के लिए विहित है ।

23. धारा 26(2) का परंतुक 2 उपबंधित करता है कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरणपोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्थापना है तामील से जानबूझकर बच रहा है अथवा न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट मामले को एकपक्षीय रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है और ऐसा दिया गया कोई आदेश उसकी तारीख से तीन मास के अन्दर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन जिनके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के संदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित्त और उचित समझे, अपास्त किया जा सकता है ।

24. विद्वान् निचले न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष अभिलिखित किया कि विपक्षी को याचियों और उसके पति द्वारा घरेलू हिंसा के अधीन रखा गया, जिनके विरुद्ध मामले में एक पक्षीय कार्रवाई किए जाने वाला आदेश पारित किया गया । याचियों के विद्वान् काउंसेल यह दर्शित कर पाने में असमर्थ रहे हैं कि निचले न्यायालय द्वारा निकाला गया उक्त निष्कर्ष तर्क विरुद्ध किस प्रकार है ।

25. प्रत्यर्थी और घरेलू नातेदारी की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए मेरी सुविचारित राय है कि श्री चक्रवर्ती की इस दलील में कि धनीय अनुतोष और प्रतिकर के लिए निदेश केवल पति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है और पति के परिवार के पुरुष सदस्यों के विरुद्ध कोई गुणागुण नहीं है । प्रत्यर्थी से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है । धारा 2(थ) का परंतुक स्थिति को पुनः स्पष्ट करता है कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी । परिवाद को घरेलू हिंसा नियम के नियम 2(ख) में परिभाषित किया गया है जिसके अर्थांतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा संरक्षण अधिकारी के समक्ष मौखिक या लिखित में किया गया कोई अभिकथन होगा और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 उपबंधित करती है कि कोई संरक्षण अधिकारी भी व्यथित

व्यक्ति की ओर से घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । इस प्रकार घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन पुरुषों, जिन्होंने घरेलू हिंसा कारित की है, के धनीय अनुतोष के विरुद्ध प्रदान किया जाना अनुज्ञेय है । **एस. आर. बत्रा** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय के पैराग्राफ 28 में सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि आनुकल्पिक आवास के लिए दावा केवल पति के विरुद्ध किया जा सकता है, न कि ससुराल वालों या अन्य नातेदारों के विरुद्ध । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए निचले विद्वान् न्यायालय द्वारा याची को किराए का संदाय करने का निदेश विधि की दृष्टि में मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है । तद्नुसार, आक्षेपित निर्णय में केवल इस सीमा तक मध्यक्षेप किया जाता है कि वर्तमान याची प्रतिमाह 1,000/- रुपए के किराए का संदाय करने के दायी नहीं होंगे, जैसा कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा निदेशित किया गया है ।

26. तद्नुसार पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है । रजिस्ट्री अभिलेख वापस भेज देगी ।

पुनरीक्षण याचिका का निपटारा किया गया ।

शु.

(2014) 2 दा. नि. प. 371 **पटना**

धुनमुन यादव

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 27 जनवरी, 2014

न्यायमूर्ति आई. ए. अंसारी और न्यायमूर्ति समरेन्द्र प्रताप सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 24] – हत्या – सह-अभियुक्त की संस्वीकृति – सह-अभियुक्त के इस आशय के अभिशंसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता कि अभियुक्त को अन्य सह-अभियुक्त के साथ रेलवे स्टेशन पर देखा गया था जहां सह-

अभियुक्त ने व्यपहृत मृतक हेतु मुक्तिधन प्राप्त करने का विनिश्चय किया था ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 24 – मुकरी हुई संस्वीकृति – यदि न्यायालय का यह समाधान होता है कि संस्वीकृति सत्य और स्वैच्छिक है तथा अभिलेख की अन्य सामग्रियों से संस्वीकृति की संपुष्टि होती है तो मुकरी हुई संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 27 – प्रकटन बरामदगी – पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उतनी ही तथ्य या बात अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकेगी जितनी संस्वीकृति तथ्य या वस्तु की बरामदगी के बारे में है ।

अभियोजन पक्षकथन जैसाकि विचारण में प्रकट हुआ है, संक्षेप में, वर्णित किया जा सकता है अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी (मृतक) बेबी देवी का फुफेरा भाई है, वह बेबी देवी के पिता अर्थात् सच्चिदानन्द दूबे की बहन का पुत्र है । तारीख 19 जून, 2006 को 4.00 और 5.00 बजे अपराह्न के बीच जब बेबी देवी का पुत्र अवकाश कुमार अपने अध्यापन के लिए जा रहा था अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी उसे सी. डी. देने के बहाने उसके साथ चला था परंतु वे शाम तक घर वापस नहीं लौटे । प्रारंभ में बेबी देवी ने यह सोचा कि उसका पुत्र अवकाश अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी के साथ कहीं चला गया और वह रामाशीश दूबे अभियुक्त अरविन्द दूबे के पिता के मकान पर गई परंतु तीसरे दिन बेबी देवी ने अपने पुत्र की खोज-बीन शुरू की । इस प्रयोजन के लिए वह अभियुक्त अरविन्द दूबे के मकान पर गई जो अपने माता-पिता के साथ ग्राम अन्यायीपुर, चौसा पर रहता था । अभियुक्त अरविन्द दूबे के पिता रामाशीश दूबे ने बेबी देवी को यह बताया कि न तो अरविन्द और न अवकाश वहां पर पहुंचे हैं । उस समय जब बेबी देवी रामाशीश दूबे के मकान पर गई तो वह अपनी बहन पूजा सिंह और अपने पति रमेश सिंह के साथ थी । अवकाश को ढूंढते समय मुकेश कुमार सिंह मकान-मालिक के दामाद के मोबाइल फोन से दूरभाष संदेश प्राप्त किया था जहां पूर्व में बेबी देवी किराए पर रहा करती थी परंतु यद्यपि टेलीफोन करने वाला बेबी देवी से बातचीत करना चाहता था । बेबी देवी की बहन पूजा देवी ने काल प्राप्त की क्योंकि बेबी देवी अपने किराए के मकान पर नहीं मिली थी और टेलीफोन करने वाले द्वारा यह बताया गया था जो अभियुक्त अरविन्द दूबे के अलावा कोई नहीं था

और 2 लाख रुपए सहित चौसा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बारे में काल किया गया था ताकि अवकाश को अभिरक्षा से प्राप्त किया जा सके । यद्यपि बेबी देवी 2 लाख रुपए की बड़ी राशि को एकत्रित करने में असमर्थ थी । वह बक्सर से चौसा रेलवे स्टेशन पर गई । उसी बीच में उसके पिता सच्चिदानन्द दूबे अभियुक्त अरविन्द दूबे के पिता के मकान पर गया जब वह अभियुक्त अरविन्द दूबे से मिले अरविन्द ने सच्चिदानन्द दूबे से चौसा स्टेशन पर आने के लिए कहा जहां वह रवि को लाएगा । चौसा से अभियुक्त अरविन्द दूबे सच्चिदानन्द दूबे को ग्राम पावनी ले गया परंतु वहां पहुंचने पर अभियुक्त अरविन्द दूबे ने सच्चिदानन्द दूबे को यह बताया कि वह चौसा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगा जहां उनका नाती (पौत्र) उसे अभि. सा. 4 को सौंप दिया जाएगा । इसके पश्चात् बेबी देवी के पिता सच्चिदानन्द दूबे चौसा स्टेशन पर पहुंचे जहां बेबी देवी पहले से ही मौजूद थी और बेबी देवी द्वारा अपने पिता से इस बारे में जानकारी लेनी चाही उस पर उसके पिता ने उसे बताया कि अरविन्द दूबे उक्त रेलवे स्टेशन पर 4.00 बजे अपराह्न अवकाश को लेकर लौटेगा । यद्यपि अभियुक्त अरविन्द दूबे चौसा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वह रात्रि का भोजन लेने के बहाने वहां से चला गया और उसके पश्चात् कभी भी नहीं लौटा । पुलिस थाने बक्सर (टी) पर तारीख 29 जून, 2006 को फर्द बयान प्रदर्श 3 दर्ज किया गया था । उक्त फर्द बयान को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में (संक्षेप में "एफ. आई. आर." कहा गया है) । दंड संहिता की धारा 364क के अधीन बक्सर (टी) पर पुलिस थाना मामला सं. 187 अभियुक्त अरविन्द दूबे के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अन्वेषण के दौरान जब अभियुक्त दूबे को गिरफ्तार किया गया था तो उसके बारे में पुलिस के समक्ष इस आशय का संस्वीकृति कथन किया जाना अभिकथित है कि अभियुक्त धुनमुन यादव (अर्थात् वर्तमान अपीलार्थी) द्वारा अवकाश की हत्या कर दी गई है । पुलिस द्वारा उससे पूछताछ करने पर अभियुक्त अरविन्द दूबे ने यह स्वीकार किया कि अवकाश का व्यपहरण किया गया और उसे दूर ले जाया गया । उसके द्वारा यह कारण बताया गया कि उसकी जानकारी में यह आया था कि उसकी चचेरी बेबी देवी की किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे और इसलिए, वे बेबी की हत्या करना चाहते थे परंतु वह इस षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाए क्योंकि बेबी देवी चौसा रेलवे स्टेशन पर अपने पिता और अन्य व्यक्तियों के साथ पहुंची थी । अभियुक्त अरविन्द दूबे के अभिकथित संस्वीकृति कथन के आधार पर अवकाश का शव और कुछ वस्तुएं पेंसिल, स्कूल बैग आदि जिन्हें उस सुसंगत समय पर अवकाश ले

जा रहा था और उसके पहने हुए कपड़े बरामद किए गए थे और उन्हें अभिगृहीत किया गया था । उसी दौरान वर्तमान अपीलार्थी धुनमुन यादव को भी गिरफ्तार किया गया और तब दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अर्थात् धुनमुन यादव और अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 364क/302/201/34 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय ने पूर्व उल्लिखित दोनों अभियुक्तों को अपराधों का दोषी पाया था जिस पर उन्हें आरोपित किया गया और तद्नुसार उन्हें दोषसिद्ध किया गया और उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया गया जैसाकि हमने ऊपर उल्लेख किया है । अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी को दंडादिष्ट किया गया था जैसाकि इसमें ऊपर उपदर्शित किया गया है, हत्या के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया गया । विचारण न्यायालय के अनुसार, अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी जिसने अपराध किया था, उसके दंडादेश की अभिपुष्टि के लिए निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के उपबंधों के निबंधनों में इसी न्यायालय द्वारा किया गया था और इस निर्देश को तारीख 5 अगस्त, 2006 को मृत्यु दंड निर्देश सं. 6 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर जो इन दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध पारित किया गया था । दोनों दोषसिद्ध व्यक्ति अर्थात् अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी (मृतक) और धुनमुन यादव (वर्तमान अपीलार्थी) ने अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपीलें फाइल की हैं । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विधि की पृष्ठभूमि में जिस पर हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं जब वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हैं तब हमने इसमें पहले ही ऊपर उपदर्शित किया है कि वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध केवल अपराध में फंसाने वाला साक्ष्य ग्रहण किया गया है । विचारण पर उसकी पहचान बेबी देवी द्वारा इस आशय का कथन करते हुए की गई है कि यह अपीलार्थी अरविन्द दूबे (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) के साथ उक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद था । इस संबंध में हमने पहले ही यह उपदर्शित किया है कि साक्ष्य का यह टुकड़ा अभियोजन पक्ष की अत्यधिक सहायता नहीं करता है क्योंकि वर्तमान अपीलार्थी धुनमुन यादव की सुनवाई के समय पर एक ओर अभियुक्त अरविन्द दूबे तथा दूसरी ओर बेबी देवी या उसके पिता सच्चिदानन्द दूबे के बीच क्या बातचीत हुई है इसे साबित नहीं किया गया है । अतः न्यायालय ने पैरा 14 पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इसका समरूप अनुसरण किया जाना आवश्यक नहीं होगा कि वर्तमान अपीलार्थी अपराधों का पक्षकार था जिन्हें सह-अभियुक्त अरविन्द दूबे द्वारा किया जाना

अभिकथित है । जब अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह अभिनिर्धारित करने में पूर्णतया अपर्याप्त है कि वर्तमान अपीलार्थी धुनमुन यादव अपराधों का दोषी है जिस पर उसे सह-अभियुक्त अरविन्द दूबे (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) की संस्वीकृति पर आरोपित किया गया, इसे वर्तमान अपीलार्थी की दोषसिद्धि के आधार के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती है । अतः यदि सह-अभियुक्त अरविन्द दूबे (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) का अभिकथित संस्वीकृति कथन को हम अपने विचार की परिधि से अपवर्जित करते हैं जिसे हमें करना चाहिए तब वास्तव में ऐसा कोई साक्ष्य शेष नहीं रह जाता है जो अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार हो सकता है । (पैरा 63, 64 और 65)

किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को प्रयोग करने से पूर्व न्यायालय को प्रथमतः अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य को क्रमबद्ध किया जाना चाहिए जिसे सह-अभियुक्त की संस्वीकृति की सहायता से अधिरोपित किए जाने की ईप्सा की है और यदि ऐसे साक्ष्य को क्रमबद्ध करने पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति स्वतंत्र है, अभिलेख पर साक्ष्य अपराध में अभियुक्त की सहापराधिता पर विश्वास करने के लिए अपराध में फंसाने वाली सामग्री पर्याप्त रूप से प्रकट होती है तब ऐसी दशा में सह-अभियुक्त की संस्वीकृति साक्ष्य के समर्थित टुकड़े के रूप में प्रयोग की जा सकती है जिससे अभिलेख के अन्य साक्ष्य से आश्वासन मिलता है और न्यायालय यह विश्वास करने के लिए सहमत होते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है और यह बात सही है । संक्षेप में, सह-अभियुक्त की संस्वीकृति साक्ष्य का सारभूत टुकड़ा नहीं है जो अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए सम्पूर्ण आधार हो सकता है जो संस्वीकृति करने वाला नहीं है । इससे अलग किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति केवल इस प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है जिससे न्यायालय द्वारा पहले ही निकाले गए निष्कर्ष को आश्वासन मिलता हो कि अभियुक्त जिसके विरुद्ध किसी सह-अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति दी गई है कि प्रयोग किया जाना ईप्सित है जिस पर पहले ही अपराध को किया जाना साबित किया है । इस संदर्भ में कश्मीरा सिंह वाले विनिश्चय का परिशीलन करना आवश्यक है जहां पर कोई ऐसी बाधा नहीं है । हम यह स्पष्टीकरण देने के लिए विवशता महसूस करते हैं कि किसी अभियुक्त की स्वयं की संस्वीकृति पर दोषसिद्धि का आधार यदि संस्वीकृति स्वैच्छिक और सही पाई जाती है । सामान्यतया ऐसी संस्वीकृति की सम्पुष्टि की जानी वांछनीय है । इस प्रकार, संक्षेप में यदि संस्वीकृति वापस ली गई है तो अभियुक्त

द्वारा की गई संस्वीकृति का तब अवलंब लिया जा सकता है यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि ऐसी संस्वीकृति स्वैच्छिक और सही है । इस प्रकार, वापस ली गई संस्वीकृति को तभी सत्य होना माना जा सकता है यदि अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य से इसकी साधारण सम्पुष्टि होती है । पूर्वोक्त संस्वीकृति को प्रयोग करने के संबंध में और अभियुक्त द्वारा अपने स्वयं के हित के विरुद्ध की गई संस्वीकृति का प्रमाणक मूल्य और किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को प्रयोग करने और प्रमाणक मूल्य का आधार भिन्न-भिन्न है क्योंकि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को प्रयोग करने से पूर्व न्यायालय को प्रथमतः अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य को क्रमबद्ध करना चाहिए जिसे किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति की सहायता से फंसाया जाना ईप्सित है और यदि साक्ष्य को क्रमबद्ध करते हुए न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति पर निर्भरता, अभिलेख पर साक्ष्य से अपराध में अभियुक्त की सहापराधिता पर विश्वास करते हुए अपराध में फंसाने वाली पर्याप्त सामग्री प्रकट होती हो तब ऐसी दशा में किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति अभिलेख पर अन्य साक्ष्य से आश्वासन मिलने पर साक्ष्य के समर्थित टुकड़े के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । न्यायालय को यह विश्वास करते हुए सहमत होना चाहिए कि जो निष्कर्ष निकाला गया है यह है कि अभियुक्त का दोषी होना सही था । इस पर थोड़ी बहुत भिन्नता कर सकते हैं कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति साक्ष्य का सारभूत टुकड़ा नहीं है जिस पर अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए सम्पूर्ण आधार निर्भर हो सकता है जो संस्वीकृति करने वाला नहीं है । इससे अलग किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति ऐसे निष्कर्ष का आश्वासन मिलने के प्रयोजन के लिए मात्र रूप से प्रयोग की जा सकती है जिस पर न्यायालय द्वारा पहले ही निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियुक्त जिसके विरुद्ध किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति किए गए अपराध को पहले ही साबित किए जाने पर उसको प्रयोग किया जाना ईप्सित है । इस संदर्भ में यह है कि कश्मीरा सिंह वाले विनिश्चय का परिशीलन करना जरूरी है । ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसके लिए न्यायालय यह स्पष्ट करने के लिए विवश होता है कि किसी अभियुक्त की अपने स्वयं की संस्वीकृति पर दोषसिद्धि का आधार है । यदि ऐसी संस्वीकृति स्वैच्छिक और सही पाई जाती है तब ऐसे किसी संस्वीकृति की साधारण सम्पुष्टि किया जाना वांछनीय है । इस प्रकार बलबीर सिंह, प्यारे लाल भार्गव और के. आई. परुन्नी वाले विनिश्चय से यह सिद्धांत निगमय होता है कि किसी अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का तब

अवलंब लिया जा सकता है यदि न्यायालय का यह समाधान है कि यह स्वैच्छिक और सही है । इस प्रकार संक्षेप में, यदि संस्वीकृति वापस ली गई है तब ऐसे वापस ली गई संस्वीकृति को तब सही माना जा सकता है यदि अभिलेख पर साक्ष्य से साधारण रूप से उसकी सम्पुष्टि कर ली जाती है और न्यायालय के लिए यह अनुचित है कि दो अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई दो संस्वीकृतियों का एकसाथ परिशीलन किया जाए और दोनों को अपराधी ठहराया जाए । यद्यपि दोनों संस्वीकृतियां स्वैच्छिक और अपराध में फंसाने वाली पाई गई हैं जिनके भागों की अभिलेख पर शेष साक्ष्य से सामान्यतया सम्पुष्टि हुई हो । (पैरा 54, 55, 58, 60, 61 और 62)

इस बात को विवेक में रखा जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को किया गया संस्वीकृति कथन इस सीमा को छोड़कर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है कि कथन तथ्य के प्रकट होने पर संस्वीकृति की कोटि में आ सकता है या नहीं । पता लगा हुआ तथ्य शव की बरामदगी या अन्य अपराध में फंसाने वाली वस्तुओं के समतुल्य नहीं है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की परिधि पर विचार करते हुए यह उल्लेख किया जाना जरूरी है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर उससे यह स्पष्ट होता है कि यह धारा (धारा 25) में यह आज्ञा दी गई है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी । इसी तरह, साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में यह उपबंध किया गया है कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति तब तक उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसी संस्वीकृति को किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल न करा दी जाए । इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध की गई संस्वीकृति को साबित किए जाने का पूरी तरह से वर्जन करता है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति चाहे कोई भी हो यदि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस की अभिरक्षा में संस्वीकृति कथन करते समय जब तक कि ऐसी संस्वीकृति तत्काल किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं की गई है और अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी संस्वीकृति को साबित करने का वर्जन करता है । तथापि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 में अधिरोपित वर्जन करता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया संस्वीकृति का प्रयोग अपवाद को प्रकट करता है क्योंकि इसमें यह उपबंध किया गया है कि किसी

अपराध के बारे में अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त की गई सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलने का अभिसाक्ष्य दिया जाता है जबकि अभियुक्त व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है तो ऐसी सूचना क्या संस्वीकृति की कोटि में आती है या नहीं क्योंकि यह बात सुभिन्न रूप से तथ्य के बारे में पता चलने से संबधित है, जिसे साबित किया जा सकता है । इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के परंतुक में कोई कथन जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आता है और जो साधारणतया "प्रकटीकरण कथन" के निबंधनों में है इस मत के आधार पर उसको प्रयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के परिणामस्वरूप वास्तविक तथ्य का पता चला है इस पर कुछ प्रतिभूतियां दी जाती हैं कि प्रकटीकरण कथन सत्य था । इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 सूचना के सीमित प्रयोग को अनुज्ञात करती है जो अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष प्रकट किया जा सका जब वह पुलिस अभिरक्षा में था । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की परिधि पर विचार करते हुए इस बात को विवेक में रखना जरूरी है कि प्रथम शर्त साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि किसी तथ्य का पता चलना चाहिए हालांकि किसी व्यक्ति से जो अपराध का अभियुक्त है, प्राप्त की गई सूचना के परिणामस्वरूप सुसंगत तथ्य हो । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने के लिए दूसरी शर्त यह है कि पता चलने के तथ्य का अभिसाक्ष्य दिया जाना चाहिए । दूसरे रूप में इससे यह अभिप्रेत है कि पता चलने का तथ्य साक्ष्य के आधार पर अभिलेख पर आना चाहिए न कि किसी रूप में । तीसरी शर्त यह है कि सूचना प्राप्त करते समय अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए । चौथा जो अति महत्वपूर्ण शर्त है यह है कि केवल "इतनी अधिक दी गई सूचना" जो पता चले तथ्य से सुभिन्न रूप से संबंधित है, ग्राह्य है । शेष सूचना जो अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दी जा सके उसे अपवर्जित कर देना चाहिए । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के बीच लघु विभेद पर विचार करते हुए यह मत स्थापित किया जाता है कि यदि किसी तथ्य का सूचना दिए जाने के परिणामस्वरूप वास्तविक रूप से पता चलता है तो उससे कुछ प्रतिभूति दी जाती हैं कि ऐसी सूचना सही थी और परिणामस्वरूप उक्त सूचना को साक्ष्य में दिया जाना सुरक्षित रूप से मंजूर किया जा सकता है क्योंकि यदि ऐसी सूचना की वस्तुओं की बरामदगी या अपराध के आयुध की बरामदगी से पुष्टि होती है जिससे यह विश्वास मिलता है कि अपराध की ऐसी वस्तु के बारे में की

गई संस्वीकृति के बारे में सूचना मिथ्या नहीं कही जा सकती । इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पता चले तथ्य से अपराध में फंसाने वाली सामग्री की बरामदगी या ऐसी वस्तु जो हमले का आयुध हो एक ही नहीं हैं । न्यायालयों को बार-बार यह स्मरण रखना चाहिए कि पता चले तथ्य भ्रामक नहीं है या अपराध में फंसाने वाली सामग्री की बरामदगी के समतुल्य नहीं है जैसाकि हमले का आयुध आदि । पता लगे हुए तथ्य में वह स्थान भी सम्मिलित है जहां से वस्तु को पेश किया गया/बरामद किया गया था और इस बारे में अभियुक्त की जानकारी ऐसी विषयवस्तु है । अब न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में विचार करता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 से केवल "इतनी अधिक सूचना" जो प्रमाण्य पता चले तथ्य की सुभिन्नता से संबंधित है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का पालन किया गया है कि न्यायालय के लिए इस बात का जानना अपेक्षित है कि अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष ठीक-ठीक क्या कथन किया था ताकि न्यायालय वर्णित साक्ष्य पर कार्यवाही करने के पूर्व इस बारे में जानना चाहता है कि अभियुक्त द्वारा कितनी सूचना दी गई थी जो पता लगाए गए तथ्य की सुभिन्नता से संबंधित हो । (सुभिन्नता) शब्द जैसाकि मोहम्मद इनायतुल्ला वाले मामले में बताया गया है प्रमाण्य सूचना की परिधि को परिभाषित करने के लिए प्रयोग में लाया गया है । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान अभियुक्त-अपीलार्थी को अपराधों से दोषसिद्ध किया गया । विचारण न्यायालय के अनुसार कि उसने अरविन्द दूबे (मृतक) के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में अपराध किया था और यह दोषसिद्धि प्रारंभिक रूप से संस्वीकृति कथन पर आधारित है जो अरविन्द दूबे के बारे में किया जाना अधिकथित है । यह आवश्यक है कि इस बारे में विधि का उल्लेख करें जो सह-अभियुक्त के संस्वीकृति कथन की ग्राह्यता और प्रयोग किए जाने को शासित करता है और अभियुक्त द्वारा अपने हित के प्रतिकूल की गई संस्वीकृति से विभेद करता है । (पैरा 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 34 और 35)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[1952]	एम. ए. एन. यू./एस. सी./0031/1952 = ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 159 : **कश्मीरा सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ।	50, 51, 55, 59

निर्दिष्ट निर्णय

[2005] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0465/2005 = (2005) 11 एस. सी. सी. 600 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3820 : **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली राज्य** बनाम **नवजोत संधु** ; 31

[2004] (2004) 7 एस. सी. सी. 799 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4197 : **परमानन्द पेगु** बनाम **असम राज्य** ; 59

[2004] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0096/2004 = (2004) 10 एस. सी. सी. 657 = 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 1380 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2865 : **अवतार सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य** ; 32

[2002] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0723/2002 **बोधराज** बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य** ; 28

[2001] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0443/2001 = 2001 क्रिमिनल ला जर्नल 4168 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2778 : **तमिलनाडु राज्य** बनाम **कूटि** उर्फ **लक्ष्मी नरसिंहमन** ; 40

[2001] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0088/2001 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 979 : **संजय** उर्फ **काका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली राज्य** ; 31

[2000] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0299/2000 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1691 : **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **दामू** ; 29

[1997] एम. ए. एन. यू./एस. सी./2070/1997 = (1997) 3 एस. सी. सी. 721 : **के. आई. परुन्नी** बनाम **सहायक कलक्टर (हेड क्वार्टर), सैन्ट्रल एक्साइज कलक्टर, कोचीन** ; 41

[1994] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0500/1994 =
ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 2420 :
सुरेश चन्द्र बाहरी बनाम **बिहार राज्य** ; 23

[1992] 1992 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2028 :
चन्द्रकांत चिमन लाल देसाई बनाम **गुजरात राज्य** ; 59

[1988] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0241/1988 =
ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1883 :
केहर सिंह बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)** ; 40

[1975] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0166/1975 =
ए. आई. आर. 1976 एस सी 483 :
मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 24

[1964] ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1184 :
हरी चरन कुर्मी बनाम **बिहार राज्य** ; 53

[1962] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0152/1962 =
ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1094 :
प्यारे लाल भार्गव बनाम **राजस्थान राज्य** ; 38

[1960] एम. ए. एन. यू./यू. पी./0227/1960 =
ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1116 =
1962 (2) क्रिमिनल ला जर्नल 251 :
उदय भान बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 26

[1957] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0038/1957 =
ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 637 :
स्वर्ण सिंह रतन सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 37

[1956] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0101/1956 =
ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 216 :
बलबीर सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 56

[1949] 76 आई. एन. डी. ए. पी. पी. 147 =
ए. आई. आर. 1949 पी. सी. 257 :
भूबोनी साहू बनाम **किंग** ; 48

[1947] ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67 =
1947 क्रिमिनल ला जर्नल 533 :
पालुकुरी कोटय्या बनाम **एम्परर** ; 26, 27

[1929] आई. एल. आर. 10 एल. ए. एच. 283 =
1929 क्रिमिनल ला जर्नल 414 =
ए. आई. आर. 1929 एल. ए. एच. 344 =
एम. ए. एन. यू./एम. एच./0264/1931 = आई.
एल. आर. 56 मुम्बई 172 = ए. आई. आर.
1932 मुम्बई 286 = 1932 (33) क्रिमिनल ला
जर्नल 396 :
सुखन बनाम **क्राउन** ; 26

12 क्रिमिनल ला जर्नल 2 :
एम्परर बनाम **ललित मोहन** । 48

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील (डी. वी.) सं. 787.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, (सुश्री) तुलिका सिंह और (सुश्री) सुधा चन्द्रा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अश्वनी कुमार सिन्हा, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आई. ए. अंसारी ने दिया ।

न्या. अंसारी – यह अपील विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बक्सर द्वारा 2006 के सेशन विचारण सं. 344 में तारीख 28 जुलाई, 2006 को पारित किए गए निर्णय और तारीख 29 जुलाई, 2006 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है । जिसके द्वारा वर्तमान दो अपीलार्थी अर्थात् धुनमुन यादव और अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी (मृतक) को दंड संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "भा. दं. सं." कहा गया है) की धारा 364क, 302 और 201 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया, दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्धि के अनुसरण में जबकि अभियुक्त-अपीलार्थी अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी (मृतक)

को मृत्यु दंड से दंडादिष्ट किया गया था, वर्तमान अपीलार्थी धुनमुन यादव को आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया था । इसी तरह, दंड संहिता की धारा 364क के साथ पठित धारा 34 के अधीन उनकी दोषसिद्धि की गई जबकि अभियुक्त-अपीलार्थी अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी (मृतक) को आजीवन कारावास तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर छह मास का कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । वर्तमान अपीलार्थी धुनमुन यादव को आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया । दंड संहिता की धारा 201 के साथ पठित धारा 34 के अधीन भी उनकी दोषसिद्धि की गई जबकि अभियुक्त-अपीलार्थी अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी (मृतक) को 7 वर्ष के कठोर कारावास भोगने और 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर तीन मास का कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया । वर्तमान अपीलार्थी धुनमुन यादव को 7 वर्ष के कठोर कारावास भोगने तथा 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 1 मास की अवधि का कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । तथापि, दंडादेश साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया था ।

2. अभियोजन पक्षकथन जैसाकि विचारण में प्रकट हुआ है, संक्षेप में, निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है :–

> "(i) अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी (मृतक) बेबी देवी (अभि. सा. 8) का फुफेरा भाई है, वह बेबी देवी के पिता अर्थात् सच्चिदानन्द दूबे (अभि. सा. 4) की बहन का पुत्र है । तारीख 19 जून, 2006 को 4.00 और 5.00 बजे अपराह्न के बीच जब बेबी देवी (अभि. सा. 8) का पुत्र अवकाश कुमार अपने अध्यापन के लिए जा रहा था । अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी उसे सी. डी. देने के बहाने उसके साथ चला था परंतु वे शाम तक घर वापस नहीं लौटे । प्रारंभ में बेबी देवी ने यह सोचा कि उसका पुत्र अवकाश अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी के साथ कहीं चला गया और वह रामशीश दूबे अभियुक्त अरविन्द दूबे के पिता के मकान पर गई परंतु तीसरे दिन बेबी देवी (अभि. सा. 8) ने अपने पुत्र की खोज-बीन शुरू की । इस प्रयोजन के लिए वह अभियुक्त अरविन्द दूबे के मकान पर गई जो अपने माता-पिता के साथ ग्राम अन्यायीपुर, चौसा पर रहता था । अभियुक्त

अरविन्द दूबे के पिता रामाशीश दूबे ने बेबी देवी (अभि. सा. 8) को यह बताया कि न तो अरविन्द और न अवकाश वहां पर पहुंचे हैं । उस समय जब बेबी देवी रामाशीश दूबे के मकान पर गई तो वह अपनी बहन पूजा सिंह (अभि. सा. 5) और अपने पति रमेश सिंह (अभि. सा. 6) के साथ थी ।

(ii) अवकाश को ढूंढते समय मुकेश कुमार सिंह (अभि. सा. 10) मकान-मालिक के दामाद के मोबाइल फोन से दूरभाष संदेश प्राप्त किया था जहां पूर्व में बेबी देवी (अभि. सा. 8) किराए पर रहा करती थी परंतु यद्यपि टेलीफोन करने वाला बेबी देवी (अभि. सा. 8) से बातचीत करना चाहता था । बेबी देवी की बहन पूजा देवी (अभि. सा. 5) ने काल प्राप्त की क्योंकि बेबी देवी अपने किराए के मकान पर नहीं मिली थी और टेलीफोन करने वाले द्वारा यह बताया गया था जो अभियुक्त अरविन्द दूबे के अलावा कोई नहीं था और 2 लाख रुपए सहित चौसा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बारे में काल किया गया था ताकि अवकाश को अभिरक्षा से प्राप्त किया जा सके । यद्यपि बेबी देवी 2 लाख रुपए की बड़ी राशि को एकत्रित करने में असमर्थ थी । वह बक्सर से चौसा रेलवे स्टेशन पर गई । उसी बीच में उसके पिता सच्चिदानन्द दूबे (अभि. सा. 4) अभियुक्त अरविन्द दूबे के पिता के मकान पर गया जब वह अभियुक्त अरविन्द दूबे से मिले अरविन्द ने सच्चिदानन्द दूबे (अभि. सा. 4) से चौसा स्टेशन पर आने के लिए कहा जहां वह रवि को लाएगा । चौसा से अभियुक्त अरविन्द दूबे सच्चिदानन्द दूबे (अभि. सा. 4) को ग्राम पावनी ले गया परंतु वहां पहुंचने पर अभियुक्त अरविन्द दूबे ने सच्चिदानन्द दूबे (अभि. सा. 4) को यह बताया कि वह चौसा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगा जहां उनका नाती (पौत्र) उसे अभि. सा. 4 को सौंप दिया जाएगा । इसके पश्चात् बेबी देवी के पिता सच्चिदानन्द दूबे (अभि. सा. 4) चौसा स्टेशन पर पहुंचे जहां बेबी देवी पहले से ही मौजूद थी और बेबी देवी द्वारा अपने पिता से इस बारे में जानकारी लेनी चाही उस पर उसके पिता ने उसे बताया कि अरविन्द दूबे उक्त रेलवे स्टेशन पर 4.00 बजे अपराह्न अवकाश को लेकर लौटेगा । यद्यपि अभियुक्त अरविन्द दूबे चौसा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वह रात्रि का भोजन लेने के बहाने वहां से चला गया और उसके पश्चात् कभी भी नहीं लौटा ।

(iii) पुलिस थाने बक्सर (टी) पर तारीख 29 जून, 2006 को फर्द बयान प्रदर्श 3 दर्ज किया गया था । उक्त फर्द बयान को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में (संक्षेप में 'एफ. आई. आर.' कहा गया है) । दंड संहिता की धारा 364क के अधीन बक्सर (टी) पर पुलिस थाना मामला सं. 187 अभियुक्त अरविन्द दूबे के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अन्वेषण के दौरान जब अभियुक्त दूबे को गिरफ्तार किया गया था तो उसके बारे में पुलिस के समक्ष इस आशय का संस्वीकृति कथन किया जाना अभिकथित है कि अभियुक्त धुनमुन यादव (अर्थात् वर्तमान अपीलार्थी) द्वारा अवकाश की हत्या कर दी गई है । पुलिस द्वारा उससे पूछताछ करने पर अभियुक्त अरविन्द दूबे ने यह स्वीकार किया कि अवकाश का व्यपहरण किया गया और उसे दूर ले जाया गया । उसके द्वारा यह कारण बताया गया कि उसकी जानकारी में यह आया था कि उसकी चचेरी बेबी देवी की किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे और इसलिए, वे बेबी देवी की हत्या करना चाहते थे परंतु वह इस षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाए क्योंकि बेबी देवी चौसा रेलवे स्टेशन पर अपने पिता और अन्य व्यक्तियों के साथ पहुंची थी ।

(iv) अभियुक्त अरविन्द दूबे के अभिकथित संस्वीकृति कथन के आधार पर अवकाश का शव और कुछ वस्तुएं पेंसिल, स्कूल बैग आदि जिन्हें उस सुसंगत समय पर अवकाश ले जा रहा था और उसके पहने हुए कपड़े बरामद किए गए थे और उन्हें अभिगृहीत किया गया था ।

(v) उसी दौरान वर्तमान अपीलार्थी धुनमुन यादव को भी गिरफ्तार किया गया और तब दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अर्थात् धुनमुन यादव और अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 364क/302/201/34 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ।'

3. विचारण किए जाने पर जब दंड संहिता की धारा 364क, 302 और 201 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे । दोनों अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् धुनमुन यादव (वर्तमान अपीलार्थी) और अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी (मृतक) ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 11

साक्षियों की परीक्षा की । पूर्व उल्लिखित दोनों अभियुक्तों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313(1)(ख) के अधीन परीक्षा की गई । उन्होंने अपनी परीक्षा में इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने अपराध किया था जिसके बारे में उनके द्वारा किया जाना अभिकथित है । प्रतिरक्षा का मामला होने से इनकार किया गया । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया ।

5. विचारण न्यायालय ने पूर्व उल्लिखित दोनों अभियुक्तों को अपराधों का दोषी पाया था जिस पर उन्हें आरोपित किया गया और तद्नुसार उन्हें दोषसिद्ध किया गया और उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया गया जैसाकि हमने ऊपर उल्लेख किया है ।

6. अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी को दंडादिष्ट किया गया था जैसाकि इसमें ऊपर उपदर्शित किया गया है, हत्या के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया गया । विचारण न्यायालय के अनुसार, अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी जिसने अपराध किया था, उसके दंडादेश की अभिपुष्टि के लिए निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के उपबंधों के निबंधनों में इसी न्यायालय द्वारा किया गया था और इस निर्देश को तारीख 5 अगस्त, 2006 को मृत्यु दंड निर्देश सं. 6 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

7. अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर जो इन दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध पारित किया गया था । दोनों दोषसिद्ध व्यक्ति अर्थात् अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी (मृतक) और धुनमुन यादव (वर्तमान अपीलार्थी) ने अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपीलें फाइल की हैं ।

8. दोषसिद्ध व्यक्तियों के रूप में अभियुक्त अरविन्द दूबे ने 2006 की दांडिक अपील (डीबी) सं. 912 फाइल की तथा वर्तमान अपीलार्थी धुनमुन यादव द्वारा भी अपील फाइल की गई जिसे 2006 की दांडिक अपील (डीबी) सं. 787 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

9. तारीख 5 अगस्त, 2006 के मृत्यु दंड निर्देश के लंबित रहने के दौरान और 2006 की दांडिक अपील (डीबी) सं. 912 अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी की तारीख 25 जून, 2007 को जब उसे सदर अस्पताल, बक्सर में भेजा जा रहा था, मृत्यु हो गई ।

10. इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने तारीख 20 जुलाई, 2007 को आदेश पारित करके उक्त मृत्यु दंड निर्देश तथा दांडिक अपील का

निपटारा कर दिया गया जो अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी द्वारा फाइल की गई थी जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त अपील का उपशमन कर दिया गया और मृत्यु दंड का निर्देश असफल हो गया था । तथापि, वर्तमान अपील लंबित है ।

11. हमने अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह और राज्य की ओर से श्री अश्वनी कुमार सिन्हा विद्वान् अपर लोक अभियोजक को सुना ।

12. वर्तमान अपील पर विचार करते हुए यह उल्लेख किया जाना जरूरी है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के प्रयोजन हेतु साक्ष्य के दो भागों का अवलंब लिया जो वर्तमान अपीलार्थी धुनमुन यादव के विरुद्ध अभिलेख पर प्रकट हुए हैं क्योंकि बेबी देवी (अभि. सा. 8) ने विचारण के दौरान अपीलार्थी धुनमुन यादव की शिनाख्त की थी और यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह (अर्थात् धुनमुन यादव) अभियुक्त अरविन्द दूबे (मृतक) चौसा स्टेशन पर धुनमुन यादव के साथ मौजूद था और साक्ष्य का दूसरा टुकड़ा कथन के रूप में है जिसे सह-अभियुक्त अरविन्द दूबे **उर्फ** गांधी (मृतक) द्वारा शव व अन्य वस्तुओं की बरामदगी के संबंध में पुलिस के समक्ष किए जाने का अभिकथन किया गया है जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है ।

13. मामले के उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए सावधानीपूर्वक यह उल्लेख किया जाना जरूरी है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वर्तमान अपीलार्थी धुनमुन यादव की सुनवाई करते समय एक ओर अभियुक्त अरविन्द दूबे तथा दूसरी ओर बेबी देवी और उसके पिता सच्चिदानन्द दूबे (अभि. सा. 4) के बीच कोई वार्तालाप हुई थी ।

14. अतः वर्तमान अभियुक्त-अपीलार्थी धुनमुन यादव की ओर से दी गई दलील में कुछ बल प्रकट होता है कि मात्र यह तथ्य कि यह अपीलार्थी अभियुक्त अरविन्द दूबे के साथ चौसा स्टेशन पर मौजूद था । उसने अपरिहार्य रूप से उसका पीछा नहीं किया होगा जिसका परिणाम यह था कि वर्तमान अपीलार्थी अपराधों का पक्षकार है जिसे अरविन्द दूबे द्वारा कारित किया गया था ।

15. उपरोक्त बातों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय सम्पूर्ण संस्वीकृति कथन को अभिलेख पर लाया है जिसके बारे में अभियुक्त अरविन्द दूबे द्वारा किया जाना अभिकथित है और अन्वेषक

अधिकारी द्वारा इस आधार पर उसे अभिलिखित किया गया कि यह कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन ग्राह्य है ।

16. इस बात को विवेक में रखा जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को किया गया संस्वीकृति कथन इस सीमा को छोड़कर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है कि कथन तथ्य के प्रकट होने पर संस्वीकृति की कोटि में आ सकता है या नहीं । पता लगा हुआ तथ्य शव की बरामदगी या अन्य अपराध में फंसाने वाली वस्तुओं के समतुल्य नहीं है ।

17. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की परिधि पर विचार करते हुए यह उल्लेख किया जाना जरूरी है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर उससे यह स्पष्ट होता है कि यह धारा (धारा 25) में यह आज्ञा दी गई है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी । इसी तरह, साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में यह उपबंध किया गया है कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति तब तक उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसी संस्वीकृति को किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल न करा दी जाए ।

18. इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध की गई संस्वीकृति को साबित किए जाने का पूरी तरह से वर्जन करता है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति चाहे कोई भी हो यदि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस की अभिरक्षा में संस्वीकृति कथन करते समय जब तक कि ऐसी संस्वीकृति तत्काल किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं की गई है और अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी संस्वीकृति को साबित करने का वर्जन करता है । तथापि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 में अधिरोपित वर्जन करता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया संस्वीकृति का प्रयोग अपवाद को प्रकट करता है क्योंकि इसमें यह उपबंध किया गया है कि किसी अपराध के बारे में अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त की गई सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलने का अभिसाक्ष्य दिया जाता है जबकि अभियुक्त व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है तो ऐसी सूचना क्या संस्वीकृति की कोटि में आती है या नहीं क्योंकि यह बात सुभिन्न रूप से तथ्य के बारे में पता चलने से संबंधित है, जिसे साबित

किया जा सकता है ।

19. इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के परंतुक में कोई कथन जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आता है और जो साधारणतया "प्रकटीकरण कथन" के निबंधनों में है इस मत के आधार पर उसको प्रयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के परिणामस्वरूप वास्तविक तथ्य का पता चला है इस पर कुछ प्रतिभूतियां दी जाती हैं कि प्रकटीकरण कथन सत्य था । इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 सूचना के सीमित प्रयोग को अनुज्ञात करती है जो अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष प्रकट किया जा सका जब वह पुलिस अभिरक्षा में था ।

20. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की परिधि पर विचार करते हुए इस बात को विवेक में रखना जरूरी है कि प्रथम शर्त साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि किसी तथ्य का पता चलना चाहिए हालांकि किसी व्यक्ति से जो अपराध का अभियुक्त है, प्राप्त की गई सूचना के परिणामस्वरूप सुसंगत तथ्य हो । साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने के लिए दूसरी शर्त यह है कि पता चलने के तथ्य का अभिसाक्ष्य दिया जाना चाहिए । दूसरे रूप में इससे यह अभिप्रेत है कि पता चलने का तथ्य साक्ष्य के आधार पर अभिलेख पर आना चाहिए न कि किसी रूप में । तीसरी शर्त यह है कि सूचना प्राप्त करते समय अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए । चौथा जो अति महत्वपूर्ण शर्त है यह है कि केवल "इतनी अधिक दी गई सूचना" जो पता चले तथ्य से सुभिन्न रूप से संबंधित है, ग्राह्य है । शेष सूचना जो अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दी जा सके उसे अपवर्जित कर देना चाहिए ।

21. "इतनी अधिक दी गई सूचना" की अभिव्यक्ति से अभिप्रेत और "सुभिन्नता" कई न्यायिक निर्णयों के निर्वचन किए जाने के अध्यधीन है । "इतनी अधिक दी गई सूचना" की अभिव्यक्ति से केवल यह अभिप्रेत है कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना का भाग जिससे तथ्य के पता चलने का प्रत्यक्ष और तत्काल कारण रहा हो ।

22. अपराध के किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस के समक्ष किए गए संस्वीकृति कथन को प्रयोग में लाने के विरुद्ध आंशिक वर्जन यह है कि यदि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के परिणामस्वरूप वास्तविक रूप से

किसी तथ्य का पता चलता है तो इससे सूचना के उस भाग की सत्यता की गारंटी मिलती है जो तथ्य के पता चलने का स्पष्ट और तात्कालिक परिणाम था ।

23. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के बीच लघु विभेद पर विचार करते हुए यह मत स्थापित किया जाता है कि यदि किसी तथ्य का सूचना दिए जाने के परिणामस्वरूप वास्तविक रूप से पता चलता है तो उससे कुछ प्रतिभूति दी जाती हैं कि ऐसी सूचना सही थी और परिणामस्वरूप उक्त सूचना को साक्ष्य में दिया जाना सुरक्षित रूप से मंजूर किया जा सकता है क्योंकि यदि ऐसी सूचना की वस्तुओं की बरामदगी या अपराध के आयुध की बरामदगी से पुष्टि होती है जिससे यह विश्वास मिलता है कि अपराध की ऐसी वस्तु के बारे में की गई संस्वीकृति के बारे में सूचना मिथ्या नहीं कही जा सकती । (देखिए **सुरेश चन्द्र बाहरी** बनाम **बिहार राज्य**[1])

24. धारा 27 में "सुभिन्नता" शब्द से "प्रत्यक्षता", "असंदिग्ध", "अतिनियमनिष्ठ" और "स्पष्टता" से अभिप्रेत है । इस शब्द का जानबूझकर सीमित प्रयोग किया गया है और प्रमाण्य सूचना की परिधि को परिभाषित किया गया है । "सुभिन्नता" मुहावरा से "ऐसा तथ्य जिसका पता लगा है" से संबंधित है और यह उपबंध के धुरे की कील है । इस मुहावरे से अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के भाग रूप में इसका उल्लेख किया गया है जो पता चले तथ्य का प्रत्यक्ष और तत्काल कारण है । कथन के शेष भाग की ऐसी कोई प्रत्याभूति या आश्वासन नहीं मिलता है जो पता लगे तथ्य के संबंध में अप्रत्यक्षता या दूरस्थ रूप से संबंधित हो सकता है । (देखिए **मोहम्मद इनायतुल्ला** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2])

25. इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पता चले तथ्य से अपराध में फंसाने वाली सामग्री की बरामदगी या ऐसी वस्तु जो हमले का आयुध हो एक ही नहीं हैं । न्यायालयों को बार-बार यह स्मरण रखना चाहिए कि पता चले तथ्य भ्रामक नहीं है या अपराध में फंसाने वाली सामग्री की बरामदगी के समतुल्य नहीं है जैसाकि हमले का आयुध आदि । पता लगे हुए तथ्य में वह स्थान भी सम्मिलित है जहां से वस्तु को पेश किया गया/बरामद किया गया था और इस बारे में अभियुक्त की जानकारी

---

[1] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0500/1994 = ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 2420.

[2] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0166/1975 = ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 483.

ऐसी विषयवस्तु है ।

26. उस समय यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "पता चले तथ्य" जैसाकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में उस बारे में विचार किया गया है । यह भौतिक या तात्विक तथ्य को निर्बंधित करता है जिससे संवेदनाओं को समझा जा सकता है इसमें मनोगत तथ्य सम्मिलित नहीं हो सकता । (देखिए **सुखन** बनाम **क्राउन**[1]) तथापि, इस बात पर बहुत ज्यादा संदेह नहीं किया जाता कि "पता लगे तथ्य" की अभिव्यक्ति में पेश की गई भौतिक वस्तु ही सम्मिलित नहीं है परंतु वह स्थान भी सम्मिलित है जहां से ऐसी भौतिक वस्तु को पेश किया गया था और ऐसा तथ्य अभियुक्त की जानकारी में था । (देखिए **पालुकुरी कोटय्या** बनाम **एम्परर**[2] और **उदय भान** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[3])

27. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का क्षेत्र और परिधि के बारे में स्पष्ट रूप से **पालुकुरी कोटय्या** (उपरोक्त) वाले मामले में यह कथन किया गया जिसमें निम्नलिखित शब्दों में उसके आदर्श को प्रकट किया गया है :–

> "इस धारा के अंतर्गत 'पता लगे तथ्य' को पेश किए गए वस्तु के समतुल्य मानना भ्रामक है; पता लगे तथ्य में वह स्थान सम्मिलित है जहां से वस्तु को पेश किया गया और यह बात अभियुक्त की जानकारी में है और दी गई सूचना इस तथ्य की सुभिन्नता से संबंधित होनी चाहिए । पूर्व उपभोक्ता के बारे में सूचना या पेश की गई वस्तु का पूर्व इतिवृत्त तथ्य के पता लगने से संबंधित नहीं है जिसमें इस तथ्य का पता लगाया गया है । ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अभिरक्षा में है ऐसी सूचना दी गई । कि 'मैं अपने मकान की छत में छुपाए गए चाकू को पेश करूंगा' इससे चाकू का पता लगना प्रकट नहीं होता है । चाकू की बरामदगी कई वर्ष पहले कर ली गई थी इससे तथ्य का होना पता लगता है कि इत्तिला देने वाले के मकान में

---

[1] आई. एल. आर. 10 एल. ए. एच. 283 = 1929 क्रिमिनल ला जर्नल 414 = ए. आई. आर. 1929 एल. ए. एच. 344 = एम. ए. एन. यू./एम. एच./0264/1931 = आई. एल. आर. 56 मुम्बई 172 = ए. आई. आर. 1932 मुम्बई 286 = 1932 (33) क्रिमिनल ला जर्नल 396.

[2] ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67 = 1947 क्रिमिनल ला जर्नल 533.

[3] एम. ए. एन. यू./यू. पी./0227/1960 = ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1116 = 1962 (2) क्रिमिनल ला जर्नल 251.

उसकी जानकारी के साथ चाकू छुपाया गया था और यदि अपराध को कारित किए जाने में प्रयोग किए गए चाकू को साबित किया जाता है । ऐसे पता लगा हुआ तथ्य बहुत सुसंगत है । यदि कथन में इन शब्दों को जोड़ दिया जाए 'जिससे मैंने वेधन घाव पहुंचाया' ये शब्द अग्राह्य हैं क्योंकि इत्तिला देने वाले के मकान में चाकू की बरामदगी से संबंधित नहीं है ।"

28. निःसंदेह, साक्ष्य में स्वीकार करने के लिए सूचना को अनुज्ञात किया जाता है तो उसमें से सूचना के ऐसे भाग को सीमित किया जाता है जो "सुभिन्नतया" पता चले शब्द से संबंधित है परंतु स्वीकार किए जाने के सूचना की काट-छांट करना जरूरी नहीं है जिससे संज्ञाहीनता प्रकट हो जाए । सूचना के विस्तार जिसे साक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित है ऐसी होनी चाहिए जिससे कि साधारण प्रज्ञा का कोई व्यक्ति उस सूचना को समझ जाए । मात्र यह कथन कि अभियुक्त पुलिस और साक्षी को उस स्थान पर ले गया जहां उसने वस्तुओं को छुपा रखा था तो इससे दी गई सूचना प्रकट नहीं होती है । (देखिए **बोधराज** बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य**[1]) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इसलिए इस मामले में लागू नहीं होती है जिसमें किसी साक्षी ने ऐसा अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि अभियुक्त व्यक्ति ने पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए ऐसी सूचना दी जिस कार्य से तथ्य का पता लगा हो ।

29. **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **दामू**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है "पता लगे हुए तथ्य" की अभिव्यक्ति को सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है । **दामू** (उपरोक्त) वाले मामले में अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी होने पर अन्वेषक अधिकारी को यह बताया "दीपक के शव को मैंने और गुरुजी (अभियुक्त सं. 2) द्वारा अपनी मोटर-साइकिल पर लाया गया था और नहर में इसे फेंक दिया गया था" उच्च न्यायालय ने अभियुक्त सं. 3 (मुकिन्दा थोरट) के उक्त कथन को इस आधार पर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया गया कि अभियुक्त सं. 3 द्वारा बताए गए शव के बारे में उक्त कथन के अनुसरण में उसे बरामद नहीं किया गया था । इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त सं. 3 द्वारा किए गए उक्त कथन के अनुसरण में कि उसने

---

[1] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0723/2002.

[2] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0299/2000 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1691.

घटनास्थल की ओर इंगित किया और पुलिस उसे घटनास्थल पर ले गई और वहां पहुंच कर अन्वेषक अधिकारी ने जमीन पर पड़े हुए ग्लास के टूटे टुकड़े पाए । ग्लास के इस टुकड़े को अन्वेषक अधिकारी द्वारा उठाया गया था । ग्लास के उक्त टूटे टुकड़े की बरामदगी पर अभिलेख पर साक्ष्य के अन्य टुकड़े अर्थात् मोटरसाइकिल जिसे अभियुक्त सं. 2 गुरुजी के मकान से बरामद किया गया के प्रकाश में विचार किया गया था और इसके पीछे का लैंप टूटा हुआ पाया गया था और इस पीछे के लैंप का एक टुकड़ा गायब था । तथापि, जब ग्लास का टूटा हुआ टुकड़ा घटनास्थल से (अभियुक्त सं. 3 द्वारा बताया गया स्थान) बरामद किया गया जो मोटर-साइकिल के पिछले लैंप की ओर टूटी हुई हालत में रखा गया था, इसे स्थान पर लगाया गया था उक्त ग्लास के टुकड़े को मोटरसाइकिल के टूटे हुए पिछले लैंप का भाग जो गायब हो गया था, इकट्ठा किया गया था ।

30. तथ्य की ऐसी स्थिति पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने **दामू** (उपरोक्त) वाले मामले जिसमें न्यायमूर्ति के. टी. थामस ने मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जो इस प्रकार है :–

> "36. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में सम्मिलित आधारिक विचार पश्चात्वर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है । यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि किसी तथ्य का कैदी से प्राप्त की गई सूचना के बल पर उसका पता लगाया गया है ऐसी खोज की प्रत्याभूति दी जाती है और कैदी द्वारा दी गई ऐसी सूचना को सही माना जाता है । ऐसी सूचना संस्वीकृति हो सकती है या प्रकृति में अपराध में फंसाने वाली नहीं हो सकती परंतु यदि तथ्य के पता लगने के परिणाम यह विश्वसनीय सूचना हो जाती है । इसलिए, विधान-मंडल ने ग्राह्य भाग को न्यूनतम रूप से निर्बंधित करके साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाने वाली ऐसी सूचना को अनुज्ञात किया है । यह सुस्थिर है कि किसी वस्तु की बरामदगी से तथ्य का पता लगना नहीं है जैसाकि धारा में विचार किया गया है । **पालुकुरी कोटय्या** बनाम **एम्परर** (उपरोक्त) वाले मामले में प्रिवी काउंसिल का विनिश्चय निर्वचन को समर्थन देने के लिए एक नज़ीर के रूप में उत्कथित किया है कि 'पता लगे हुए तथ्य' जैसाकि धारा में विचार किया गया है उसमें वह स्थान भी सम्मिलित है जहां पर वस्तु को पेश किया गया और इस बारे में अभियुक्त की जानकारी हो परंतु वर्णित सूचना सुभिन्न रूप से उस प्रभाव से संबंधित है ।

37. निःसंदेह, साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने के लिए अनुज्ञात सूचना पर सूचना के उस भाग को सीमित किया जाता है जो सुभिन्न रूप से पता लगे हुए तथ्य से संबंधित है । परंतु स्वीकार किए जाने के लिए दी गई सूचना को इस तरह काट-छांट किया जाना जरूरी नहीं है जिससे कि ऐसी सूचना संज्ञाहीन हो जाए । स्वीकार की गई सूचना का विस्तार समझे जाने के संगत होनी चाहिए । इस मामले में अभि. सा. 44 द्वारा खोजा गया तथ्य यह है कि अभियुक्त सं. 3 मुकिन्दा थोरट मोटरसाइकिल पर दीपक के शव को घटनास्थल पर लाया था ।

38. कैसे विशिष्ट सूचना तथ्य का पता लगाए जाने के लिए दी गई ? निःसंदेह, दीपक के शव की बरामदगी किसी नहर से होना पूर्ववर्ती सूचना है जो अभि. सा. 44 से प्राप्त की गई । यदि इस सूचना के अनुसरण में कुछ भी बरामदगी नहीं की जाती और अभियुक्त से सूचना प्राप्त करने के पश्चात् किसी तथ्य का पता नहीं चलता है । परंतु जब घटनास्थल से ग्लास का टूटा हुआ टुकड़ा बरामद किया गया था और यह टुकड़ा अभियुक्त सं. 2 गुरुजी की मोटरसाइकिल के पिछले लैंप के भाग के रूप में पाया गया था तब सुरक्षित रूप से यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अन्वेषक अधिकारी ने इस तथ्य का पता लगाया कि अभियुक्त सं. 2 गुरुजी, विशिष्ट मोटरसाइकिल पर शव को घटनास्थल पर लाया था ।

39. तथ्य के उक्त बात का पता लगने को ध्यान में रखते हुए हमने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त सं. 2 गुरुजी द्वारा दी गई सूचना कि दीपक का शव मोटरसाइकिल पर विशिष्ट घटनास्थल पर लाया गया था यह बात साक्ष्य में ग्राह्य है अतः ऐसी सूचना ऊपर उल्लिखित सीमा तक अभियोजन पक्षकथन को साबित करती है ।

(अधोरेखांकित पर बल दिया गया)"

31. हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि **दामू** (उपरोक्त) वाला मामला के विनिश्चय का भी उल्लेख किया गया था और **संजय** उर्फ **काका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली राज्य**[1] वाले मामले में अवलंब लिया गया । **दामू** (उपरोक्त) वाला मामला के सिद्धांत की **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली**

[1] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0088/2001 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 979.

राज्य बनाम **नवजोत संधु**[1] वाले मामले में चर्चा की गई थी और उससे सहमति व्यक्त नहीं की गई ।

32. **अवतार सिंह** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 27 की आवश्यकताओं का सार दिया है जो निम्न प्रकार है :–

> "(1) ऐसा तथ्य जिसे साक्ष्य में दिया जाना ईप्सित है, इस मुद्दे के सुसंगत होना चाहिए । विवेक में यह बात रखी जानी चाहिए कि सुसंगतता के प्रश्न पर यह उपबंध कुछ भी नहीं बताता है, पता लगे हुए तथ्य की सुसंगतता को अन्य साक्ष्य की सुसंगतता के संबंध में सिद्ध किया जाना चाहिए जो पता लगे तथ्य को ग्राह्य योग्य बनाने के लिए अपराध से संबंधित हो ।
>
> (2) तथ्य का पता लगाया जाना चाहिए ।
>
> (3) अभियुक्त से प्राप्त की गई किसी सूचना के परिणामस्वरूप उसका पता लगाया जाना चाहिए न कि अभियुक्त के स्वयं कार्य से ।
>
> (4) ऐसा व्यक्ति जिसने सूचना दी है, वह किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए ।
>
> (5) उसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होना चाहिए ।
>
> (6) जिस अभियुक्त से सूचना प्राप्त की गई है जिसके परिणामस्वरूप तथ्य का पता चला है, उसने अभिरक्षा में रहते हुए ऐसा अभिसाक्ष्य दिया होगा ।
>
> (7) तदुपरि सूचना का केवल ऐसा भाग जो सुभिन्नता या नियमनिष्ठ से पता लगाया तथ्य से संबंधित हो, उसे साबित किया जा सकता है और बाकी भाग अग्राह्य है ।"

33. अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि किसी व्यक्ति को इस बारे में निर्धारण करना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति के कथन के किस भाग को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का सहारा लेते हुए साक्ष्य में ग्राह्य

---

[1] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0465/2005 = (2005) 11 एस. सी. सी. 600 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3820.

[2] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0096/2004 = (2004) 10 एस. सी. सी. 657 = 2004 क्रिमिनल ला जर्नल 1380 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2865.

किया जाएगा । **मोहम्मद इनायतुल्ला** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात का उल्लेख किया है कि निर्धारण करने की प्रक्रिया में पहला कदम यह होना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के परिणामस्वरूप किस तथ्य का पता चला है । इस तथ्य का ठीक पता लगाने के लिए कि अभियुक्त व्यक्ति के कथन के परिणामस्वरूप क्या इस तथ्य का पता चल सका है । **मोहम्मद इनायतुल्ला** (उपरोक्त) वाले मामले में अभियुक्त के कथन का परिशीलन किया गया जो इस प्रकार है :–

> "मैं तीन केमिकल ड्रम्स को जमा करने के स्थान को बताऊंगा जिन्हें पहली अगस्त को हाजी बुन्देर से लिए थे । अभियुक्त इनायतुल्ला द्वारा किए गए ऐसे कथन में पता चले हुए तथ्य के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि **मोहम्मद इनायतुल्ला** (उपरोक्त) वाले मामले में तीन बातें प्रकट हुई हैं अर्थात् (क) केमिकल ड्रम्स (ख) वह स्थान जहां केमिकल ड्रम्स जमा किए गए थे और (ग) इस तथ्य के बारे में अभियुक्त की जानकारी कि ऐसे केमिकल ड्रम्स उक्त स्थान पर जमा किए गए थे । उच्चतम न्यायालय के अनुसार उक्त कथन में विभिन्न घटकों को विखंडित किया जाना चाहिए और अग्राह्य बातों से ग्राह्य घटक को अलग किया जाना चाहिए । तत्पश्चात् घटक या भाग जो पता चले हुए बातों का तत्काल कारण हो, उन्हें विधिक साक्ष्य के रूप में अभिलिखित किया जाना चाहिए न कि शेष कथन को । बाकी कथन को अस्वीकार कर देना चाहिए ।
>
> इस प्रकार अभियुक्त इनायतुल्ला के उक्त कथन की काट-छांट करके उच्चतम न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त कथन का केवल प्रथम भाग अर्थात् 'मैं तीन केमिकल ड्रम्स के जमा किए जाने वाले स्थान को बताऊंगा' यह बात पता चले तथ्य का प्रत्यक्ष कारण था और इसलिए, उक्त अभियुक्त व्यक्ति के सम्पूर्ण कथन से केवल वह भाग अर्थात् 'कि मैं तीन केमिकल ड्रम्स को जमा किए जाने वाले स्थान को बताऊंगा' इस बात को धारा 27 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य ठहराया गया था । शेष कथन अर्थात्, 'कि जिन्हें मैंने पहली अगस्त को हाजी बुन्देर से लिए थे यह बात अभियुक्त द्वारा ड्रमों की चोरी के बारे में उसके पूर्व इतिवृत्त को गठित करते हैं और चूंकि अभियुक्त इनायतुल्ला के कथन का यह भाग पता चले तथ्य के सुभिन्न और निकट का कारण नहीं था इसलिए उसे कुल मिलाकर साक्ष्य में

अस्वीकार कर दिया गया ।"

34. अब हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में विचार करते हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 से केवल "इतनी अधिक सूचना" जो प्रमाण्य पता चले तथ्य की सुभिन्नता से संबंधित है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का पालन किया गया है कि न्यायालय के लिए इस बात का जानना अपेक्षित है कि अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष ठीक-ठीक क्या कथन किया था ताकि न्यायालय वर्णित साक्ष्य पर कार्यवाही करने के पूर्व इस बारे में जानना चाहता है कि अभियुक्त द्वारा कितनी सूचना दी गई थी जो पता लगाए गए तथ्य की सुभिन्नता से संबंधित हो । (सुभिन्नता) शब्द जैसाकि **मोहम्मद इनायतुल्ला** (उपरोक्त) वाले मामले में बताया गया है प्रमाण्य सूचना की परिधि को परिभाषित करने के लिए प्रयोग में लाया गया है ।

35. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान अभियुक्त-अपीलार्थी को अपराधों से दोषसिद्ध किया गया । विचारण न्यायालय के अनुसार कि उसने अरविन्द दूबे (मृतक) के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में अपराध किया था और यह दोषसिद्धि प्रारंभिक रूप से संस्वीकृति कथन पर आधारित है जो अरविन्द दूबे के बारे में किया जाना अधिकथित है । यह आवश्यक है कि इस बारे में विधि का उल्लेख करें जो सह-अभियुक्त के संस्वीकृति कथन की ग्राह्यता और प्रयोग किए जाने को शासित करता है और अभियुक्त द्वारा अपने हित के प्रतिकूल की गई संस्वीकृति से विभेद करता है ।

36. अभियुक्त द्वारा अपने विरुद्ध किए गए संस्वीकृति कथन की परिधि और उसके प्रयोग में थोड़ी बहुत भिन्नता है और यह पूर्णतया सुभिन्न है तथा सह-अभियुक्त की संस्वीकृति कथन की परिधि और उसकी इस्तेमाल से विभेद करता है ।

37. जब अभियोजन पक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर उसकी दोषसिद्धि की ईप्सा करता है तब अभियुक्त की स्वयं की संस्वीकृति पर दोषसिद्धि के आधार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है । यदि न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को स्वैच्छिक और सही पाता है तो भी । इस पद्धति के नियम पर खासतौर पर संस्वीकृति का अवलंब लेना असुरक्षित है । यदि संस्वीकृति वापस ली गई है तो जब तक न्यायालय का यह समाधान न हो जाए कि वापस ली गई संस्वीकृति स्वैच्छिक और सही है और ऐसी

संस्वीकृति और तात्विक विशिष्टियों से संपुष्टि हुई है । हम **स्वर्ण सिंह रतन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया है जो इस प्रकार है :–

> "तथापि, यह सही है कि स्वर्ण सिंह ने संस्वीकृति की थी और विधि के अनुसार न्यायालय हमेशा इस बात के लिए स्वतंत्र है कि अभियुक्त को उसकी संस्वीकृति पर दोषसिद्ध किया जा सकता है यद्यपि बात के प्रक्रम पर उसने ऐसी संस्वीकृति वापस ले ली है.....
>
> फिर भी प्रायः न्यायालयों से ऐसे कथन पर अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि करने से पूर्व संस्वीकृति की सम्पुष्टि की जानी अपेक्षित है । ऐसे किसी मामले में सम्पुष्टि की कितनी मात्रा आवश्यक होगी यह हमेशा तथ्य का प्रश्न रहा है जिस पर अलग-अलग मामलों की परिस्थितियों पर इसे अवधारित किया जाता है ।"

(अधोरेखांकित पर बल दिया गया)

38. तथापि, यह उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है कि अभिलेख की सामग्री से संस्वीकृति की साधारणतया सम्पुष्टि हो सकती है और ऐसी सम्पुष्टि को अंकगणतीय के सटीक रूप में लेना जरूरी नहीं है । मामले के पहलू को आसानी से **प्यारे लाल भार्गव** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामले के विनिश्चय से ज्ञेय है जिसमें यह दलील दी गई थी कि अभियुक्त-अपीलार्थी सं. 2 ने अपनी संस्वीकृति में स्वयं यह नहीं कहा है कि उसने दो मृतकों में से एक के छूरा घोंपा था । उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर मामले के इस पहलू को कोई महत्व नहीं दिया है कि जब संस्वीकृति का सम्पूर्ण रूप से परिशीलन किया गया तब इससे कोई संदेह नहीं छूटता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी सं. 2 ने दो पीड़ितों की मृत्यु कारित करने के लिए एक अन्य हमलावर के साथ मिलकर सम्पूर्ण निभाई गई भूमिका को उसके द्वारा स्वीकार किया गया है । उच्चतम न्यायालय की सुसंगत मताभिव्यक्तियां **प्यारे लाल भार्गव** (उपरोक्त) वाले मामले में इस प्रकार है :–

> "17. तब श्री विश्वनाथन ने यह दलील दी कि अभियुक्त सं. 2 ने अपनी संस्वीकृति में स्वयं यह नहीं प्रकट किया है कि उसने दो मृतकों में से एक को छूरा घोंपा था । इससे अत्यधिक रूप से यह

---

[1] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0038/1957 = ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 637.

[2] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0152/1962 = ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1094.

बात प्रकट नहीं होती है क्योंकि सम्पूर्ण रूप से संस्वीकृति का परिशीलन करने पर ऐसा कोई संदेह नहीं छूटता है कि अभियुक्त सं. 2 ने दो महिलाओं की हत्या करने के लिए अन्य दो हमलावरों के साथ सहबद्ध होकर अपने द्वारा पूरी तरह से निभाई गई भूमिका को स्वीकार किया है । इसलिए, यह तथ्य कि उसने कई शब्दों पर अपनी बात को नहीं रखा कि उसने मृतका पर छूरे से एक क्षति भी कारित की जिसका कोई परिणाम नहीं है । इसी भांति इस पहलू से हमें आगे यह आश्वासन मिलता है कि उसकी संस्वीकृति ऐसी नहीं थी जिस पर पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष उससे कहलाना चाहती थी ।'

39. वस्तुतः **प्यारे लाल भार्गव** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया है जो इस प्रकार है :–

"वापस ली गई संस्वीकृति दोषसिद्धि का विधिक आधार हो सकता है यदि न्यायालय का यह समाधान है कि यह सही और स्वैच्छिक रूप से की गई है । परंतु यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय बिना सम्पुष्टि के ऐसी संस्वीकृति पर दोषसिद्धि का आधार नहीं मानेगी । विधि का यह नियम नहीं है परंतु यह केवल प्रज्ञा का नियम है । यद्यपि इसे पद्धति के लचीले नियम या प्रज्ञा के नियम के रूप में अधिकथित नहीं किया जा सकता कि ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं कि ऐसी दोषसिद्धि बिना सम्पुष्टि के की जा सकती है । किसी विशिष्ट मामले में न्यायालय संस्वीकृति के पूर्ण सत्यता पर विश्वास कर सकता है और बिना सम्पुष्टि के इस पर कार्य करने के लिए तैयार हो सकता है ; परंतु पद्धति के साधारण नियम के रूप में यह अधिकथित किया जा सकता है कि ऐसी संस्वीकृति का न्यूनाधिक रूप से जब वह वापस ली गई संस्वीकृति है इसका अवलंब लिया जाना असुरक्षित है जब तक कि न्यायालय का यह समाधान न हो जाए कि वापस ली गई संस्वीकृति सही है और इसे स्वैच्छिक रूप से किया गया है और इसकी तात्विक विशिष्टियों से सम्पुष्टि हुई है ।"

(अधोरेखांकित पर बल दिया गया)

40. किसी अभियुक्त व्यक्ति को एकमात्र उसकी स्वयं की संस्वीकृति पर दोषसिद्ध करने में विधि में कोई बाधा नहीं है यदि वापस ली गई संस्वीकृति हो बशर्ते कि न्यायालय ऐसी संस्वीकृति के सही और स्वैच्छिक रूप से किए जाने पर विश्वास करता हो जिस बात को उच्चतम न्यायालय

द्वारा **केहर सिंह** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)**[1] वाले मामले में स्पष्ट किया गया है । कोई न्यायालय केवल इस आधार पर संस्वीकृति को हटा नहीं सकता है क्योंकि संस्वीकृति वापस ली गई है जिस बात को **तमिलनाडु राज्य** बनाम **कूटि** उर्फ **लक्ष्मी नरसिंहमन**[2] वाले मामले में स्पष्ट किया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जो इस प्रकार है :–

> "उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीशों ने मुख्यतः दो कारणों के आधार पर उक्त संस्वीकृति पर कार्यवाही करने से इनकार कर दिया । प्रथम कि संस्वीकृति को करने वाले द्वारा संस्वीकृति वापस ली गई है और द्वितीय यह कि वस्तुओं की बरामदगी संस्वीकृति से पूर्व की गई थी । हम प्रारंभ में यह कह सकते हैं कि दोनों कारण संस्वीकृति को अस्वीकार करने के लिए अपर्याप्त नहीं है ।
>
> विधि में यह प्रकट नहीं है कि जब एक बार संस्वीकृति वापस ली गई तो न्यायालय को यह उपधारणा करनी चाहिए कि ऐसी संस्वीकृति दूषित है । जैसाकि व्यावहारिक जानकारी में आया है हम यह कह सकते हैं कि वापस नहीं ली गई संस्वीकृति दांडिक मामलों में दुर्लभ है । संस्वीकृति को वापस लेना उसको करने वाले का अधिकार है । अभियोजन पक्ष द्वारा संस्वीकृति के विरुद्ध सभी अभियुक्तों को पेश किया गया था । उन्होंने निरपवाद रूप से अपने अधिकार को अंगीकार किया है । मात्र इस आधार वाक्य पर न्यायिक संस्वीकृति को हटा देना अविवेकपूर्ण होगा कि इसके करने वाले द्वारा इसे वापस ले लिया गया । न्यायालय का यह कर्तव्य है कि सभी पहलुओं को देखते हुए संस्वीकृति से संबंधित साक्ष्य का मूल्यांकन करें । इस बारे में संस्वीकृति की दो बातों में परख की जानी चाहिए कि क्या यह स्वैच्छिक और सही है । यदि इस तरह की कसौटियां सकारात्मक पाई जाती हैं तो अगला प्रयास यह होना चाहिए कि क्या कोई ऐसा कारण है जिस पर इस पर कार्य करने का रास्ता साफ हो जाए और ऐसा भी है कि संस्वीकृति को वापस लेना यह आधार नहीं है कि संस्वीकृति को हटा दिया जाए ।'
>
> (अधोरेखांकित पर बल दिया गया)

---

[1] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0241/1988 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1883.

[2] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0443/2001 = 2001 क्रिमिनल ला जर्नल 4168 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2778.

41. **के. आई. परुन्नी** बनाम **सहायक कलक्टर (हेड क्वाटर), सैन्ट्रल एक्साइज कलक्टर, कोचीन**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निश्चित शब्दों में यह स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय आपराधिक विचारण की विधिक स्थिति सुस्थापित की गई है कि संस्वीकृति दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है ।

42. उच्चतम न्यायालय ने अपने स्वयं के कई निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् **के. आई पुरुन्नी** (उपरोक्त) वाले मामले में अभियुक्त की अपनी स्वयं की संस्वीकृति पर दोषसिद्धि के आधार के बारे में सारगर्भित विधि अधिकथित की है जो इस प्रकार है :–

> "यह देखने में आता है कि साक्ष्य अधिनियम के अधीन ऐसा कोई प्रतिषेध नहीं किया गया है कि अभियोजन पक्षकथन को साबित करने के लिए या अभियुक्त की दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए वापस ली गई संस्वीकृति का अवलंब लें । व्यावहारिक और प्रज्ञा के तहत यह अपेक्षित है कि न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परीक्षा कर सकता है कि क्या वापस ली गई संस्वीकृति इस सम्पुष्टि के लिए कोई अन्य तथ्य और परिस्थितियां हैं । यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए स्वतंत्र साक्ष्य से उसकी सम्पुष्टि होनी चाहिए जिससे कि संस्वीकृति कथन में अंतर्विष्ट अलग-अलग ब्यौरे की सम्पुष्टि हो । न्यायालय को यह परीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या संस्वीकृति कथन स्वैच्छिक है ; दूसरे शब्दों में क्या इसे धमकी या वचन द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था । यदि न्यायालय का साक्ष्य से यह समाधान होता है कि यह स्वैच्छिक है तब इस बारे में यह परीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या कथन सही है यदि न्यायालय साक्ष्य की परीक्षा करते हुए यह निष्कर्ष निकालता है कि वापस ली गई संस्वीकृति सही है तब अपराध में फंसाने वाले भाग का अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए अवलंब लिया जा सकता है । तथापि, प्रज्ञा और व्यावहारिकता में यह अपेक्षित है कि न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए अन्य साक्ष्य से सम्पुष्टि प्राप्त करने के लिए आश्वासन की ईप्सा करेगा ।"
>
> (अधोरेखांकित पर बल दिया गया)

43. उपरोक्त चर्चा से जिन बातों का अनुसरण किया गया है उस बारे

---

[1] एम. ए. एन. यू./एस. सी./2070/1997 = (1997) 3 एस. सी. सी. 721.

में हम यह दोहरा सकते हैं कि किसी अभियुक्त की अपने स्वयं की संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि किए जाने के बारे में कोई विधिक वर्जन नहीं है । यदि संस्वीकृति स्वैच्छिक और सत्य पाई जाती है । परंतु इस बात को सुरक्षित करने के लिए जैसाकि साधारण प्रक्रिया और प्रज्ञा का नियम यह है कि न्यायालय को अभिलेख पर प्रकट अन्य सामग्रियों से कुछ सम्पुष्टि की ईप्सा रखनी चाहिए और यदि ऐसी सम्पुष्टि प्राप्त की जाती है तब अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर सुरक्षित रूप से दोषसिद्धि की जा सकती है । हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि जब संस्वीकृति स्वैच्छिक और सत्य पाई जाती है तब केवल इस आधार पर कार्यवाही करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि संस्वीकृति वापस ली गई, वापस ली गई संस्वीकृति दोषसिद्धि का विधिक आधार हो सकता है यदि न्यायालय का यह समाधान होता है कि संस्वीकृति सत्य और स्वैच्छिक है जैसाकि **प्यारे लाल भार्गव** (उपरोक्त) मामले में न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है ।

44. किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को प्रयोग में लाने के बारे में विधि भिन्न-भिन्न प्रतीत होती है ।

45. साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 जो किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को सुसंगत बनाती है । किसी अभियुक्त की संस्वीकृति का प्रमाणक मूल्य तथा सह-अभियुक्त की संस्वीकृति के बीच भिन्नता को चिह्नित किया गया है और ऐसी भिन्नता प्रायः प्रकट होती है जिससे भ्रम और गलत अर्थ निकलता है । यद्यपि दो प्रकार की न्यायिक संस्वीकृति के प्रयोग के बारे में विधि अत्यधिक रूप से सुस्थापित है ।

46. किसी अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक और सत्य पाई जाती है तो ऐसी संस्वीकृति उसके स्वयं का आधार हो सकती है । यद्यपि ऐसी संस्वीकृति की सम्पुष्टि दोषसिद्धि के आधार के रूप में संस्वीकृति को प्रयोग करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है, प्रज्ञा में यह अपेक्षित है कि संस्वीकृति के तात्विक विशिष्टियों पर ऐसी सम्पुष्टि अभिलेख के साक्ष्य से प्राप्त की जाती है । संस्वीकृति करने वाले की अपने स्वयं की संस्वीकृति के संबंध में संस्वीकृति के ऐसे प्रयोग के विरुद्ध किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति जिसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है यह अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए आधार के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती जो इसको करने वाला नहीं है । यद्यपि वास्तव में उसे अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के समर्थित टुकड़े के रूप में प्रयोग किया जा सकता है जो

उसको करने वाला नहीं है ।

47. किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को नहीं मानने के लिए कई कारण हैं जैसाकि साक्ष्य में व्यापक रूप से यह कहा गया है कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति शपथ पर नहीं ली जाती है । इससे न तो अभियुक्त की मौजूदगी में दिया गया है जिसके विरुद्ध ऐसी संस्वीकृति का अवलंब लेना चाहा गया है और न बयान देने वाले की प्रतिपरीक्षा में परीक्षा की गई है । वास्तव में ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य का एक कमजोर प्रकार की संस्वीकृति है । इकबाली गवाह की संस्वीकृति जिस इकबाली गवाह की अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई है जहां पर किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है और उस अभियुक्त को अनुज्ञात किए बिना उसे अभिलेख पर लाया गया है जिसके विरुद्ध ऐसी संस्वीकृति सह-अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा का अवसर देकर साबित किया जाना ईप्सित है और ऐसे सह-अभियुक्त की संस्वीकृति की सत्यता की परख की जानी चाहिए ।

48. कोई संस्वीकृति उसको करने वाले के विरुद्ध तब सुसंगत है क्योंकि संस्वीकृति करने वाला अपने को स्वयं को अपराध में आलिप्त करता है परंतु किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति इस बारे में भिन्न है क्योंकि यह कोई दूसरी संस्वीकृति है जिसे ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने की ईप्सा की जाती है जो अपने सह-अभियुक्त की संस्वीकृति की सच्चाई पर दोषी होना कभी भी स्वीकार नहीं करता (देखिए **भूबोनी साहू** बनाम **किंग**[1] और **एम्परर** बनाम **ललित मोहन**[2]) ।

49. ऐसी कोई सह-अभियुक्त जिसने अपनी दोषसिद्धि की संस्वीकृति दी है उसका सह-अपराधी बनने का कोई आधार नहीं है । विधि में यह आग्रह किया गया है कि सह-अपराधी का साक्ष्य बिना सम्पुष्टि के प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए । प्रज्ञा यह मांग करती है कि जब ऐसा सह-अपराधी किसी दूसरे को आलिप्त करता है तब वह व्यक्ति जो इस तरह आलिप्त करता है उसके पास यह अधिकार है कि अपने विरुद्ध सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए साक्ष्य की परीक्षा करे परंतु ऐसा कोई अवसर उस व्यक्ति को विधि में उपलब्ध नहीं है जो संस्वीकृति करके अपने सह-अभियुक्त को आलिप्त करता है ।

---

[1] 76 आई. एन. डी. ए. पी. पी. 147 = ए. आई. आर. 1949 पी. सी. 257.

[2] 12 क्रिमिनल ला जर्नल 2.

50. प्रामाणिक प्रभाव यह है कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति किसी अन्य अभियुक्त के विरुद्ध बिना उसे ऐसी संस्वीकृति करने वाले की प्रतिपरीक्षा पर संस्वीकृति की सत्यता का अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध प्रयोग की जाती है । अतः इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि सह-अभियुक्त की संस्वीकृति अति नियमनिष्ठ वास्तविक साक्ष्य नहीं है और ऐसे व्यक्ति की दोषसिद्धि के लिए आधार नहीं हो सकती है जिसमें संस्वीकृति नहीं की है, यदि ऐसी संस्वीकृति अभिलेख पर साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अतिरिक्त कारण के रूप में प्रयोग की जा सकती है बशर्ते कि अभिलेख पर साक्ष्य से सह-अभियुक्त की स्वतंत्र संस्वीकृति से अभियुक्त की दोषिता के विरुद्ध न्यायालय इस बात को स्वीकार करता है जिसके विरुद्ध ऐसी संस्वीकृति का अवलंब लिया गया है । इस बारे में निर्देश **कश्मीरा सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले का दिया जा सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त करते हुए यह अधिकथित किया है जो इस प्रकार है :–

> "किसी अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति ऐसी शब्दावली के साधारण भाव में साक्ष्य नहीं है जैसाकि धारा 8 में परिभाषित किया गया है । यह दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है और उसका केवल अन्य साक्ष्य के समर्थन के लिए प्रयोग किया जा सकता है । प्रथमतः इसका उचित तरीका यह है कि विचार करने से कुल मिलाकर संस्वीकृति को अपवर्जित करके अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य को क्रमबद्ध किया जाए और इस बारे में यह विचार किया जाए कि क्या यह दोषसिद्धि किए जाने के लिए विश्वास पैदा करता है तब यह सुरक्षित रूप से आधार हो सकता है । यदि स्वतंत्र रूप से संस्वीकृति विश्वास दिलाती है तब निःसंदेह यह आवश्यक नहीं है कि सहायता के लिए संस्वीकृति को लिया जाए परंतु ऐसे मामलों में यह भी उद्भूत हो सकता है जहां न्यायाधीश अन्य साक्ष्य पर कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि यदि इस पर विश्वास किया जाए तो यह दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा । ऐसी किसी दशा में न्यायाधीश संस्वीकृति से सहायता पाने के लिए उसे मंगा सकता है और अन्य साक्ष्य से आश्वासन मिलने पर उसका प्रयोग कर सकता है और इस प्रकार विश्वास करते हुए अपनी सहमति व्यक्त करने पर संस्वीकृति को जोड़े बिना वह ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए

---

[1] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0031/1952 = ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 159.

तैयार नहीं होता है ।"

51. यह उल्लेख करना भी अति महत्वपूर्ण है कि **कश्मीरा सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में की गई पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियां जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के संबंध में हैं अर्थात् किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को प्रयोग करने के लिए और **कश्मीरा सिंह** (उपरोक्त) वाला विनिश्चय अति सुसंगत है जब किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति दोषसिद्धि के आधार के रूप में प्रयोग किए जाने की ईप्सा की गई है । संक्षेप में, **कश्मीरा सिंह** (उपरोक्त) वाला मामला किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति के प्रयोग के बारे में विधि अधिकथित करता है ।

52. साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन संस्वीकृति करने वाले के विरुद्ध संस्वीकृति और साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन किसी सह-अभियुक्त के विरुद्ध संस्वीकृति प्रयोग करने के बारे में सुभिन्नता प्रकट की गई है । उच्चतम न्यायालय ने **के. आई. परुन्नी** (उपरोक्त) वाले मामले में मत व्यक्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

> "21. **कश्मीरा सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में सह-अभियुक्त गुरुचरन सिंह ने संस्वीकृति की थी । प्रश्न यह उद्भूत हुआ था कि क्या अपीलार्थी कश्मीरा सिंह के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन को साबित करने के लिए ऐसी संस्वीकृति का अवलंब लिया जा सकता है । इस संदर्भ में न्यायमूर्ति बोस तीन न्यायाधीशों की पीठ से बोलते हुए यह विधि अधिकथित की है कि न्यायालय के लिए अभियुक्त के बारे में कुल मिलाकर उसकी संस्वीकृति को अपवर्जित करते हुए उसके विरुद्ध साक्ष्य को क्रमबद्ध करना अपेक्षित है । यदि साक्ष्य से अपीलार्थी की दोषिता को साबित करने की संस्वीकृति को अलग रखता है तब सह-अभियुक्त की संस्वीकृति अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए न्यायालय को आश्वासन मिलने पर अभियोजन पक्षकथन की सम्पुष्टि के लिए प्रयोग किया जा सकता है । न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार किया, सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को बाहर रखा और यह अभिनिर्धारित किया कि हत्या के आरोप से अपीलार्थी कश्मीरा सिंह की दोषसिद्धि को सिद्ध करने के लिए यह साक्ष्य पर्याप्त नहीं था । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध से दोषमुक्त किया गया था परंतु हत्या के साक्ष्य को नष्ट करने के लिए दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के लिए उसे दोषसिद्ध किया और 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट

किया । .....

* * * * *"

53. **हरी चरन कुर्मी** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में संविधान न्यायपीठ ने इस बारे में विचार किया था कि सह-अभियुक्त की संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा । इस बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

> "किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को सारभूत् साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है । यदि न्यायालय ने अन्य साक्ष्य पर विश्वास किया है और इसके समर्थन में आश्वासन चाहने के लिए आवश्यकता महसूस की है तब उक्त साक्ष्य से ऐसा निष्कर्ष निकाला जाना निगम्य है और उस पर सह-अभियुक्त का संस्वीकृति का प्रयोग किया जाता है । अतः, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए अन्य साक्ष्य पर विचार करेगा । यदि न्यायालय उस पर अपनी पुष्टि होने पर उसके गुणता के बारे में अपनी राय विरचित करेगा और उक्त साक्ष्य के प्रभाव पर अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए संस्वीकृति पर बदलने के लिए अनुज्ञात करता है । इस प्रकार यह देखने में आता है कि न्यायालय द्वारा विचारण पर किसी अभियुक्त की संस्वीकृति और सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को प्रयोग किए जाने के बीच सुभिन्नता व्यक्त की है ।"
>
> (अधोरेखांकित पर बल दिया गया)

54. इस प्रकार, ऊपर चर्चा से जो कुछ प्रकट है यह है कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को प्रयोग करने से पूर्व न्यायालय को प्रथमतः अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य को क्रमबद्ध किया जाना चाहिए जिसे सह-अभियुक्त की संस्वीकृति की सहायता से अधिरोपित किए जाने की ईप्सा की है और यदि ऐसे साक्ष्य को क्रमबद्ध करने पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को स्वतंत्र पाता है, अभिलेख पर साक्ष्य अपराध में अभियुक्त की सहापराधिता पर विश्वास करने के लिए अपराध में फंसाने वाली सामग्री पर्याप्त रूप से प्रकट होती है तब ऐसी दशा में सह-अभियुक्त की संस्वीकृति साक्ष्य के समर्थित टुकड़े के रूप

---

[1] ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1184.

में प्रयोग की जा सकती है जिससे अभिलेख के अन्य साक्ष्य से आश्वासन मिलता है और न्यायालय यह विश्वास करने के लिए सहमत होते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है और यह बात सही है ।

55. संक्षेप में, सह-अभियुक्त की संस्वीकृति साक्ष्य का सारभूत् टुकड़ा नहीं है जो अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए सम्पूर्ण आधार हो सकता है जो संस्वीकृति करने वाला नहीं है । इससे अलग किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति केवल इस प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है जिससे न्यायालय द्वारा पहले ही निकाले गए निष्कर्ष को आश्वासन मिलता हो कि अभियुक्त जिसके विरुद्ध किसी सह-अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति दी गई है कि प्रयोग किया जाना ईप्सित है जिस पर पहले ही अपराध को किया जाना साबित किया है । इस संदर्भ में **कश्मीरा सिंह** (उपरोक्त) वाले विनिश्चय का परिशीलन करना आवश्यक है जहां पर कोई ऐसी बाधा नहीं है । हम यह स्पष्टीकरण देने के लिए विवशता महसूस करते हैं कि किसी अभियुक्त की स्वयं की संस्वीकृति पर दोषसिद्धि का आधार यदि संस्वीकृति स्वैच्छिक और सही पाई जाती है । सामान्यतया ऐसी संस्वीकृति की सम्पुष्टि की जानी वांछनीय है ।

56. **बलबीर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में जब यह सुझाव दिया गया कि दो अभियुक्तों की संस्वीकृति दोनों को अपराधी ठहराने के लिए एक साथ पढ़ा जाना चाहिए । दोनों संस्वीकृति जो एक-दूसरे के असंगत और विपरीत हैं । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "जहां तक जागीर सिंह की संस्वीकृति का संबंध है इसे अपीलार्थी के विरुद्ध विचार में लिया जा सकता है यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 में अधिकथित शर्तों को यह पूरा करता है । उनमें से एक शर्त यह है कि संस्वीकृति से संस्वीकृति को करने वाले को आलिप्त किया जाना चाहिए । सारभूत रूप से उस सीमा तक जैसाकि अन्य अभियुक्त व्यक्ति जिसके विरुद्ध इसे विचार में लिया जाना ईप्सित है । जागीर सिंह की संस्वीकृति को सम्पूर्ण रूप से पढ़ने पर यह प्रकट हुआ है कि उसने अपीलार्थी पर मुख्य दोष को मढ़ने की वास्तविक रूप से कोशिश की । यद्यपि उसने यह स्वीकार किया है कि वह मुसम्मात चिन्ती के मकान पर घुसा था और वहां पर पड़ी

---

[1] एम. ए. एन. यू./एस. सी./0101/1956 = ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 216.

हुई कृपाण को निकाला था और उस मकान से कुछ चांदी के आभूषण लिए थे । उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने दो लड़कों की हत्या करने के लिए ऐसा कुछ किया था ; उसने यह करने की भी कोशिश की और वह अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध का अनिच्छुक मूकदर्शक था । इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया जा सका कि जागीर सिंह की संस्वीकृति तनिक भी अपीलार्थी के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाई जानी चाहिए । अपनी दलील के प्रक्रम पर श्री सेठी ने यह निवेदन किया कि जागीर सिंह की संस्वीकृति को अपीलार्थी के विरुद्ध समवेत रूप से विचार में लेने से अपवर्जित किया जाना चाहिए ; तथापि, बाद में उन्होंने यह निवेदन किया कि दोनों संस्वीकृतियां दोनों को एक साथ अपराधी ठहराने के लिए पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों संस्वीकृतियों के बीच भिन्नता का आधार असत्य है । हम श्री सेठी की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं । हमने इस बात का उल्लेख किया है कि कुछ भिन्नताएं अतात्विक हैं और कुछ जागीर सिंह की इच्छा के कारण हैं जिसमें अपीलार्थी पर दोष मढ़ा गया है । इस परिस्थिति में अपीलार्थी को फायदा दिया जाना चाहिए और कुछ अन्य भिन्नताओं का अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से निराकरण किया जाना चाहिए । हम यह नहीं सोचते हैं कि इन परिस्थितियों में संस्वीकृति कथन के असत्य होने पर निन्दा की जा सकती है ।

(15) इस मामले में दोनों संस्वीकृतियां बाद में वापल ली गईं और इस प्रकृति के मामले में उचित दृष्टिकोण अपनाते हुए अलग-अलग संस्वीकृति पर विचार किया जाता है और सम्पूर्ण रूप से इसके गुणागुण पर इसे संस्वीकृति करने वाले के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि न्यायालय ऐसी स्थिति में हो कि वह निर्द्वन्द्व निष्कर्ष निकाल सके कि यद्यपि वापस ली गई संस्वीकृति पर यदि उसके सही और स्वैच्छिक होने पर विश्वास किया जाता है जो दोषसिद्धि का आधार हो सकता है । पद्धति और प्रज्ञा के नियम में यह अपेक्षित है कि इसकी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा सम्पुष्टि की जानी चाहिए ।"

57. **बलबीर सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले का विनिश्चय का उल्लेख करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने बाद वाले विनिश्चय **के. आई. परुन्नी** (उपरोक्त) वाले मामले में यह मत व्यक्त किया जो इस प्रकार है :–

"इस न्यायालय ने दोषसिद्धि को कायम रखते हुए यह

अभिनिर्धारित किया कि यह आवश्यक नहीं है कि संस्वीकृति कथन में उल्लिखित अलग-अलग तथ्यों और परिस्थितियों का पृथक्-पृथक् और स्वतंत्र रूप से सम्पुष्टि किया जाना अपेक्षित है । यह पर्याप्त होगा यदि यह साधारण सम्पुष्टि है ।

कश्मीरा सिंह (उपरोक्त) वाले मामले की तर्कणा का इस प्रकार उल्लेख किया गया है ।"

58. इस प्रकार **बलबीर सिंह** (उपरोक्त), **प्यारे लाल भार्गव** (उपरोक्त) और **के. आई. परुन्नी** (उपरोक्त) वाले विनिश्चय से यह सिद्धांत निगमय होता है कि किसी अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का तब अवलंब लिया जा सकता है यदि न्यायालय का यह समाधान है कि यह स्वैच्छिक और सही है । इस प्रकार संक्षेप में, यदि संस्वीकृति वापस ली गई है तब ऐसे वापस ली गई संस्वीकृति को तब सही माना जा सकता है यदि अभिलेख पर साक्ष्य से साधारण रूप से उसकी सम्पुष्टि कर ली जाती है और न्यायालय के लिए यह अनुचित है कि दो अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई दो संस्वीकृतियों का एकसाथ परिशीलन किया जाए और दोनों को अपराधी ठहराया जाए । यद्यपि दोनों संस्वीकृतियां स्वैच्छिक और अपराध में फंसाने वाली पाई गई हैं जिनके भागों की अभिलेख पर शेष साक्ष्य से सामान्यतया सम्पुष्टि हुई हो ।

59. विधि की उपरोक्त स्थिति से **परमानन्द पेगु** बनाम **असम राज्य**[1] वाले विनिश्चय से भी सहमत हुआ है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने **चन्द्रकांत चिमन लाल देसाई** बनाम **गुजरात राज्य**[2] वाले मामले की अपने पूर्ववर्ती विनिश्चय का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया है कि **चन्द्रकांत चिमन लाल देसाई** (उपरोक्त) वाले मामले में दिया गया विनिश्चय अवधानता का कारण है क्योंकि **चन्द्रकांत चिमन लाल देसाई** (उपरोक्त) वाले मामले में गलत रूप से यह अधिकथित किया गया है कि वापस ली गई संस्वीकृति साक्ष्य नहीं है और न्यायालय ने **कश्मीरा सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में विधि को गलत रूप से लागू किया है तथा यह अधिकथित किया है कि ऐसे किसी अभियुक्त का मामला जिसने अपनी स्वयं की संस्वीकृति को वापस ले लिया है जबकि **कश्मीरा सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में जिसमें किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को प्रयोग किए जाने

---

[1] (2004) 7 एस. सी. सी. 799 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4197.

[2] (1992) ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू 2028.

का संबंध है । **परमानन्द पेगु** वाले मामले में की गई सुसंगत मताभिव्यक्तियों का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> "चन्द्रकांत चिमन लाल देसाई **बनाम** गुजरात राज्य (एम. ए. एन. यू./ एस. सी./0467/1992 = 1992 क्रिमिनल ला जर्नल 2757) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय में विधि को समझने में कुछ कठिनाइयां प्रकट हुई हैं जो अन्यथा अत्यधिक रूप से सुस्थापित हैं । विद्वान् न्यायाधीशों ने इन मताभिव्यक्तियों को अंगीकार किया है जो कश्मीरा सिंह (उपरोक्त) वाले मामले में किए गए थे । किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति का साक्ष्यांकित मूल्य के संदर्भ में जो वापस ली गई संस्वीकृति के मामले में उन पर लागू की गई है । यह प्रकट होता है कि विद्वान् न्यायाधीशों ने ए. आई. आर. में शीर्ष टिप्पणों पर विचार किया जो दंड के संबंध में प्रकट था 'अभियुक्त व्यक्ति की संस्वीकृति .....' तथापि, निर्णय के पाठ में पूर्णतया यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण चर्चा और विधि का कथन सह-अभियुक्त की संस्वीकृति के प्रति केवल निर्देश करता है । जबकि यह स्पष्ट किया गया है कि सह-अभियुक्त की संस्वीकृति साधारण भाव में साक्ष्य नहीं है जैसाकि प्रिवी काउंसेल द्वारा प्रकट किया गया है । इस न्यायालय ने कश्मीरा सिंह वाले मामले में यह मत व्यक्त किया है कि ऐसी कोई संस्वीकृति दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती है । इसका केवल अन्य साक्ष्य के समर्थन में प्रयोग किया जा सकता है ।
>
> चिमन लाल वाले मामले में विद्वान् न्यायाधीश ने (एम. ए. एन. यू./ एस. सी./ 0031/1952 = 1952 क्रिमिनल ला जर्नल 839 (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 159) वाले मामले के शीर्ष टिप्पण भाग का उल्लेख करने के पश्चात् वापस ली गई संस्वीकृति के मामले में सह-अभियुक्त की संस्वीकृति पर प्रयोज्य कसौटी को लागू करने की कार्यवाही की है; न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है 'उच्च न्यायालय ने दूसरी ओर ऐसे संस्वीकृति कथन को आधार माना है और तब सम्पुष्टि लेने पर विचार किया है । यह निष्कर्ष निकाला गया कि संस्वीकृति कथन की अभियोजन साक्षियों द्वारा तात्विक विशिष्टियों में सम्पुष्टि की जानी चाहिए । अभियुक्त के विरुद्ध क्रमबद्ध साक्ष्य पर विचार किए बिना एकसाथ की गई संस्वीकृति को विचार से अपवर्जित किया जाना चाहिए । जैसाकि ऊपर उद्धृत विनिश्चय में अभिनिर्धारित किया गया है । उपलब्ध साक्ष्य पर ऐसा

विचार करके दोषसिद्धि की संस्वीकृति को सुरक्षित रूप से तब आधार बनाया जा सकता है और संस्वीकृति को केवल समर्थन के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि उस पर विश्वास और निष्कर्ष निकाला जा सकता है .....'

कश्मीरा सिंह (उपरोक्त) वाले मामले के विनिश्चय की परिधि को समझने में की गई भूल को ध्यान में रखते हुए चिमन लाल वाले मामले का विनिश्चय अवधानता के कारण दिए गए विनिश्चयों के प्रवर्ग के काफी निकट है । यदि इसका अनुसरण किया जाए तो इससे समन्वित पीठ के विनिश्चयों और प्यारे लाल भार्गव (उपरोक्त) वाले मामले में बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा दिए गए विनिश्चय की शृंखला के प्रतिकूल होगा ।"

(अधोरेखांकित पर बल दिया गया)

60. इस प्रकार, संक्षेप में यदि संस्वीकृति वापस ली गई है तो अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का तब अवलंब लिया जा सकता है यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि ऐसी संस्वीकृति स्वैच्छिक और सही है । इस प्रकार, वापस ली गई संस्वीकृति को तभी सत्य होना माना जा सकता है यदि अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य से इसकी साधारण सम्पुष्टि होती है ।

61. पूर्वोक्त संस्वीकृति को प्रयोग करने के संबंध में और अभियुक्त द्वारा अपने स्वयं के हित के विरुद्ध की गई संस्वीकृति का प्रमाणक मूल्य और किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को प्रयोग करने और प्रमाणक मूल्य का आधार भिन्न-भिन्न है क्योंकि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति को प्रयोग करने से पूर्व न्यायालय को प्रथमतः अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य को क्रमबद्ध करना चाहिए जिसे किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति की सहायता से फंसाया जाना ईप्सित है और यदि साक्ष्य को क्रमबद्ध करते हुए न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति पर निर्भरता, अभिलेख पर साक्ष्य से अपराध में अभियुक्त की सहापराधिता पर विश्वास करते हुए अपराध में फंसाने वाली पर्याप्त सामग्री प्रकट होती हो तब ऐसी दशा में किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति अभिलेख पर अन्य साक्ष्य से आश्वासन मिलने पर साक्ष्य के समर्थित टुकड़े के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । न्यायालय को यह विश्वास करते हुए सहमत होना चाहिए कि जो निष्कर्ष निकाला गया है यह है कि अभियुक्त का दोषी होना

सही था ।

62. इस पर थोड़ी बहुत भिन्नता कर सकते हैं कि किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति साक्ष्य का सारभूत टुकड़ा नहीं है जिस पर अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए सम्पूर्ण आधार निर्भर हो सकता है जो संस्वीकृति करने वाला नहीं है । इससे अलग किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति ऐसे निष्कर्ष का आश्वासन मिलने के प्रयोजन के लिए मात्र रूप से प्रयोग की जा सकती है जिस पर न्यायालय द्वारा पहले ही निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियुक्त जिसके विरुद्ध किसी सह-अभियुक्त की संस्वीकृति किए गए अपराध को पहले ही साबित किए जाने पर उसको प्रयोग किया जाना ईप्सित है । इस संदर्भ में यह है कि **कश्मीरा सिंह** (उपरोक्त) वाले विनिश्चय का परिशीलन करना जरूरी है । ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसके लिए हम यह स्पष्ट करने के लिए विवश होते हैं कि किसी अभियुक्त की अपने स्वयं की संस्वीकृति पर दोषसिद्धि का आधार है । यदि ऐसी संस्वीकृति स्वैच्छिक और सही पाई जाती है तब ऐसे किसी संस्वीकृति को साधारण सम्पुष्टि किया जाना वांछनीय है ।

63. विधि की पृष्ठभूमि में जिस पर हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं जब वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हैं तब हमने इसमें पहले ही ऊपर उपदर्शित किया है कि वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध केवल अपराध में फंसाने वाला साक्ष्य ग्रहण किया गया है । विचारण पर उसकी पहचान बेबी देवी (अभि. सा. 8) द्वारा इस आशय का कथन करते हुए की गई है कि यह अपीलार्थी अरविन्द दूबे (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) के साथ उक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद था । इस संबंध में हमने पहले ही यह उपदर्शित किया है कि साक्ष्य का यह टुकड़ा अभियोजन पक्ष की अत्यधिक सहायता नहीं करता है क्योंकि वर्तमान अपीलार्थी धुनमुन यादव की सुनवाई के समय पर एक ओर अभियुक्त अरविन्द दूबे तथा दूसरी ओर बेबी देवी या उसके पिता सच्चिदानन्द दूबे (अभि. सा. 4) के बीच क्या बातचीत हुई है इसे साबित नहीं किया गया है ।

64. अतः हमने पैरा 14 पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इसका समरूप अनुसरण किया जाना आवश्यक नहीं होगा कि वर्तमान अपीलार्थी अपराधों का पक्षकार था जिन्हें सह-अभियुक्त अरविन्द दूबे द्वारा किया जाना अभिकथित है ।

65. जब अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह अभिनिर्धारित करने में

पूर्णतया अपर्याप्त है कि वर्तमान अपीलार्थी धुनमुन यादव अपराधों का दोषी है जिस पर उसे सह-अभियुक्त अरविन्द दूबे (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) की संस्वीकृति पर आरोपित किया गया, इसे वर्तमान अपीलार्थी की दोषसिद्धि के आधार के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती है । अतः यदि सह-अभियुक्त अरविन्द दूबे (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) का अभिकथित संस्वीकृति कथन को हम अपने विचार की परिधि से अपवर्जित करते हैं जिसे हमें करना चाहिए तब वास्तव में ऐसा कोई साक्ष्य शेष नहीं रह जाता है जो अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार हो सकता है ।

66. ऊपर जो कुछ चर्चा की गई उन बातों को देखते हुए हमारा स्पष्ट मत यह है कि अभियुक्त-अपीलार्थी को अपराधों से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उस पर आरोप लगाए गए थे, उसे कम से कम संदेह का फायदा देकर दोषमुक्त किया जाता है ।

67. परिणामस्वरूप, उपरोक्त चर्चा के कारणों के आधार पर इस अपील को मंजूर किया जाता है । अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके विरुद्ध निर्णय और आदेश द्वारा पारित किया गया दंडादेश को अपील में अपास्त किया जाता है । अभियुक्त-अपीलार्थी को अपराधों का दोषी नहीं ठहराया जाता है जिस पर उसको दोषसिद्ध किया गया और उसे संदेह का फायदा देकर दोषमुक्त किया जाता है ।

68. अभियुक्त-अपीलार्थी को तत्काल अभिरक्षा से उन्मुक्त किया जाता है जब तक उसे किसी अन्य मामले में निरोध किया जाना अपेक्षित न हो ।

69. निचले न्यायालय के अभिलेख निचले न्यायालय को इस निर्णय और आदेश की प्रति के साथ वापस भेजा जाता है ।

न्यायमूर्ति समरेन्द्र प्रताप सिंह

70. मैं सहमत हूं ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

लता

बनाम

तमिलनाडु राज्य और एक अन्य

तारीख 26 मार्च, 2014

न्यायमूर्ति वी. धनपालन और न्यायमूर्ति जी. चोकालिंगम

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 और 22(5) [सपठित तमिलनाडु मादक तस्कर, ओषधि अपराधी, वन अपराधी, गुंडा, अनैतिक व्यापार अपराधी, मलिन बस्ती कब्जाधारक और वीडियोचोर खतरनाक क्रियाकलाप अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 2(च), 3] – निवारक निरोध – बंदी प्रत्यक्षीकरण – अस्पष्टीकृत विलंब – निरुद्ध व्यक्ति को गुंडा मानते हुए निरुद्ध किया गया किंतु निरोध के विरुद्ध उसके अभ्यावेदन का निपटान करने में 10 दिन का विलंब किया गया अतः, निरोध अनुचित होने के कारण निरुद्ध व्यक्ति मुक्त होने का दायी है ।

निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथित आधारिक मामला 2013 का अपराध संख्या 1129 है जो जे-6 थिरूवानमियूर पुलिस थाना के पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा तारीख 7 अगस्त, 2013 को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 341, 294(घ), 397, 336 और 506(ii) के अधीन कारित अपराधों के बाबत दर्ज किया गया था । निरोधादेश से व्यथित होकर निरुद्ध व्यक्ति की पत्नी ने वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – निरोध प्राधिकारी ने निरोधादेश तारीख 29 अगस्त, 2013 को पारित किया था और निरुद्ध व्यक्ति ने निरोधादेश की एक प्रति प्राप्त होने पर सम्बद्ध प्राधिकारियों के समक्ष तारीख 17 सितंबर, 2013 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जो उनके द्वारा तारीख 20 सितंबर, 2013 को प्राप्त किया गया और जिस पर तारीख 23 सितंबर, 2013 को टिप्पणी मंगाई गई जो तारीख 7 अक्तूबर, 2013 को प्राप्त हुई । तारीख 8 अक्तूबर, 2013 को फाइल प्रस्तुत की गई और उस पर अवर सचिव और उप सचिव, दोनों द्वारा उसी दिन विचार किया गया और तत्पश्चात् फाइल तारीख 12 अक्तूबर, 2013 को मंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई । अंततः निरुद्ध व्यक्ति का प्रत्यावेदन तारीख 17 अक्तूबर, 2013 के पत्र द्वारा

अस्वीकृत करते हुए निर्णीत कर दिया गया । इस पत्र को तारीख 22 अक्तूबर, 2013 को भेजा गया और निरुद्ध व्यक्ति पर तारीख 23 अक्तूबर, 2013 को तामील कर दिया गया । इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में 10 दिनों का विलंब कारित हो गया, अर्थात् तारीख 23 सितंबर, 2013 और 7 अक्तूबर, 2013 के मध्य (तारीख 28 सितंबर, 2013, 29 सितम्बर, 2013, 5 अक्तूबर, 2013 और 6 अक्तूबर, 2013 का पड़ने वाले अवकाशों को छोड़कर) जिससे बंदी को निश्चित रूप से घोर प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ा और संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अधीन उसको सुनिश्चित अधिकार का अतिक्रमण हुआ । इसलिए, आक्षेपित निरोधादेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता और दूषित पाया जाता है । (पैरा 5 और 6)

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका : 2013 की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सं. 2041.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री के. इलायराज

प्रत्यर्थी की ओर से श्री पी. गोविंद राजन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वी. धनपालन ने दिया ।

न्या. धनपालन – याची निरुद्ध व्यक्ति की पत्नी है । निरुद्ध व्यक्ति को गुंडा के रूप में चिह्नित किया गया है, जैसाकि 1982 के तमिलनाडु अधिनियम संख्या 14 की धारा 2(च) के अधीन अनुध्यात है और उसका निरोध 2013 के मादक तस्कर ओषधि अपराधी, मलिन बस्ती कब्जाधारक और वीडियोचोर खतरनाक क्रियाकलाप निवारण मामले के अंतर्गत तारीख 29 अगस्त, 2013 को पारित द्वितीय प्रत्यर्थी के आदेश के अधीन किया गया ।

2. कैदी के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण निम्नलिखित मामलों के कारण अपनाया गया :–

क्रं. सं.	पुलिस थाना और अपराध संख्या	विधि की धारा
1.	जे. 6 थिरूवानमियूर पुलिस थाना 2013 का अपराध संख्या 864.	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379.

2.	जे. 6 थिरूवानमियूर पुलिस थाना 2013 का अपराध संख्या 969.	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379.
3.	जे. 6 थिरूवानमियूर पुलिस थाना 2013 का अपराध संख्या 1059.	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379.

निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथित आधारिक मामला 2013 का अपराध संख्या 1129 है जो जे-6 थिरूवानमियूर पुलिस थाना के पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा तारीख 7 अगस्त, 2013 को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 341, 294(घ), 397, 336 और 506(ii) के अधीन कारित अपराधों के बाबत दर्ज किया गया था । निरोधादेश से व्यथित होकर निरुद्ध व्यक्ति की पत्नी ने यह बंदी प्रत्यक्षीकरण वर्तमान याचिका फाइल की गई है ।

3. यद्यपि याची के विद्वान् काउंसेल ने निरोधादेश पर आक्रमण करने के लिए अनेक अन्य आधारों का भी आश्रय लिया है, किंतु उन्होंने अपनी दलीलों को मुख्यतः इस आधार पर केंद्रित रखा है कि तारीख 17 सितम्बर, 2013 के प्रत्यावेदन के निस्तारण में विलंब कारित किया गया जो संविधान के अनुच्छेद 22(5) का अतिक्रमण है और इसलिए, इस एकल आधार पर ही निरोधादेश अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

4. हमने याची के विद्वान् काउंसेल के उपरोक्त निवेदन पर विद्वान् अपर लोक अभियोजक को सुना ।

5. आक्षेपित आदेश की सतर्कतापूर्वक संवीक्षा किए जाने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निरोध प्राधिकारी ने निरोधादेश तारीख 29 अगस्त, 2013 को पारित किया था और निरुद्ध व्यक्ति ने निरोधादेश की एक प्रति प्राप्त होने पर सम्बद्ध प्राधिकारियों के समक्ष तारीख 17 सितंबर, 2013 को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जो उनके द्वारा तारीख 20 सितंबर, 2013 को प्राप्त किया गया और जिस पर तारीख 23 सितंबर, 2013 को टिप्पणी मंगाई गई थी जो तारीख 7 अक्तूबर, 2013 को प्राप्त हुई । तारीख 8 अक्तूबर, 2013 को फाइल प्रस्तुत की गई थी और उस पर अवर सचिव

और उप सचिव, दोनों द्वारा उसी दिन विचार किया गया और तत्पश्चात् फाइल तारीख 12 अक्तूबर, 2013 को मंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी । अंततः बंदी का प्रत्यावेदन तारीख 17 अक्तूबर, 2013 के पत्र द्वारा अस्वीकृत करते हुए निर्णीत कर दिया गया और इस पत्र को तारीख 22 अक्तूबर, 2013 को भेजा गया और निरुद्ध व्यक्ति पर तारीख 23 अक्तूबर, 2013 को तामील कर दिया गया ।

6. इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में 10 दिनों का विलंब कारित हो गया, अर्थात् तारीख 23 सितंबर, 2013 और 7 अक्तूबर, 2013 के मध्य (तारीख 28 सितंबर, 2013, 29 सितम्बर, 2013, 5 अक्तूबर, 2013 और 6 अक्तूबर, 2013 का पड़ने वाले अवकाशों को छोड़कर) जिससे बंदी को निश्चित रूप से घोर प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ा और संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अधीन उसको सुनिश्चित अधिकार का अतिक्रमण हुआ । इसलिए, आक्षेपित निरोधादेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता और दूषित पाया जाता है ।

7. तद्नुसार, द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा 2013 के मादक तस्कर ओषधि अपराधी, मलिन बस्ती, कब्जाधारक और वीडियोचोर खतरनाक क्रियाकलाप निवारण मामले तारीख 29 अक्तूबर, 2013 में पारित आक्षेपित निरोधादेश जिसके अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति बाबू अर्थात् फ्रयूटनिक बाबू पुत्र कुमार को निरुद्ध किया गया, अभिखंडित किया जाता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार की जाती है । ऊपर नामित निरुद्ध व्यक्ति, जिसका निरोध पुझाल, चैन्नई स्थित केन्द्रीय कारागार में किया गया है, को तुरंत स्वतंत्र किए जाने हेतु आदेशित किया जाता है, यदि उसको किसी अन्य मामले में अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित न हो ।

8. तथापि, नियमित न्यायालय के समक्ष मामले का प्रभावी ढंग से प्रतिवाद किए जाने के प्रयोजनार्थ इस आदेश से संबद्ध प्राधिकारी इस आदेश द्वारा अप्रभावित बने रहेंगे और मामले से पृथक् नहीं होंगे । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश द्वारा बंदी को नियमित न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

याचिका मंजूर की गई ।

शु.

एम. मनोहरन

बनाम

टी. मुनुसामी और एक अन्य

तारीख 3 जून, 2014

न्यायमूर्ति एस. राजेश्वरन और न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (1971 का 70) – धारा 19 – अपील की संधार्यता – विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष अवमान याचिका को प्रत्यर्थियों को प्रोन्नति और स्थापन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने की स्वतंत्रता देकर बंद करने के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती क्योंकि अवमानकर्ता पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया गया है, इस प्रकार, दंड अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध ही अपील संधार्य होगी ।

इस याचिका को संख्यांकित करने के दौरान रजिस्ट्रार ने याचिका की संधार्यता पर प्रश्न उठाया और इस पृष्ठांकन के साथ याचिकाकर्ता के विद्वान् काउंसेल को कागजात वापस कर दिए जो इस प्रकार हैं । अवमान अपील क्रमांक सं. 110103/2013 किस प्रकार संधार्य है क्योंकि दंड का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । वापस किए गए कागजों के अनुपालन में याची के विद्वान् काउंसेल ने इस प्रकार पृष्ठांकित करते हुए प्रतिवेदन दिया : अपील न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 19 के अधीन की जा सकती है । तथापि, न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 19 में यह उल्लेख है कि अवमान को दंडित करने के लिए उच्च न्यायालय के किसी आदेश या विनिश्चय से साधिकार अपील की जाएगी जबकि इस आदेश के साथ विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा अवमान याचिका बंद कर दी गई थी कि कोई अवमान नहीं बनता । इसके अतिरिक्त विद्वान् एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों को प्रोन्नत करने और कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर प्रतिष्ठापित करने के बारे में औपचारिकताएं पूरा करने को स्वतंत्र कर दिया था । किंतु अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने इस पर बल दिया कि अवमान अपील को संख्यांकित किया जाए और इसे ग्रहण करने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अवमान अपील अवमान याचिका सं. 724/2013 तारीख 31 अक्तूबर, 2013 में इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध

न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 19 के अधीन फाइल की गई है । आदेश द्वारा, इस याचिका को संधार्यता के लिए इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह अपील विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 31 अक्तूबर, 2013 को अवमान याचिका सं. 724/2013 द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है । उक्त आदेश के पढ़ने से यह दर्शित होता है कि विद्वान् न्यायाधीश ने प्रोन्नति से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने और अपीलार्थी को कनिष्ठों से ऊपर रखने हेतु प्रत्यर्थियों को स्वतंत्रता देकर मामले में अवमान याचिका बंद कर दी थी । इतना ही नहीं अवमानकर्ताओं पर विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई दंड अधिरोपित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को अवमान न्यायालय अधिनियम की धारा 10(1) के अधीन अवमान अपील फाइल करने की अपेक्षा हो । यदि कोई दंड अधिरोपित किया जाता है तो अवमानकर्ता अधिरोपित ऐसे दंड के विरुद्ध कोई अपील फाइल कर सकते हैं । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों से कोई अवमान अपील उद्भूत नहीं हो सकती । यदि अपीलार्थी कतई विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित है तो उपचार समुचित फोरम के समक्ष लाया जाता है न कि उच्च न्यायालय के समक्ष अवमान अपील फाइल करके । दूसरा यदि याची ऐसे किसी आदेश द्वारा व्यथित है जो अवमान याचिका के बंद किए जाने के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी/अवमानकर्ता द्वारा पारित किया जाना है तो वह विधि के अनुज्ञात रीति से उसकी चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी रीति में इस न्यायालय के समक्ष कोई अपील संधार्य नहीं है । (पैरा 5)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[1988] (1988) 3 एस. सी. सी. 26 :
डी. एन. तनेजा बनाम **भजन लाल** । 6

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की अवमान अपील क्रमांक सं. 110108.

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से एम. मर्गाबंधी

प्रत्यर्थी की ओर से –

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. राजेश्वरन ने दिया ।

न्या. राजेश्वरन – अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अवमान अपील अवमान याचिका सं. 724/2013 तारीख 31 अक्तूबर, 2013 में इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 19 के अधीन फाइल की गई है ।

2. इस याचिका को संख्यांकित करने के दौरान रजिस्ट्रार ने याचिका की संधार्यता पर प्रश्न उठाया और इस पृष्ठांकन के साथ याचिकाकर्ता के विद्वान् काउंसेल को कागजात वापस कर दिए जो इस प्रकार हैं :–

> "अवमान अपील क्रमांक सं. 110103/2013 किस प्रकार संधार्य है क्योंकि दंड का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है ।"

वापस किए गए कागजों के अनुपालन में याची के विद्वान् काउंसेल ने इस प्रकार पृष्ठांकित करते हुए प्रतिवेदन दिया :–

> "अपील न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 19 के अधीन की जा सकती है ।"

तथापि, न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 19 में यह उल्लेख है कि "अवमान को दंडित करने के लिए उच्च न्यायालय के किसी आदेश या विनिश्चय से साधिकार अपील की जाएगी जबकि इस आदेश के साथ विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा अवमान याचिका बंद कर दी गई थी कि कोई अवमान नहीं बनता । इसके अतिरिक्त विद्वान् एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों को प्रोन्नत करने और कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर प्रतिष्ठापित करने के बारे में औपचारिकताएं पूरा करने को स्वतंत्र कर दिया था । किंतु अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने इस पर बल दिया कि अवमान अपील को संख्यांकित किया जाए और इसे ग्रहण करने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।"

3. आदेश द्वारा, इस याचिका को संधार्यता के लिए इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

4. हमने संधार्यता के बारे में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए तर्कों को सुना । हमने तारीख 31 अक्तूबर, 2013 की अवमान याचिका सं. 724/2013 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश सहित अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों और विधि के उपबंधों का भी परिशीलन किया ।

5. यह अपील विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 31 अक्तूबर, 2013 को अवमान याचिका सं. 724/2013 द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है । उक्त आदेश के पढ़ने से यह दर्शित होता है कि विद्वान् न्यायाधीश ने प्रोन्नति से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने और अपीलार्थी को कनिष्ठों से ऊपर रखने हेतु प्रत्यर्थियों को स्वतंत्रता देकर मामले में अवमान याचिका बंद कर दी थी । इतना ही नहीं अवमानकर्ताओं पर विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई दंड अधिरोपित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को अवमान न्यायालय अधिनियम की धारा 10(1) के अधीन अवमान अपील फाइल करने की अपेक्षा हो । यदि कोई दंड अधिरोपित किया जाता है तो अवमानकर्ता अधिरोपित ऐसे दंड के विरुद्ध कोई अपील फाइल कर सकते हैं । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों से कोई अवमान अपील उद्भूत नहीं हो सकती । यदि अपीलार्थी कतई विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित है तो उपचार समुचित फोरम के समक्ष लाया जाता है न कि उच्च न्यायालय के समक्ष अवमान अपील फाइल करके । दूसरा यदि याची ऐसे किसी आदेश द्वारा व्यथित है जो अवमान याचिका के बंद किए जाने के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी/अवमानकर्ता द्वारा पारित किया जाना है तो वह विधि के अनुज्ञात रीति से उसकी चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी रीति में इस न्यायालय के समक्ष कोई अपील संधार्य नहीं है ।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **डी. एन. तनेजा** बनाम **भजन लाल**[1] वाले मामले में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> " .....
>
> प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल की यह दलील है कि क्या अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन अपील की संधार्यता के संबंध में प्रारंभिक आक्षेप किया जा सकता है । उसके द्वारा यह दलील दी गई कि चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा अवमान के लिए दंडित करने की अपनी अधिकारिता के प्रयोग में प्रत्यर्थी पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया गया था इसलिए धारा 19(1) अनप्रयुक्त है और अपील अनुचित है । धारा 19(1) इस प्रकार है –
>
> 'धारा 19(1) अवमान के लिए दंडित करने की अपनी

[1] (1988) 3 एस. सी. सी. 26.

अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय के किसी आदेश या विनिश्चय से साधिकार अपील –

(क) जहां आदेश या विनिश्चय एकल न्यायाधीश का है, न्यायालय के दो न्यायाधीशों से अन्यून न्यायपीठ को ;

(ख) जहां आदेश या विनिश्चय न्यायपीठ का है, उच्चतम न्यायालय को की जाएगी ।

जहां आदेश या विनिश्चय किसी संघ राज्य क्षेत्र के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय का है, ऐसी अपील उच्चतम न्यायालय को की जाएगी ।'

अपील का अधिकार अवमान के लिए दंडित करने की अपनी अधिकारिता के प्रयोग में पारित उच्च न्यायालय के किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध ही धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन उपलब्ध होगा । इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 215 के उपबंध को निर्दिष्ट करना प्रासंगिक है जो यह उपबंध करता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी । दूसरे शब्दों में उच्च न्यायालय अवमान के लिए दंड देने की अपनी अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 215 से व्युत्पन्न करता है । जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है कि कोई अपील अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन तभी की जाएगी जब उच्च न्यायालय अवमान के लिए दंड देने की अपनी अधिकारिता के प्रयोग में कोई आदेश या विनिश्चय करता है । प्रत्यर्थी की ओर से यह दलील दी गई है और हमारी राय में यह उचित है कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 215 द्वारा उसे प्रदत्त अपनी अधिकारिता या शक्ति का प्रयोग तभी करता है जब वह अवमान के लिए दंड अधिरोपित करता है । जब उच्च न्यायालय अधिकथित अवमानकर्ता पर कोई दंड अधिरोपित नहीं करता तो उच्च न्यायालय अवमान के लिए दंड देने की अपनी अधिकारिता या शक्ति का प्रयोग नहीं करता । जब उच्च न्यायालय द्वारा कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाता है तो यह कहना कठिन है कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 215 द्वारा उसे यथाप्रदत्त अपनी अधिकारिता या शक्ति का प्रयोग किया है ।"

7. पूर्वोक्त उद्धृत विनिश्चय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए तर्कों को खारिज किया जाता है और यह अभिलिखित

करते हुए कि अवमान अपील विधि और तथ्य दोनों दृष्टि से संधार्य नहीं है । रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्ति को कायम रखा जाता है ।

8. क्योंकि अवमान अपील संख्यांकन पूर्व प्रक्रम पर ग्रहण नहीं की जाती है अतः रजिस्ट्रार कार्यालय को अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल को उनसे अभिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् मूल कागजात वापस करने का निदेश दिया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

पां.

(2014) 2 दा. नि. प. 423 **राजस्थान**

बंसीलाल कुमावत

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 25 सितम्बर, 2013

न्यायमूर्ति अतुल कुमार जैन

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 18 और 29 – विनिषिद्ध माल की बरामदगी – जहां एक विशिष्ट अभियुक्त से पोस्ते का छिलका बरामद किया गया वहां विशिष्ट अभियुक्त और अन्वेषण अधिकारी के बीच अभिकथित मौखिक बातचीत के आधार पर और दूसरे अभियुक्त को उसके विरुद्ध किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में विनिषिद्ध माल की बरामदगी के अपराध से आरोपित नहीं किया जा सकता ।

छत्तीसगढ़ विशेष न्यायाधीश (स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ) ने अभियुक्त बंसीलाल कुमावत के विरुद्ध 1985 के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन आरोप विरचित किए जाने वाला आदेश पारित किया था । तीनों मामलों में अभियुक्त ने पहले ही पुनरीक्षण याचिकाएं इस न्यायालय की समकक्ष न्यायपीठ के समक्ष फाइल कर दी थीं और उसकी 2012 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या

740, 2013 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 739 और 2012 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 738 इस न्यायालय द्वारा तारीख 8 जनवरी, 2013 और 12 दिसम्बर, 2013 के आदेशों द्वारा स्वीकार कर ली गईं और याची के विरुद्ध पारित आदेशों को अभिखण्डित कर दिया गया और विचारण न्यायालय को याची के विरुद्ध विरचित आरोपों के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् नया आदेश पारित करने के लिए निदेशित किया गया । विचारण न्यायालय के समक्ष अन्य कोई मार्ग शेष नहीं रह गया था और शायद वह अपने पूर्ववर्ती पक्ष को परिवर्तित करना नहीं चाहता था और सभी तीनों मामलों में अभियुक्त बंसीलाल कुमावत के विरुद्ध आरोप फिर से विरचित किए गए और इस बार आरोप में लिखा गया था कि अभियुक्त द्वारा अन्वेषण अधिकारी के समक्ष जो कुछ कहा गया है, उसके आधार पर आरोप विरचित किए जा रहे हैं । पुनरीक्षण याचिकाएं मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह सुस्थापित विधि है कि मात्र संदेह के आधार पर आरोप विरचित नहीं किए जा सकते । यह भी सत्य है कि आरोप घोर संदेह के आधार पर विरचित किए जा सकते हैं किंतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित मामले में अन्वेषण के दौरान घोर संदेह का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ । यदि अन्वेषण के दौरान एक अभियुक्त अन्वेषण अधिकारी को कुछ बताता है और अन्वेषण अधिकारी द्वारा उस कथन को अभिलिखित भी नहीं किया जाता, तो मात्र उस अभिकथित मौखिक बातचीत के ही आधार पर जो अन्वेषण अधिकारी और किसी एक अभियुक्त के मध्य हुई, अन्य सह अभियुक्त को विनिषिद्ध वस्तुएं कब्जे में रखने के लिए 1985 के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन आरोपित नहीं किया जा सकता । न्यायालय के समक्ष उपस्थित मामले में अभियुक्त से कुछ मात्रा में पोस्ते का छिलका बरामद किया गया था और वर्तमान याची बंसीलाल को सह-अभियुक्त के कथन के आधार पर अभियुक्त बनाया गया और उसके सभी तीनों मामलों, जो चित्तौड़गढ़ के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम मामलों के न्यायालय में लंबित 2011 के सेशन मामला संख्या 59, 60 और 61 हैं, में 1985 के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/29 के अधीन आरोपित किया गया । न्यायालय ने समस्त आरोप पत्र कागजातों का परिशीलन किया । विद्वान् लोक अभियोजक सभी तीनों मामलों में अभियुक्त बंसीलाल के विरुद्ध साक्ष्य के किसी अंश की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर पाने में समर्थ नहीं हो सके

हैं और इसलिए इन तीनों दांडिक पुनरीक्षणों का अभियुक्त याची बंसीलाल 1985 के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/29 के अधीन आरोपों से उन्मोचित किए जाने योग्य है । (पैरा 5, 6 और 7)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2000] 2000 क्रिमिनल ला जर्नल 746 (एस. सी.)
= ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 522 :
कांति भद्र शाह और एक अन्य बनाम
पश्चिमी बंगाल राज्य । 1,2,3

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 453.

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/29 के अधीन लंबित 2011 के सेशन मामला सं. 59, 60 और 61 में पारित तारीख 13 जून, 2013 के आक्षेपित आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिकाएं।

याची की ओर से सर्वश्री फरजाद अली और ओ. पी. सिंघानिया

प्रत्यर्थी की ओर से लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति अतुल कुमार जैन – वर्ष 2000 में **कांतिभद्र शाह और एक अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस बाबत विधिक रूप से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि विचारण न्यायालय को आदेश लिखते समय आरोप विरचित किए जाने के कारणों को दर्शित करना चाहिए । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि पहले से कार्य के बोझ से लदे हुए विचारण न्यायालय पर ऐसे अतिरिक्त कार्य द्वारा और अधिक कार्य का बोझ नहीं डाला जा सकता । अब समय आ गया है कि न्यायालय प्रक्रिया को गति प्रदान किए जाने और परिवर्जनीय विलंब कारित करने वाली समस्त बाधाएं दूर किए जाने वाले उपाय खोजे जाने के लिए समस्त संभव उपाय अंगीकृत किए जाएं । यदि किसी मजिस्ट्रेट को विभिन्न प्रक्रमों पर

[1] 2000 क्रिमिनल ला जर्नल 746 (एस. सी.) = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 522.

विस्तारपूर्वक आदेश मात्र इस कारणवश लिखना पड़ेगा कि काउंसेल सभी प्रक्रमों पर न्यायालय के समक्ष दलीलें देगा, तो विचारण न्यायालयों में कार्यवाहियों की कछुए की गति से होने वाली प्रगति और अधिक धीमी हो जाएगी । आरोप विरचित किए जाने के प्रक्रम पर ही विस्तारपूर्वक आदेश लिखे जाने की आवश्यकता नहीं होती चूंकि आरोप प्रथमदृष्ट्या होते हैं और यह आदेश पारित किया जाए कि विचारण न्यायाधीश ने पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों पर विचारोंपरांत और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् राय बना ली है कि यह उपधारणा किए जाने का पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त ने ही सम्बद्ध अपराध कारित किया है । मजिस्ट्रेट से अपेक्षित होता है कि वह अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने वाले कारणों को अभिलिखित करें किंतु आरोप विरचित किए जाते समय ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती ।

2. **कांति भद्र शाह** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे मताभिव्यक्ति की कि चूंकि वर्तमान मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आरोप विरचित करने का निर्णय ले लिया है, इसलिए यदि अभियुक्त आरोप अभिखंडित किए जाने के लिए उच्च न्यायालय की शरण में जाता है तो उच्च न्यायालय इस बात पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ अभिलेख का पुनः परीक्षण कर सकता है कि क्या विरचित किया गया आरोप मान्य ठहराए जाने योग्य है या नहीं । यदि उच्च न्यायालय आरोप को अभिखंडित करने का निर्णय लेता है, तो उसको यह अधिकार है कि इसके लिए कारणों को अभिलिखित किया जाए । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिना कोई कारण अभिलिखित किए आरोप को अपास्त करने वाला आदेश है । किंतु मजिस्ट्रेट को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर एक बार फिर से विचार किए जाने और तत्पश्चात् उस अपराध के बाबत आरोप विरचित किए जाने के लिए दिया गया निदेश मात्र उसी कार्यवाही को फिर से करने के लिए निदेशित करने वाला निदेश है जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पहले ही कर चुका है । उससे एक ही कार्य के बार-बार करने के लिए कहा जाना अनावश्यक रूप से अतिरिक्त कार्य किए जाने के लिए कहा जाना है । कुछ भी हो, राज्य ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी है । अतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त करने की स्थिति में नहीं हैं । ऊपरवर्णित मताभिव्यक्ति करते हुए इस आदेश को यहीं पर छोड़ देते हैं । हम इस बात को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पर छोड़ देते हैं कि वह संहिता की धारा 239 या 240 के अधीन कार्यवाही करेगा जैसा कि उपरोक्त मताभिव्यक्ति के प्रकाश

में किया जाना उचित समझता हो ।

3. **कांति भद्र शाह** (उपरोक्त) वाला मामला तीनों वर्तमान याचिकाओं पर पूर्णतः लागू होता है । तीनों मामलों में छत्तीसगढ़ विशेष न्यायाधीश (स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ) ने अभियुक्त बंसीलाल कुमावत के विरुद्ध 1985 के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन आरोप विरचित किए जाने वाला आदेश पारित किया था । तीनों मामलों में अभियुक्त ने पहले ही पुनरीक्षण याचिकाएं इस न्यायालय के समकक्ष न्यायपीठ के समक्ष फाइल कर दी थीं और उसकी 2012 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 740, 2013 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 739 और 2012 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 738 को इस न्यायालय द्वारा तारीख 8 जनवरी, 2013 और 12 दिसम्बर, 2013 के आदेशों द्वारा निर्णीत कर दिया गया है । तीनों पुनरीक्षण इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे और याची के विरुद्ध पारित आदेशों को अभिखण्डित कर दिया गया था और विचारण न्यायालय को याची के विरुद्ध विरचित आरोपों के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् नया आदेश पारित करने के लिए निदेशित किया गया था ।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष अन्य कोई मार्ग शेष नहीं रह गया था और शायद वह अपने पूर्ववर्ती पक्ष को परिवर्तित नहीं करना चाहता था और सभी तीनों मामलों में अभियुक्त बंसीलाल कुमावत के विरुद्ध आरोप फिर से विरचित किए गए थे और इस बार आरोप में यह लिखा गया था कि अभियुक्त द्वारा अन्वेषण अधिकारी के समक्ष जो कुछ कहा गया है, उसके आधार पर आरोप विरचित किए जा रहे हैं ।

5. यह सुस्थापित विधि है कि मात्र संदेह के आधार पर आरोप विरचित नहीं किए जा सकते । यह भी सत्य है कि आरोप घोर संदेह के आधार पर विरचित किए जा सकते हैं किंतु हमारे समक्ष उपस्थित मामले में अन्वेषण के दौरान घोर संदेह का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ । यदि अन्वेषण के दौरान एक अभियुक्त अन्वेषण अधिकारी को कुछ बताता है और अन्वेषण अधिकारी द्वारा उस कथन को अभिलिखित भी नहीं किया जाता, तो मात्र उस अभिकथित मौखिक बातचीत के ही आधार पर, जो अन्वेषण अधिकारी और किसी एक अभियुक्त के मध्य हुई, अन्य सह-अभियुक्त को विनिषिद्ध वस्तुएं कब्जे में रखने के लिए 1985 के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी

पदार्थ अधिनियम के अधीन आरोपित नहीं किया जा सकता ।

6. हमारे समक्ष उपस्थित मामले में अभियुक्त से कुछ मात्रा में पोस्ते का छिलका बरामद किया था और वर्तमान याची बंसीलाल को सह-अभियुक्त के कथन के आधार पर अभियुक्त बनाया गया और उसकी सभी तीनों मामलों, जो चित्तौड़गढ़ के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम मामलों के न्यायालय में लंबित 2011 के सेशन मामला संख्या 59, 60 और 61 हैं, में 1985 के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/29 के अधीन आरोपित किया गया है ।

7. मैंने समस्त आरोप पत्र कागजात का परिशीलन किया । विद्वान् लोक अभियोजक सभी तीनों मामलों में अभियुक्त बंसीलाल के विरुद्ध साक्ष्य के किसी अंश की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित कर पाने में समर्थ नहीं हो सके हैं और इसलिए इन तीनों दांडिक पुनरीक्षणों का अभियुक्त याची बंसीलाल 1985 के स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/29 के अधीन आरोपों से उन्मोचित किए जाने योग्य है ।

8. अतः तीनों दांडिक पुनरीक्षण अर्थात् 2013 के दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 453, 462 और 463 स्वीकार किए जाने योग्य हैं जिनको एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है और इन तीनों फाइल में तारीख 13 जून, 2013 के आक्षेपित आदेशों, जिनका उल्लेख पहले भी किया गया है, को तद्नुसार अभिखंडित किया जाता है । स्थग्नादेश याचिकाएं, यदि कोई हों, को भी तद्नुसार निस्तारित किया जाता है । इस आदेश की तीन प्रतियां निचले न्यायालय को तुरंत भेजी जाएं ।

पुनरीक्षण याचिकाएं मंजूर की गईं ।

शु.

———

रमेश*

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 25 नवंबर, 2013

न्यायमूर्ति प्रशान्त कुमार अग्रवाल

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 42 और 43 – मादक पदार्थ की बरामदगी – यदि अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके कंधे पर लटके थैले से वैध अनुज्ञा पत्र या परमिट के बिना वाणिज्य मात्र से अधिक मादक पदार्थ अफीम की बरामदगी हो तो अभियुक्त की तलाशी उचित और वैध है और उसकी दोषसिद्धि न्यायसंगत और युक्तियुक्त है ।

उक्त अपील के निपटान हेतु सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तारीख 23 जुलाई, 2004 को पुलिस थाना कस्बा थाना के थानाधिकारी श्री रामानन्द यादव को सायंकाल 4.30 बजे मुखबिर के माध्यम से एक गुप्त सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि रमेश मीणा नामक व्यक्ति अफीम लेकर आया है तथा उसने एक भूरे रंग का थैला अपने हाथ में लटका रखा है तथा यदि उसे चेक किया जाए तो उसके आधिपत्य से मादक पदार्थ अफीम बरामद हो सकती है । मुखबिर से प्राप्त उस सूचना को रोजनामचा आम में लेखबद्ध किया गया तथा अधिनियम की धारा 42 के अधीन सूचना थानाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित की तथा वह पुलिस दल के साथ कार्यवाही हेतु सायंकाल 4 बजकर 40 मिनट पर थाने से रवाना होकर सायंकाल 5.00 बजे देवरी कस्बा पहुंचा । अभियोजन पक्ष के अनुसार समय 5.10 बजे सायंकाल थानाधिकारी ने पुलिस दल में शामिल कांस्टेबल शम्भूदयाल को स्वतंत्र साक्षी बुलाने हेतु नोटिस दिया तथा इस नोटिस की अनुपालना में श्री शम्भूदयाल सायंकाल 5.30 बजे श्री रईस मोहम्मद व श्री अनिल कुमार को स्वतंत्र साक्षी के रूप में घटनास्थल पर लाया जिन्होंने स्वतंत्र साक्षी बनने की लिखित सहमति दी । अभियोजन पक्ष के अनुसार नाकाबंदी के दौरान सायंकाल 5 बजकर 47 मिनट पर एक व्यक्ति मुताबिक हुलिया मुखबिर के भूरे रंग का थैला अपने हाथ में लटका कर

---

* मूल निर्णय हिन्दी में है ।

आता हुआ दिखाई दिया, जिसे थानाधिकारी ने पुलिस की सहायता से रोका तथा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रमेश मीणा बताया । थानाधिकारी ने उस व्यक्ति को मुखबिर से प्राप्त सूचना से अवगत कराते हुए यह भी बताया कि वह अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष करा सकता है । किंतु अपीलार्थी ने थानाधिकारी से ही अपने तलाशी लिवाने की लिखित सहमति दी । इस पर थानाधिकारी ने स्वतंत्र साक्षीगण की उपस्थिति में अपीलार्थी के थैले की तलाशी ली तो उसमें एक प्लास्टिक की पीपी हरे रंग की लाल रंग का ढक्कन लगी हुई मिली जिसको खोलकर देखा तो उसमें काले रंग का पदार्थ मिला था । इस पदार्थ को सूंघने और चखने से तो यह अफीम होना पाया गया । पूछने पर अपीलार्थी ने जाहिर किया कि उसके पास अफीम रखने के लिए अनुज्ञा पत्र नहीं है । अभियोजन पक्ष के अनुसार बरामद पदार्थ को तौला गया तो बारदाना सहित वजन के 3 किलो 600 ग्राम हुआ था तथा शुद्ध पदार्थ का वजन 3 किलो 300 ग्राम हुआ, जिसमें से 100-100 ग्राम के दो सैंपल अलग लिए गए तथा उन्हें प्लास्टिक की थैली में रखकर, उन्हें सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया गया तथा शेष रहे पदार्थ को उसे पीपी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया गया । अपीलार्थी को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किया गया तथा उसकी जमा तलाशी में अधिनियम की धारा 50 के अधीन दिया गया नोटिस बरामद हुआ । अभियोजन पक्ष के अनुसार घटनास्थल पर कार्यवाही करने के उपरांत थानाधिकारी अपीलार्थी एवं पुलिस दल सहित वापिस थाने पर आया जहां प्रथम सूचना 64/2004 पंजीबद्ध की गई तथा अनुसंधान पुलिस थाना केलवाड़ा के थानाधिकारी श्री ताराचन्द को सुपुर्द किया गया । बरामद शुदा पदार्थ के पेकेट सीलबन्द अवस्था में मालखाना में जमा करवाए गए तथा एक नमूना जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर भेजा गया । समस्त सामान्य अनुसंधान के उपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 8/18 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु आरोप पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए उक्त आरोप को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य पेश किया गया जबकि अपीलार्थी ने अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को गलत व असत्य होना बताकर विशेष रूप से कथन किया कि पुलिस थाना में पदस्थापित सिपाही श्री शम्भूदयाल से उसकी रंजिश थी तथा इसी रंजिश के फलस्वरूप उसे इस मामले में झूंठा फंसाया गया है । अपीलार्थी को

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/18 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी करार कर दस वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से तथा अर्थदंड अदा न होने की सूरत में छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है । अपीलार्थी अभियुक्त ने यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन विशेष न्यायाधीश, एन. डी. पी. एस. मामलात, बारां द्वारा सेशन प्रकरण सं. 120/2004 में दिनांक 27 जून, 2007 को पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह सही है कि घटना दिनांक 23 जुलाई, 2004 को ही अपीलार्थी तथा उसकी धर्म पत्नी श्रीमती पार्वती बाई के विरुद्ध पुलिस थाना केलवाड़ा में प्रथम सूचना सं. 101/2004 अधिनियम की धारा 8/18 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए इस आधार पर पंजीबद्ध की गई कि अपीलार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य के रिहायशी मकान से उसकी पत्नी की उपस्थिति में 250 ग्राम अफीम सायंकाल 6.00 बजे बरादमगी हुई किंतु केवल इस कारण यह नहीं माना जा सकता कि वर्तमान प्रकरण में की गई मादक पदार्थ की बरामदगी असत्य है । यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी के मकान से तथाकथित बरामदगी के समय अपीलार्थी उपस्थित नहीं था । अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रक्रम पर इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया है कि दिनांक 23 जुलाई, 2004 को उसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकट किए गए घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया । न्यायालय के मत में एक ही दिन अपीलार्थी के उक्त प्रकार से एवं रिहायशी मकान से मादक पदार्थ अफीम की बरामदगी इस तथ्य का संकेत है कि अपीलार्थी सक्रिय रूप से मादक पदार्थ के संव्यवहार में लिप्त है । घटना की तारीख को सायंकाल 6.00 बजे रिहायशी मकान से मादक पदार्थ की बरामदगी का अर्थ है कि बरामद मादक पदार्थ बरामदगी समय से पूर्व किसी समय मकान में लाकर रखा गया था, ऐसी सूरत में अन्य सूचना के आधार पर वर्तमान प्रकरण में सायंकाल 6 बजकर 15 मिनट पर अपीलार्थी से अन्य स्थान से की गई मादक पदार्थ की बरामदगी को अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता है । यद्यपि अपीलार्थी ने यह कहने का प्रयास किया है कि पुलिस थाने में पदस्थापित कांस्टेबल श्री शम्भूदयाल से पूर्व रंजिश के कारण उसे इस मामले में गलत रूप से लिप्त किया गया है किंतु अपीलार्थी के इस कथन का खंडन अभियोजन साक्षी द्वारा किया गया । अपीलार्थी पर दायित्व था कि वह पर्याप्त व समुचित साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने उक्त कथन की पुष्टि

करता किंतु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका, ऐसी सूरत में केवल अपीलार्थी के उक्त कथन का कोई महत्व नहीं है । अभियोजन पक्षकथन पर इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान प्रकरण में अनुसंधान अभियोजन साक्षी ताराचन्द द्वारा किया गया जो तत्समय पुलिस थाना केलवाड़ा पर थानाधिकारी के रूप में पदस्थापित था तथा उसने ही अपीलार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य के रिहायशी मकान से मादक पदार्थ अफीम की पृथक् से बरामदगी की थी । पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि इस प्रकरण से संबंधित प्रथम सूचना पंजीबद्ध होने के उपरांत जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश की अनुपालना में अनुसंधान श्री ताराचन्द को सम्भलाया गया । उक्त अन्य प्रकरण में श्री ताराचन्द ने मुखबिर से तथाकथित रूप से प्राप्त सूचना के आधार पर तलाशी व बरामदगी अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर मादक पदार्थ की बरामदगी की है जबकि वर्तमान प्रकरण में तलाशी व बरामदगी की कार्यवाही पूर्ण होने तथा प्रथम सूचना पंजीबद्ध होने के उपरांत शेष रहा औपचारिक अनुसंधान ही उसने सम्पादित किया है । साक्षी के लिए आवश्यक नहीं था कि वह उच्च पुलिस अधिकारी को इस आशय का निर्वहन करता कि अनुसंधान किसी अन्य पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया जाए या वह अनुसंधान के दौरान इस प्रकरण के तैयार प्रलेखों में इस तथ्य का उल्लेख करता कि उसने अपीलार्थी के रिहायशी मकान से घटना तिथि को मादक पदार्थ अफीम की बरामदगी की थी । अपीलार्थी के आधिपत्य से बरामद मादक पदार्थ अफीम की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए यह संभव नहीं है कि इसे पुलिस द्वारा plant किया गया है । उक्त समस्त विवेचन से जाहिर है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत कोई भी तर्क विधिसम्मत न होने से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और न ही इन आधारों पर अभियोजन पक्षकथन पर संदेह कर उसे अस्वीकार किया जा सकता है । योग्य विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, संबंधित विधिक प्रावधानों तथा विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार कर कारण अभिलिखित कर अपीलाधीन निर्णय व दंडादेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई कारण नहीं है । पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि दिनांक 23 जुलाई, 2004 को सायंकाल अपीलार्थी की तलाशी ली गई तो उसके हाथ में लटकाकर रखे गए थैले में मादक पदार्थ अफीम जिसकी मात्रा वाणिज्य मात्रा से कहीं अधिक थी बिना वैध अनुज्ञा पत्र अथवा परमिट के बरामद हुई । बरामद मादक पदार्थ वाणिज्य मात्रा से अधिक होने पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश को भी अनुचित व

गलत नहीं माना जा सकता । (पैरा 6 और 7)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 2 एस. सी. सी. 502 : **किशन चन्द** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	4
[2013]	(2013) 2 एस. सी. सी. 67 : **अशोक कुमार शर्मा** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	4, 7
[2011]	(2011) 1 एस. सी. सी. 609 : **विजय सिंह चन्दू भाई जडेजा** बनाम **गुजरात राज्य** ;	4, 7
[2011]	2011 क्रिमिनल ला रिपोर्टर (एस. सी.) 631 : **दिल्ली राज्य** बनाम **राम अवतार** ;	4, 5
[2011]	ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1939 : **नारकोटिक्स सैंट्रल ब्यूरो** बनाम **सुखदेव राज** ;	4, 7
[2009]	(2009) 8 एस. सी. सी. 539 : **करनैल सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	4, 7
[2009]	दांडिक अपील सं. 1158/1159-1159/2004 उच्चतम न्यायालय निर्णय तिथि 11.6.2009 : **भारत संघ** बनाम **शाह आलम** ;	4, 7
[2007]	(2007) 1 एस. सी. सी. 450 : **दिलीप और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	4, 7
[2005]	(2005) 4 एस. सी. सी. 350 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **पवन कुमार** ।	7

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की एकल न्यायपीठ दांडिक अपील सं. 1424.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री खुर्शीद आलम खान

राज्य की ओर से श्री जे. आर. बिजरनिया, लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति प्रशान्त कुमार अग्रवाल – अपीलार्थी अभियुक्त ने यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन विशेष न्यायाधीश, एन. डी. पी. एस. मामला, बारां द्वारा सेशन प्रकरण सं. 120/2004 में दिनांक 27 जून, 2007 को पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके माध्यम से योग्य विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/18 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी करार कर दस वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से तथा अर्थदंड अदा न होने की सूरत में छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है ।

2. उक्त अपील के निपटान हेतु सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तारीख 23 जुलाई, 2004 को पुलिस थाना कस्बा थाना के थानाधिकारी श्री रामानन्द यादव को सायंकाल 4.30 बजे मुखबिर के माध्यम से एक गुप्त सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि रमेश मीणा नामक व्यक्ति अफीम लेकर आया है तथा उसने एक भूरे रंग का थैला अपने हाथ में लटका रखा है तथा यदि उसे चेक किया जाए तो उसके आधिपत्य से मादक पदार्थ अफीम बरामद हो सकती है । मुखबिर से प्राप्त उस सूचना को रोजनामचा आम में लेखबद्ध किया गया तथा अधिनियम की धारा 42 के अधीन सूचना थानाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित की तथा वह पुलिस दल के साथ कार्यवाही हेतु सायंकाल 4 बजकर 40 मिनट पर थाने से रवाना होकर सायंकाल 5.00 बजे देवरी कस्बा पहुंचा । अभियोजन पक्ष के अनुसार समय 5.10 बजे सायंकाल थानाधिकारी ने पुलिस दल में शामिल कांस्टेबल शम्भूदयाल को स्वतंत्र साक्षी बुलाने हेतु नोटिस दिया तथा इस नोटिस की अनुपालना में श्री शम्भूदयाल सायंकाल 5.30 बजे श्री रईस मोहम्मद व श्री अनिल कुमार को स्वतंत्र साक्षी के रूप में घटनास्थल पर लाया जिन्होंने स्वतंत्र साक्षी बनने की लिखित सहमति दी । अभियोजन पक्ष के अनुसार नाकाबंदी के दौरान सायंकाल 5 बजकर 47 मिनट पर एक व्यक्ति मुताबिक हुलिया मुखबिर के भूरे रंग का थैला अपने हाथ में लटका कर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे थानाधिकारी ने पुलिस की सहायता से रोका तथा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रमेश मीणा बताया । थानाधिकारी ने उस व्यक्ति को मुखबिर से प्राप्त सूचना से अवगत कराते हुए यह भी बताया कि वह अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष करा सकता है । किंतु अपीलार्थी ने थानाधिकारी से ही अपने तलाशी लिवाने की लिखित सहमति दी । इस पर थानाधिकारी ने

स्वतंत्र साक्षीगण की उपस्थिति में अपीलार्थी के थैले की तलाशी ली तो उसमें एक प्लास्टिक की पीपी हरे रंग की लाल रंग का ढक्कन लगी हुई मिली जिसको खोलकर देखा तो उसमें काले रंग का पदार्थ मिला था । इस पदार्थ को सूंघने और चखने से तो यह अफीम होना पाया गया । पूछने पर अपीलार्थी ने जाहिर किया कि उसके पास अफीम रखने के लिए अनुज्ञा पत्र नहीं है । अभियोजन पक्ष के अनुसार बरामद पदार्थ को तौला गया तो बारदाना सहित वजन के 3 किलो 600 ग्राम हुआ था तथा शुद्ध पदार्थ का वजन 3 किलो 300 ग्राम हुआ, जिसमें से 100-100 ग्राम के दो सैंपल अलग लिए गए तथा उन्हें प्लास्टिक की थैली में रखकर, उन्हें सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया गया तथा शेष रहे पदार्थ को उसे पीपी में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया गया । अपीलार्थी को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किया गया तथा उसकी जमा तलाशी में अधिनियम की धारा 50 के अधीन दिया गया नोटिस बरामद हुआ । अभियोजन पक्ष के अनुसार घटनास्थल पर कार्यवाही करने के उपरांत थानाधिकारी अपीलार्थी एवं पुलिस दल सहित वापिस थाने पर आया जहां प्रथम सूचना 64/2004 पंजीबद्ध की गई तथा अनुसंधान पुलिस थाना केलवाड़ा के थानाधिकारी श्री ताराचन्द को सुपुर्द किया गया । बरामद शुदा पदार्थ के पेकेट सीलबन्द अवस्था में मालखाना में जमा करवाए गए तथा एक नमूना जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर भेजा गया । समस्त सामान्य अनुसंधान के उपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 8/18 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु आरोप पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए उक्त आरोप को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य पेश किया गया जबकि अपीलार्थी ने अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को गलत व असत्य होना बताकर विशेष रूप से कथन किया कि पुलिस थाना में पदस्थापित सिपाही श्री शम्भूदयाल से उसकी रंजिश थी तथा इसी रंजिश के फलस्वरूप उसे इस मामले में झूंठा फंसाया गया है । अपीलार्थी ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की । विचारण न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार कर अपीलाधीन निर्णय व दंडादेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील हमारे समक्ष पेश की गई है ।

3. विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व दंडादेश

को चुनौती देते हुए विद्वान् अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए :–

"1. यह स्वीकृत तथ्य है कि थानाधिकारी को अपीलार्थी के पास मादक पदार्थ अफीम होने की पूर्व सूचना मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई थी किंतु पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि अधिनियम की धारा 42 के आदेशानुसार प्रावधानों की अनुपालना कर थानाधिकारी ने इस सूचना को नियमानुसार लेखबद्ध किया तथा सूचना की प्रतिलिपि निर्धारित अवधि में अपने उच्च पुलिस अधिकारियों को प्रेषित की, ऐसी सूरत में उक्त प्रावधान की निष्ठापूर्वक अनुपालना न होने के आधार पर ही अपीलार्थी उस पर लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है । अभियोजन पक्ष के अनुसार अधिनियम की धारा 42 के अधीन आवश्यक सूचना अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 6 श्री रामप्रसाद के माध्यम से प्रेषित की गई किंतु उसके प्रति परीक्षण से जाहिर है कि वास्तव में ऐसी कोई सूचना निर्धारित अवधि में प्रेषित नहीं की गई एवं इस संदर्भ में केवल कागजाती कार्यवाही ही थानाधिकारी द्वारा सम्पन्न की गई है । उक्त प्रावधान के अनुसार थानाधिकारी के लिए आवश्यक था कि वह मुखबिर की सूचना को पृथक् से लेखबद्ध करता । सूचना को रोजनामचा में लिखा जाना ही पर्याप्त नहीं है ।

2. स्वयं अभियोजन पक्ष का कथन है कि मादक पदार्थ की बरामदगी अपीलार्थी द्वारा अपने हाथ में लटकाए हुए थैले से की गई यानि जिस थैले से बरामदगी की गई है, वह तलाशी व बरामदगी के समय अपीलार्थी के व्यक्तिगत आधिपत्य में था, ऐसी सूरत में अधिनियम की धारा 50 की पालना किया जाना आवश्यक था किंतु पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर नहीं है कि इस आदेशात्मक प्रावधान की निष्ठापूर्वक पालना वर्तमान प्रकरण में की गई तथा अपीलार्थी इस आधार पर भी लगाए गए आरोप से दोषमुक्ति किए जाने का अधिकारी है । उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष का कथन है कि तलाशी से पूर्व अपीलार्थी को लिखित नोटिस अधिनियम की धारा 50 के अधीन प्रदर्श पी-6 के रूप में दिया गया तथा अपीलार्थी ने थानाधिकारी द्वारा ही अपनी तलाशी लिए जाने की लिखित सहमति प्रदर्श पी-7 के रूप में दी तथा उक्त दोनों फर्दें अपीलार्थी की गिरफ्तारी के उपरांत जमा तलाशी में उसके आधिपत्य से बरामद हुईं किंतु इन दोनों फर्दों के अवलोकन से जाहिर है कि इन्हें अपीलार्थी के

आधिपत्य से बरामद नहीं किया गया क्योंकि इन फर्दों पर किसी तरह की कोई सलवटें नहीं हैं जो कि आवश्यक रूप से होतीं यदि अपीलार्थी इन दोनों फर्दों को समेटकर अपनी जेब में रखता । उक्त अभाव में यह माना जाना चाहिए कि न तो उक्त फर्दें अपीलार्थी को दी गईं और न ही ये उसके आधिपत्य से बरामद हुईं । उन तथ्यों का अर्थ यह है कि वास्तव में अधिनियम की धारा 50 के अधिकार से अपीलार्थी को तलाशी से पूर्व अवगत नहीं करवाया गया तथा केवल कागजी कार्यवाही कर उक्त फर्दों को थानाधिकारी ने अपने स्तर पर ही तैयार कर आरोप पत्र के साथ नत्थी कर प्रस्तुत कर दिया । इस विधिक स्थिति की रोशनी में कि अभियोजन पक्ष पर प्रमाणित करने का भार है कि तलाशी से पूर्व अभियुक्त को अधिनियम की धारा 50 के अधिकार से निष्ठापूर्वक अवगत कराया गया था, वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष पर यह स्पष्ट करने का भार था कि जब उक्त फर्दें अपीलार्थी के आधिपत्य से गिरफ्तारी उपरान्त बरामद हुईं तो इन पर किन कारणों से सलवटें नहीं पाई गईं । यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि दोनों ही स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षीगण ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है, ऐसी दशा में उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में केवल बरामदगी अधिकारी एवं पुलिस दल में उसके साथ उपस्थित पुलिस कर्मियों के कथनों के आधार पर यह प्रमाणित नहीं माना जाना चाहिए कि उक्त प्रावधान का अनुपालन किया गया । यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी से की गई तलाशी व बरामदगी के संबंध में विस्तार से तथ्यों का उल्लेख कर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-1 घटनास्थल पर तैयार किया जाना अभियोजन पक्ष का कथन है किन्तु इस फर्द में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि गिरफ्तारी उपरांत अपीलार्थी की जमा तलाशी ली गई तो उसके आधिपत्य से उक्त फर्दें भी बरामद हुईं । ऐसी सूरत में भी अभियोजन पक्ष का यह कथन संदेहजनक है कि अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन किया गया । विधि की सुस्थापित स्थिति है कि अधिनियम की धारा 50 के अनुसरण में थानाधिकारी पर केवल इतना ही दायित्व नहीं है कि वह अभियुक्त को उसके इस अधिकार से अवगत कराए कि उसे तलाशी के लिए किसी निकट मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ले जाया जा सकता है बल्कि उसका यह दायित्व भी है कि वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लेकर जाए चाहे अभियुक्त ने इस संबंध में कोई विकल्प दिया हो अथवा

नहीं ।

3. यह स्वीकृत तथ्य है कि घटनास्थल पर कार्यवाही करने के पश्चात् थानाधिकारी वापस थाने पर आया तथा रात्रि 8.30 बजे प्रथम सूचना 64/2004 अधिनियम की धारा 8/18 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पंजीबद्ध की गई किंतु घटनास्थल पर तथाकथित रूप से तैयार फर्द जब्ती प्रदर्श पी-1, नोटिस तलबी गवाहान प्रदर्श पी-2, प्रतिलिपि नोटिस अंतर्गत धारा 50 प्रदर्श पी-4, मूल फर्द सहमति प्रदर्श पी-5 मूल नोटिस अंतर्गत धारा 50 प्रदर्श पी-6, मूल सहमति प्रदर्श पी-7, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-8, फर्द जब्ती नोटिस प्रदर्श पी-9 एवं फर्द नमूना सील प्रदर्श पी-10 पर भी प्रथम सूचना संख्या उल्लिखित है, जो इस बात का प्रबल संकेत है कि ये सभी फर्दें वास्तव में घटनास्थल पर तैयार नहीं की गईं तथा इन्हें थाने पर आकर तथा प्रथम सूचना पंजीबद्ध करने के बाद तैयार किया गया । यदि उक्त फर्दें वास्तव में घटनास्थल पर ही कार्यवाही के दौरान तैयार की जातीं तो इन पर प्रथम सूचना क्रमांक अंकित होने का प्रश्न ही नहीं था । विचारण के दौरान किसी भी अभियोजन साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया है कि किस परिस्थिति में उक्त फर्दों पर प्रथम सूचना क्रमांक उल्लिखित है । इस अभाव में समस्त अभियोजन पक्षकथन संदेहजनक माना जाना चाहिए ।

4. अपीलार्थी से की गई तलाशी व बरामदगी कार्यवाही को प्रमाणित करने के लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र साक्षी के रूप में पी. डब्ल्यू. 2 श्री रईस अहमद और पी. डब्ल्यू. 3 श्री अनिल कुमार को प्रस्तुत किया गया किंतु इन दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है तथा उन्हें अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया, ऐसी सूरत में केवल पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के कथनों के आधार पर उक्त गंभीर अपराध के लिए लगाए गए आरोप को प्रमाणित माना जाना सुरक्षित नहीं होगा, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों में अनेक विरोधाभास, असंगतियां एवं विसंगतियां हैं तथा उन्होंने घटनास्थल पर तथाकथित रूप से तैयार की फर्दों में उल्लिखित तथ्यों एवं अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध किए गए अपने-अपने कथन से बढ़ा-चढ़ाकर कथन विचारण के दौरान लेखबद्ध करवाए हैं ।

5. पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि अधिनियम की धारा 57 के आदेशात्मक प्रावधान की भी अनुपालना निष्ठापूर्वक नहीं की गई । इस प्रावधान के अनुसार बरामदगी अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह तलाशी व बरामदगी की कार्यवाही के उपरान्त विस्तृत रिपोर्ट निर्धारित अवधि में अपने उच्च पुलिस अधिकारी को प्रेषित करे किंतु स्वयं बरामदगी अधिकारी अभियोजन साक्षी श्री रामानन्द यादव ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि धारा 57 की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक के रीडर को दी गई । उक्त प्रावधान के अनुसार रिपोर्ट व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधीक्षक को दी जानी चाहिए थी तथा इस अभाव में इस प्रावधान की अनुपालना होना नहीं माना जा सकता । यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उस कांस्टेबल को साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके माध्यम से उक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी ।

6. यह तथ्य स्वीकृत है कि घटना तिथि को ही प्रार्थी एवं उसकी धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती बाई के विरुद्ध पुलिस थाना केलवाड़ा में प्रथम सूचना सं. 101/2004 अधिनियम की धारा 8/18 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में इस आधार पर पंजीबद्ध की गई कि मुखबिर से प्राप्त पूर्व सूचना के अनुसरण में अपीलार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य के रिहायशी मकान की तलाशी ली गई तो उसकी पत्नी की उपस्थिति में मादक पदार्थ अफीम 250 ग्राम सायंकाल 6.00 बजे बरामद की गई । इस संबंध में उक्त प्रथम सूचना पुलिस थाना केलवाड़ा पर रात्रि 8.00 बजे पंजीबद्ध हुई । यद्यपि अभियोजन पक्षकथन यह है कि जब अपीलार्थी के मकान से उक्त प्रकार से मादक पदार्थ अफीम की बरामदगी की गई तो अपीलार्थी स्वयं वहां उपस्थित नहीं था किंतु यह बात सामान्य मानव स्वभाव के अनुरूप नहीं है कि एक ही दिन लगभग समान समय पर एक पुलिस थाने द्वारा तो पूर्व सूचना के आधार पर अपीलार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य के रिहायशी मकान से मादक पदार्थ की बरामदगी की जाए तथा अन्य थाना द्वारा अन्य पूर्व सूचना के आधार पर अपीलार्थी के व्यक्तिगत आधिपत्य से मादक पदार्थ अफीम की बरामदगी की जाए । उक्त तथ्यों से जाहिर है कि अपीलार्थी के व्यक्तिगत आधिपत्य से किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं की गई तथा थाने पर पदस्थापित कांस्टेबल शम्भू दयाल से पूर्व रंजिश होने से गलत रूप से उससे बरामदगी बताई गई है । यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान

प्रकरण से संबंधित अनुसंधान, पुलिस थाना केलवाड़ा पर तत्समय पदस्थापित थानाधिकारी अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 12 ताराचंद द्वारा किया गया है । जिसके द्वारा अपने थाने में पंजीबद्ध उक्त प्रथम सूचना सं. 101/2004 से संबंधित बरामदगी कार्यवाही की गई है । जब इस साक्षी को इस तथ्य का ज्ञान था कि अपीलार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य के रिहायशी मकान से मादक पदार्थ की बरामदगी से संबंधित प्रकरण उसके द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर पंजीबद्ध किया गया है तो उसी अपीलार्थी से संबंधित वर्तमान प्रकरण का अनुसंधान इसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था । अपने उच्च पुलिस अधिकारी से निवेदन किया जाता कि अनुसंधान किसी अन्य पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया जाए । साक्षी द्वारा ऐसा न किया जाना इस तथ्य का प्रबल संकेत है कि दोनों थानाधिकारियों ने परस्पर साजिश करके अपीलार्थी को इस मामले में गलत रूप से लिप्त किया है । साक्षी ने अनुसंधान के दौरान अनेक प्रलेख तैयार किए हैं किंतु उनमें से किसी भी प्रलेख में उक्त अन्य प्रकरण का उल्लेख नहीं किया जो साक्षी की दुर्भावना का प्रतीक है ।"

4. अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए :–

(1) **विजय सिंह चन्दू भाई जड़ेजा** बनाम **गुजरात राज्य**[1]

(2) **करनैल सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[2]

(3) **नारकोटिक्स सैन्ट्रल ब्यूरो** बनाम **सुखदेव राज**[3]

(4) **भारत संघ** बनाम **शाह आलम**[4]

(5) **दिल्ली राज्य** बनाम **राम अवतार**[5]

(6) **अशोक कुमार शर्मा** बनाम **राजस्थान राज्य**[6]

(7) **दिलीप और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[7]

---

[1] (2011) 1 एस. सी. सी. 609.

[2] (2009) 8 एस. सी. सी. 539.

[3] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1939.

[4] दांडिक अपील सं. 1158-1159/2004 उच्चतम न्यायालय निर्णय तिथि 11.6.2009.

[5] 2011 क्रिमिनल ला रिपोर्टर (एस. सी.) 631.

[6] (2013) 2 एस. सी. सी. 67.

[7] 2007 क्रिमिनल ला जर्नल 880 (एस. सी.).

(8) **किशन चन्द** बनाम **हरियाणा राज्य**[1]

5. इसके विपरीत विद्वान् लोक अभियोजक ने अपीलाधीन निर्णय व दंडादेश का समर्थन कर तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं संबंधित विधिक प्रावधानों पर समुचित रूप से विचार कर विस्तार से कारण अंकित कर अपना निर्णय व दंडादेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है । उनके द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की गई किंतु इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि मादक पदार्थ की बरामदगी अपीलार्थी की व्यक्तिगत तलाशी से नहीं होकर उसके द्वारा अपने हाथ में लिए हुए थैले से हुई है, कानूनन उक्त प्रावधान की अनुपालना किया जाना आवश्यक नहीं था तथा ऐसी सूरत में यदि कुछ सीमा तक उक्त प्रावधान का उल्लंघन हुआ भी है तो केवल इस आधार पर अपीलार्थी किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि पूर्व सूचना को थाने में संधारित किए जा रहे रोजनामचा आम में लेखबद्ध किया गया तथा इसकी प्रतिलिपि अविलम्ब उच्च पुलिस अधिकारियों को प्रेषित की गई, अन्यथा भी उक्त प्रावधान की अनुपालना किया जाना इस कारणवश आवश्यक नहीं था क्योंकि किसी भवन, वाहन अथवा अन्य बंद स्थान से मादक पदार्थ की बरामदगी न होकर सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित अपीलार्थी से की गई है, जिस स्थिति में अधिनियम की धारा 43 के प्रावधान लागू होते हैं न कि धारा 42 के । अभियोजन पक्षकथन पर केवल इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता कि दोनों निष्पक्ष एवं स्वतंत्र साक्षीगण ने न्यायालय के समक्ष घटना की पुष्टि नहीं की है क्योंकि अन्य साक्षीगण के कथनों तथा प्रलेखीय साक्ष्य से अपीलार्थी की तलाशी में मादक पदार्थ बरामद होने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है । वर्तमान प्रकरण में यदि अधिनियम की धारा 57 की रिपोर्ट उच्च पुलिस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न दी जाकर उसके रीडर को दी गई है तो भी इससे अभियोजन पक्षकथन पर विपरीत प्रभाव होना नहीं माना जा सकता क्योंकि विधि की सुस्थापित स्थिति है कि अधिनियम की धारा 57 आदेशात्मक नहीं है । जहां तक उसी तारीख को अपीलार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य के रिहायशी मकान से मादक पदार्थ अफीम बरामद होने का प्रश्न है, वह प्रकरण वर्तमान प्रकरण से कतई भिन्न

---

[1] (2013) 2 एस. सी. सी. 502.

है क्योंकि जाहिर है कि मकान से बरामदगी अपीलार्थी की अनुपस्थिति में हुई । अपीलार्थी के मकान से मादक पदार्थ की बरामदगी होना इस तथ्य पर बल देता है कि अपीलार्थी सक्रिय रूप से मादक पदार्थ के संव्यवहार में गहराई से लिप्त है जिसने पूर्व में किसी समय मादक पदार्थ अफीम प्राप्त कर उसे अपने रिहायशी मकान में छिपा कर रखा तथा घटना की तारीख को भी वह बरामद शुदा मादक पदार्थ को कहीं से प्राप्त कर विक्रय करने के लिए ला रहा था । जहां तक घटनास्थल पर तैयार फर्दों पर प्रथम सूचना क्रमांक का उल्लेख होने का प्रश्न है, यह प्रकट है कि इसका उल्लेख प्रथम सूचना पंजीबद्ध होने के बाद लाल स्याही से केवल इस कारण से किया गया जिससे इन फर्दों को वर्तमान प्रकरण का भाग बनाया जा सके । विचारण के दौरान प्रतिपरीक्षण में किसी भी साक्षी से इस संबंध में स्पष्टीकरण लेने का प्रयास अपीलार्थी की ओर से नहीं किया गया है, ऐसी सूरत में उक्त आधार पर अपीलार्थी अब यह कहने का अधिकारी नहीं है कि घटनास्थल पर वास्तव में उक्त फर्दों को तैयार नहीं किया गया तथा प्रथम सूचना पंजीबद्ध होने के बाद थाने पर इन्हें तैयार किया गया ।

6. हमने योग्य अधिवक्ता पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य संबंधित विधिक प्रावधानों तथा अपीलार्थी की ओर से पेश किए गए न्यायिक दृष्टातों एवं अन्य सुसंगत न्यायिक दृष्टातों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

7. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आधारों के संबंध में हमारा सकारण निर्णय व निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार से है :–

1. यह सही है कि थानाधिकारी को अपीलार्थी के पास मादक पदार्थ होने की पूर्व सूचना मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई किंतु प्रकरण के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की रोशनी में न तो यह माना जा सकता कि अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों की अनुपालना किया जाना वर्तमान प्रकरण में आवश्यक था और न ही यह माना जा सकता है कि उक्त प्रावधानों की अनुपालना निष्ठापूर्वक बरामदगी अधिकारी द्वारा नहीं की गई । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार मुखबिर से प्राप्त सूचना इस आशय की थी कि अपीलार्थी द्वारा अपने हाथ में लिए हुए थैले में मादक पदार्थ अफीम रखी हुई है । अभियोजन पक्षकथन है कि उक्तसूचना के अनुसरण में अपीलार्थी से तलाशी व बरामदगी की कार्यवाही सम्पादित की गई तो उसके द्वारा अपने हाथ में लिए हुए थैले से मादक पदार्थ अफीम बरामद हुई ।

अधिनियम की धारा 42 के अवलोकन से जाहिर है कि यह प्रावधान उसी अवस्था में लागू होगा जब अधिकृत अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से इस आशय की सूचना प्राप्त हो कि किसी भवन, वाहन अथवा अन्य बंद स्थान में मादक पदार्थ के मध्य किसी समय ऐसे भवन, वाहन अथवा अन्य स्थान में प्रवेश कर मादक पदार्थ की बरामदगी की जानी हो । वर्तमान प्रकरण में जब किसी भवन आदि में प्रवेश कर मादक पदार्थ की तलाशी थानाधिकारी द्वारा सम्पादित नहीं की जानी थी तो उसके लिए कानूनन आवश्यक नहीं था कि वह मुखबिर से प्राप्त उक्त सूचना को रोजनामचा में अथवा अन्य किसी प्रकार से लेखबद्ध करता । हमारे मत में प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अधिनियम की धारा 43 लागू होना मानी जाएगी जिसमें सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थ की बरामदगी की प्रक्रिया का निर्धारण किया हुआ है । इस प्रावधान में ऐसी कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है कि अधिकृत अधिकारी व्यक्तिगत अथवा अन्य किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना को लेखबद्ध करे तथा उसकी प्रतिलिपि निर्धारित अवधि में अपने उच्चाधिकारी को प्रस्तुत करें । वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी से मादक पदार्थ की बरामदगी उस समय की गई जब वह सार्वजनिक मार्ग पर हाथ में थैला लिए हुए पैदल आ रहा था । अन्यथा भी यदि तर्क हेतु के बारे में यह माना जाए कि अधिनियम की धारा 42 की पालना किया जाना कानूनन आवश्यक था तो भी पत्रावली पर विद्यमान मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से जाहिर है कि उक्त प्रावधान की निष्ठापूर्वक अनुपालना की गई है । अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 11 श्री रामानन्द व अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 6 राम प्रसाद के कथनों तथा प्रतिलिपि रोजनामचा आम प्रदर्श पी-12 के अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 23 जुलाई, 2004 को सायंकाल 4.30 बजे थानाधिकारी को मुखबिर के माध्यम से उक्त आशय की सूचना प्राप्त हुई जिसे थानाधिकारी ने रोजनामचा आम में लेखबद्ध किया तथा इस सूचना की प्रतिलिपि श्री राम प्रसाद के माध्यम से समय सायंकाल 4.35 बजे पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित की तथा श्री राम प्रसाद ने सूचना की प्रतिलिपि व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधीक्षक को देकर उनके हस्ताक्षर कार्बन प्रतिलिपि प्रदर्श पी-12 पर प्राप्त किए । अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 6 श्री राम प्रसाद से विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया गया है किंतु उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं

आई है जिससे यह माना जा सके कि उसके माध्यम से सूचना की प्रति पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित नहीं की गई । ऐसी कोई विधिक आवश्यकता नहीं है कि यदि अधिकृत अधिकारी को मादक पदार्थ के संबंध में सूचना किसी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है तो उसे रोजनामचा आम में लेखबद्ध न कर किसी अन्य प्रकार से लेखबद्ध किया जाना चाहिए । ऐसी सूरत में यदि वर्तमान प्रकरण में थानाधिकारी ने मुखबिर की सूचना को थाना में संधारित रोजनामचा आम में लेखबद्ध किया है तो ऐसा किए जाने से विधिक प्रावधानों का उल्लंघन होना नहीं माना जा सकता । यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पुलिस थाने पर रोजनामचा आम नियमित रूप से प्रतिदिन संधारित किया जाता है जिसमें थाने पर सम्पन्न हुई प्रत्येक कार्यवाही को क्रमवार लेखबद्ध किया जाता है । हमारे मत में यदि मादक पदार्थ के संबंध में प्राप्त सूचना को रोजनामचा आम में रपट डालकर लेखबद्ध किया जाता है तो इस प्रकार से लेखबद्ध की गई सूचना तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय मानी जाएगी क्योंकि उसे बाद में बदले जाने की संभावना नगण्य रहती है । माननीय उच्चतम न्यायालय की सांविधानिक पीठ ने करनैल सिंह **बनाम** हरियाणा राज्य (2009) 8 एस. सी. सी. 539 वाले मामले में विस्तार से विचार कर मत व्यक्त किया है कि अधिनियम की धारा 42 की अनुपालना सारभूत (substantial) रूप से किया जाना ही पर्याप्त है ।

2. इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अभियोजन पक्ष के अनुसार मादक पदार्थ की बरामदगी अपीलार्थी द्वारा अपने हाथ में लटकाए हुए थैले से की गई, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते तथा बरादमगी अधिकारी के लिए कानूनन आवश्यक नहीं था कि वह अपीलार्थी की तलाशी से पूर्व अधिनियम की धारा 50 का पालना करता । अन्यथा भी पत्रावली पर विद्यमान मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से उक्त प्रावधान की निष्ठापूर्ण अनुपालना किया जाना जाहिर है । माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधिपतिगण की पीठ ने न्यायिक दृष्टांत हिमाचल राज्य **बनाम** पवन कुमार (2005) 4 एस. सी. सी. 350 वाले मामले में विस्तार से विचार कर स्पष्ट शब्दों में मत व्यक्त किया है कि अधिनियम की धारा 50 की पालना किया जाना उसी स्थिति में आवश्यक होगा जब मादक पदार्थ की बरामदगी के लिए अभियुक्त के

शरीर या उसके द्वारा पहने हुए कपड़ों व जूतों आदि की तलाशी ली जानी हो । माननीय न्यायालय के अनुसार यदि किसी बैग, ब्रीफकेस अथवा इसी तरह की अन्य वस्तु की तलाशी मादक पदार्थ की बरामदगी के लिए की जानी हो तो उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे । वर्तमान प्रकरण में क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपने हाथ में लिए हुए थैले से मादक पदार्थ की बरामदगी की गई है, ऐसी दशा में बरामदगी अधिकारी के लिए आवश्यक नहीं था कि वह तलाशी से पूर्व अपीलार्थी को मौखिक रूप से अथवा लिखित सूचना पत्र देकर धारा 50 के अधीन प्रदत्त अभियुक्त के अधिकार से अवगत करवाता । अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत विजय सिंह चन्दू भाई जड़ेजा **बनाम** गुजरात राज्य (2011) 1 एस. सी. सी. 609 वाले मामले में यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने विस्तार से विचार कर मत व्यक्त किया है कि अधिनियम की धारा आदेशात्मक है तथा इसका अनुपालन पूर्ण निष्ठा से किया जाना चाहिए तथा सारभूत पालना किया जाना ही पर्याप्त नहीं है किंतु इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न निर्धारण हेतु प्रस्तुत नहीं था कि धारा 50 के प्रावधान व्यक्तिगत तलाशी में ही लागू होंगे अथवा किसी बैग, थैले, ब्रीफकेस तथा ऐसी ही अन्य वस्तु की तलाशी लिए जाने की स्थिति में भी लागू होंगे । अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी को तथ्यों की भिन्नता के कारण किसी भी तरह से सहायक नहीं माना जा सकता । न्यायिक दृष्टांत नारकोटिक्स सैंट्रल ब्यूरो **बनाम** सुखदेव राज ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1939 वाले मामले में भी केवल इस प्रश्न पर विचार कर मत व्यक्त किया गया है कि अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों की अनुपालना किस प्रकार से की जानी चाहिए किंतु यह प्रश्न विचारणीय नहीं था कि तलाशी की किस परिस्थिति में उक्त प्रावधान लागू होगा । यह सही है कि भारत संघ **बनाम** शाह आलम और अन्य के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान लागू होना इसके बावजूद माना कि तथ्यों के अनुसार यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा अपने कंधे पर लटकाए हुए थैले से मादक पदार्थ की बरामदगी हुई किंतु हमारे मत में माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधिपतिगण द्वारा पवन कुमार के मामले में स्पष्ट शब्दों में प्रकट मत की रोशनी में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि वर्तमान प्रकरण में भी

धारा 50 के प्रावधान लागू होंगे तथा यह माना जाना चाहिए कि अपीलार्थी की व्यक्तिगत तलाशी में मादक पदार्थ की बरामदगी हुई है । यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि शाह आलम के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने मत के लिए दिलीप और अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (2007) 1 एस. सी. सी. 450 वाले मामले को आधार बनाया जबकि दिलीप वाले मामले के तथ्यों के अनुसार न केवल अभियुक्त के स्कूटर की डिक्की बल्कि उसकी व्यक्तिगत तलाशी भी मादक पदार्थ की बरामदगी के लिए की गई थी । वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्षकथन ऐसा नहीं है कि थैले के अलावा अपीलार्थी की व्यक्तिगत तलाशी भी मादक पदार्थ की बरामदगी के लिए की गई उक्त कारणवश अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दिलीप और अन्य का मामला भी तथ्यों की भिन्नता से अपीलार्थी को किसी तरह से सहायक नहीं है । दिल्ली राज्य **बनाम** राम अवतार [2011 क्रिमिनल ला रिपोर्टर (एस. सी.) 631] वाले मामले के तथ्यों के अनुसार अभियुक्त के पहने हुए कपड़ों की जेब की तलाशी में मादक पदार्थ की बरामदगी हुई थी जो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत तलाशी की श्रेणी में होने से धारा 50 लागू होगी । इसी तरह से अशोक कुमार शर्मा **बनाम** राजस्थान राज्य (2013) 2 एस. सी. सी. 67 वाले मामले में अभियुक्त की पहनी हुई पेंट की जेब से मादक पदार्थ की बरामदगी होने से माना गया कि धारा 50 की पालना किया जाना आवश्यक था । अन्यथा भी यदि तर्क हेतु यह स्वीकार किया जाए कि वर्तमान प्रकरण में भी अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान लागू होते हैं तो भी पत्रावली पर विधिमान मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से जाहिर है कि उक्त प्रावधान की निष्ठापूर्वक अनुपालना बरामदगी अधिकारी द्वारा की गई है । पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि बरामदगी अधिकारी ने तलाशी से पूर्व न केवल मौखिक रूप से अपीलार्थी को उसके इस अधिकार से अवगत करवाया कि तलाशी हेतु उसे किसी निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ले जाया जा सकता है बल्कि लिखित सूचना पत्र भी उसे उक्त अधिकार से अवगत करवाए जाने के लिए दिया तथा जब अपीलार्थी ने बरामदगी अधिकारी को ही अपनी तलाशी देने की सहमति दी तो उसे पृथक् से लेखबद्ध भी किया । अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 11 श्री रामानन्द का अपने मुख्य परीक्षण में किया गया यह कथन अखंडनीय है कि "मैंने अपीलार्थी

को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया और बताया कि आपके पास अफीम होने की विश्वसनीय सूचना है । आपकी तलाशी लेनी है । मैं रामानन्द यादव, थानाधिकारी कस्बा थाना हूं, आपकी तलाशी लेना चाहता हूं । मैंने उसको एन. डी. पी. एस. एक्ट के प्रावधानों से अवगत करवाया और धारा 50 में नोटिस दिया और कहा कि आपको अधिकार है कि आप अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष कराए जाने को स्वतंत्र हैं । अतः स्पष्ट है कि बरामदगी अधिकारी ने मौखिक रूप से भी अपीलार्थी को उक्त अधिकार से अवगत कराया था । यद्यपि अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान आदेशात्मक प्रकृति के हैं तथा इनकी अनुपालना पूर्ण निष्ठा से की जानी चाहिए तथा सारभूत अनुपालना किया जाना ही पर्याप्त नहीं है किंतु साथ ही यह स्थापित विधिक स्थिति यह भी है कि उक्त अधिकार से अभियुक्त को अवगत कराने की कोई निश्चित प्रक्रिया निर्धारित नहीं है तथा इस अधिकार से अभियुक्त को मौखिक रूप से भी अवगत कराया जा सकता है । श्री रामानन्द द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कथन किया गया है कि अपीलार्थी को प्रदर्श पी. 3 के रूप में लिखित सूचना पत्र उक्त अधिकार से अवगत कराए जाने के संबंध में दिया । साक्षी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने अपनी लिखित सहमति साक्षी द्वारा ही तलाशी लिए जाने हेतु प्रदर्श पी. 7 के रूप में दी । साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में इस संबंध में किए गए कथन को गलत माना जा सके । उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट नहीं किया है कि इन फर्दों पर उसके हस्ताक्षर किन परिस्थितियों में करवाए गए । यह सही है कि अभियोजन पक्ष का कथन है कि कार्यवाही उपरान्त अपीलार्थी को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से उक्त दोनों फर्दें बरामद हुईं किंतु उक्त फर्दें तैयार कर अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 50 के अधीन अधिकारी से अवगत करवाए जाने के तथ्य को इस आधार पर संदेहजनक नहीं माना जा सकता कि जेब से बरामद होने के बावजूद भी इन फर्दों पर सलवटें नहीं हैं क्योंकि प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में प्रश्न पूछकर बरामदगी अधिकारी से स्पष्टीकरण लेने का प्रयास नहीं किया गया । यह सही है कि उक्त फर्दें यदि अपीलार्थी द्वारा मोड़कर अपनी जेब में रखी जातीं तो इन पर मोड़े जाने की सलवटें व निशान आना

स्वाभाविक था किन्तु जब तक इस संबंध में बरामदगी अधिकारी से प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण नहीं लिया जाता अपीलार्थी को अपीलीय प्रक्रम पर यह कहने का अधिकार नहीं है कि उक्त कारणवश अभियोजन पक्ष के इस कथन को प्रमाणित नहीं माना जाना चाहिए कि तलाशी से पूर्व अपीलार्थी को उक्त अधिकार से अवगत करवा दिया था । अन्यथा भी अपीलार्थी की जेब से बरामद फर्द प्रदर्श पी. 4 सूचना पत्र अंतर्गत धारा 50 तथा फर्द प्रदर्श पी. 19 लिखित सहमति पर इन पर मोड़ कर रखने से उत्पन्न निशान व सलवटें नजर आती हैं । उक्त कथन पर इस आधार पर भी संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ही स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षीगण ने इस तथ्य सहित सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन का न्यायालय के समक्ष समर्थन नहीं किया है क्योंकि पत्रावली पर विद्यमान अन्य मैखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष के उक्त कथन की पूरी तरह से पुष्टि हुई है । अभियोजन पक्ष के उक्त कथन पर इस आधार पर भी संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि फर्द जब्ती में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी की जमा तलाशी में उक्त फर्दें बरामद हुईं । पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि अपीलार्थी से तलाशी बरामदगी की कार्यवाही सायंकाल 6 बजकर 15 मिनट पर प्रारंभ हुई व इसका समापन सायंकाल 7 बजकर 5 मिनट पर हुआ । फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 1 के अवलोकन से जाहिर है कि इसमें कार्यवाही संबंधी उन्हीं तथ्यों का हवाला है जो उक्त अवधि के मध्य सम्पादित की गई । पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि जब अपीलार्थी के पास मादक पदार्थ अपने आधिपत्य में रखने का अनुज्ञा पत्र नहीं मिला तो उसे 7 बजकर 5 मिनट पर गिरफ्तार किया गया तथा इसके उपरांत उसकी जमा तलाशी ली गई तो उक्त फर्दें बरामद हुईं, ऐसी दशा में यह तथ्य कतई असंगत एवं महत्वहीन है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 1 के उक्त फर्दों की बरामदगी के तथ्यों का उल्लेख नहीं है जबकि तलाशी व बरामदगी से संबंधित अन्य सभी तथ्यों का इसमें विस्तार से उल्लेख किया गया है ।

3. बरामदगी अधिकारी अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 11 श्री रामानन्द यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि थाने पर इस प्रकरण की एफ. आई. आर. उसने चाक की थी । सभी फर्दों में लाल स्याही से मुकदमा नम्बर भी अंकित किए थे । इस तरह से स्पष्ट है कि घटनास्थल पर तैयार की गई फर्दों पर लाल स्याही से

प्रथम सूचना का अंकन बरामदगी अधिकारी ने कार्यवाही उपरांत थाने पर आकर प्रथम सूचना पंजीबद्ध कर किया । उल्लेखनीय है कि साक्षी को प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि इन फर्दों पर घटनास्थल पर ही प्रथम सूचना का अंकन कर लिया था या ये फर्दें थाने पर आकर तैयार की गईं । साक्षी के उक्त कथन की रोशनी में अपीलार्थी की ओर से किया गया यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि घटनास्थल पर तथाकथित रूप से तैयार की गई फर्दों पर भी प्रथम सूचना का अंकन होने से यह माना जाना चाहिए कि इन्हें वास्तव में घटनास्थल पर तैयार नहीं किया गया बल्कि थाने पर आकर पहले प्रथम सूचना पंजीबद्ध की गई तथा उसके बाद इन फर्दों को तैयार किया गया तथा साथ ही प्रथम सूचना का अंकन भी इन पर कर दिया गया ।

4. यद्यपि दोनों ही निष्पक्ष व स्वतंत्र साक्षीगण ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है तथा उन्हें अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया किंतु बरामदगी अधिकारी एवं घटनास्थल पर उपस्थित अन्य पुलिस कर्मी जिनके कथन विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध करवाए गए हैं तथा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य से संदेह से परे प्रमाणित है कि घटना तिथि समय तथा स्थान पर जब अपीलार्थी की तलाशी ली गई तो उसके आधिपत्य से मादक पदार्थ अफीम बरामद हुई । बरामदगी अधिकारी पी. डब्ल्यू. 11 श्री रामानन्द के अलावा पी. डब्ल्यू. 1 श्री शम्भू दयाल, पी. डब्ल्यू. 4 ओम प्रकाश व पी. डब्ल्यू. 5 हेमन्त कुमार ने भी अभियोजन पक्षकथन का पूर्ण रूप से समर्थन किया है । इन साक्षीगण के कथनों में ऐसा कोई विरोधाभास, विसंगतियां एवं असंगतियां नहीं हैं जिससे उनके कथनों पर विश्वास न किया जा सके । इनके कथनों पर इस आधार पर भी अविश्वास नहीं किया जा सकता कि ये पुलिस अधिकारी अथवा पुलिस कर्मचारी हैं । विधि की सुस्थापित स्थिति है कि किसी साक्षी के कथन को मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह पुलिस अधिकारी अथवा पुलिस कर्मचारी है । यदि न्यायालय द्वारा ऐसे साक्षी का कथन भी विश्वास योग्य पाया जाता है तो इसके आधार पर भी अभियुक्त को आपराधिक घटना के लिए दोषी ठहराया जा सकता है । वर्तमान प्रकरण में उक्त मौखिक साक्ष्य की पुष्टि के लिए प्रलेखीय साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है । अधिवक्ता अपीलार्थी ऐसे किन्हीं विरोधाभासों, असंगतियों एवं विसंगतियों की ओर हमारा

ध्यान आकर्षित करने में विफल रहे हैं जिन्हें महत्वपूर्ण एवं सारभूत श्रेणी में होना माना जा सके ।

5. पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि अधिनियम की धारा 57 की अनुपालना नहीं की गई । यद्यपि यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त प्रावधान के अधीन तैयार रिपोर्ट ले जाने वाले पुलिस कर्मचारी ने जिला पुलिस अधीक्षक स्वयं को व्यक्तिगत रूप से नहीं देकर उनके रीडर को दी किंतु पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा उन्होंने रिपोर्ट की प्रतिलिपि पर प्राप्ति के हस्ताक्षर किए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत सजन अब्राहिम **बनाम** केरल राज्य (2001) 6 एस. सी. सी. 692 वाले मामले में मत व्यक्त किया है कि अधिनियम की धारा 57 आदेशात्मक नहीं है तथा यदि इसकी पालना सारभूत रूप से भी की गई है तो पर्याप्त है । धारा 57 के अवलोकन से प्रकट है कि बरामदगी अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह कार्यवाही उपरांत रिपोर्ट तैयार करे तथा इसकी प्रति निर्धारित अवधि में अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित करे । इस तरह से रिपोर्ट तैयार कर उसका प्रेषित किया जाना ही आवश्यक है । उक्त प्रावधान से यह जाहिर नहीं है कि जिस पुलिस कर्मचारी के माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित की गई है, वह इसे उच्चाधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करे । उक्त रिपोर्ट प्रेषित करने का उद्देश्य केवल यह है कि बरामदगी अधिकारी द्वारा मादक पदार्थ की बरामदगी के संबंध में की गई कार्यवाही से उच्च पुलिस अधिकारी को अवगत करवाया जा सके । ऐसी सूरत में केवल इस आधार पर उक्त प्रावधान का उल्लघंन होना नहीं माना जा सकता कि रिपोर्ट ले जाने वाले पुलिस कर्मचारी ने व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक को नहीं सम्भलाई । अन्यथा भी अपीलार्थी स्पष्ट नहीं कर सका है कि उक्त प्रावधान की पूर्ण रूप से पालना न होने से उसका विधिक अधिकार किसी प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है ।

6. यह सही है कि घटना तिथि दिनांक 23 जुलाई, 2004 को ही अपीलार्थी तथा उसकी धर्म पत्नी श्रीमती पार्वती बाई के विरुद्ध पुलिस थाना केलवाड़ा में प्रथम सूचना सं. 101/2004 अधिनियम की धारा 8/18 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए इस आधार पर पंजीबद्ध की गई कि अपीलार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य के रिहायशी मकान

से उसकी पत्नी की उपस्थिति में 250 ग्राम अफीम सायंकाल 6.00 बजे बरामद हुई किंतु केवल इस कारण यह नहीं माना जा सकता कि वर्तमान प्रकरण में की गई मादक पदार्थ की बरामदगी असत्य है । यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी के मकान से तथाकथित बरामदगी के समय अपीलार्थी उपस्थित नहीं था । अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रक्रम पर इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया है कि दिनांक 23 जुलाई, 2004 को उसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकट किए गए घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया । हमारे मत में एक ही दिन अपीलार्थी के उक्त प्रकार से एवं रिहायशी मकान से मादक पदार्थ अफीम की बरामदगी इस तथ्य का संकेत है कि अपीलार्थी सक्रिय रूप से मादक पदार्थ के संव्यवहार में लिप्त है । घटना की तारीख को सायंकाल 6.00 बजे रिहायशी मकान से मादक पदार्थ की बरामदगी का अर्थ है कि बरामद मादक पदार्थ बरामदगी समय से पूर्व किसी समय मकान में लाकर रखा गया था, ऐसी सूरत में अन्य सूचना के आधार पर वर्तमान प्रकरण में सायंकाल 6 बजकर 15 मिनट पर अपीलार्थी से अन्य स्थान से की गई मादक पदार्थ की बरामदगी को अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता है । यद्यपि अपीलार्थी ने यह कहने का प्रयास किया है कि पुलिस थाने में पदस्थापित कांस्टेबल श्री शम्भू दयाल से पूर्व रंजिश के कारण उसे इस मामले में गलत रूप से लिप्त किया गया है किंतु अपीलार्थी के इस कथन का खंडन अभियोजन साक्षी द्वारा किया गया । अपीलार्थी पर दायित्व था कि वह पर्याप्त व समुचित साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने उक्त कथन की पुष्टि करता किंतु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका, ऐसी सूरत में केवल अपीलार्थी के उक्त कथन का कोई महत्व नहीं है । अभियोजन पक्षकथन पर इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता कि वर्तमान प्रकरण में अनुसंधान अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 12 ताराचन्द द्वारा किया गया जो तत्समय पुलिस थाना केलवाड़ा पर थानाधिकारी के रूप में पदस्थापित था तथा उसने ही अपीलार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य के रिहायशी मकान से मादक पदार्थ अफीम की पृथक् से बरामदगी की थी । पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि इस प्रकरण से संबंधित प्रथम सूचना पंजीबद्ध होने के उपरांत जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश की अनुपालना में अनुसंधान श्री ताराचन्द को सम्भलाया गया । उक्त अन्य प्रकरण में श्री ताराचन्द ने मुखबिर से तथाकथित रूप से प्राप्त सूचना के आधार पर तलाशी व बरामदगी अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर मादक पदार्थ की बरामदगी की है जबकि वर्तमान प्रकरण में तलाशी व बरामदगी की कार्यवाही पूर्ण

होने तथा प्रथम सूचना पंजीबद्ध होने के उपरांत शेष रहा औपचारिक अनुसंधान ही उसने सम्पादित किया है । साक्षी के लिए आवश्यक नहीं था कि वह उच्च पुलिस अधिकारी को इस आशय का निर्वहन करता कि अनुसंधान किसी अन्य पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया जाए या वह अनुसंधान के दौरान इस प्रकरण के तैयार प्रलेखों में इस तथ्य का उल्लेख करता कि उसने अपीलार्थी के रिहायशी मकान से घटना तिथि को मादक पदार्थ अफीम की बरामदगी की थी । अपीलार्थी के आधिपत्य से बरामद मादक पदार्थ अफीम की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए यह संभव नहीं है कि इसे पुलिस द्वारा plant किया गया है ।

8. उक्त समस्त विवेचन से जाहिर है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत कोई भी तर्क विधिसम्मत न होने से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और न ही इन आधारों पर अभियोजन पक्षकथन पर संदेह कर उसे अस्वीकार किया जा सकता है । योग्य विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, संबंधित विधिक प्रावधानों तथा विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार कर कारण अभिलिखित कर अपीलाधीन निर्णय व दंडादेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई कारण नहीं है । पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से जाहिर है कि दिनांक 23 जुलाई, 2004 को सांयकाल अपीलार्थी की तलाशी ली गई तो उसके हाथ में लटका कर रखे गए थैले में मादक पदार्थ अफीम जिसकी मात्रा वाणिज्य मात्रा से कहीं अधिक थी बिना वैध अनुज्ञा पत्र अथवा परमिट के बरामद हुई । बरामद मादक पदार्थ वाणिज्य मात्रा से अधिक होने से विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश को भी अनुचित व गलत नहीं माना जा सकता ।

9. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 27 जून, 2007 में किसी तरह की अवैधता, त्रुटि एवं अनियमितता नहीं पाते हैं । अतः अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

संसद् के अधिनियम

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 35)

[26 अगस्त, 2009]

छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "समुचित सरकार" से, –

(i) केन्द्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें कोई विधान-मंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में, केन्द्रीय सरकार ;

(ii) उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न, –

(क) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में, राज्य सरकार ;

(ख) विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार,

अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रति व्यक्ति फीस" से विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय अथवा संदाय अभिप्रेत है ;

(ग) "बालक" से छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है ;

(घ) "अलाभित समूह का बालक" से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण, जो समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए, अलाभित ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है ;

(ङ) "दुर्बल वर्ग का बालक" से ऐसे माता-पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है, जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है ;

(च) "प्रारंभिक शिक्षा" से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है ;

(छ) किसी बालक के संबंध में "संरक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देखरेख और अभिरक्षा में वह बालक है और इसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक भी है ;

(ज) "स्थानीय प्राधिकारी" से कोई नगर निगम या नगर परिषद् या जिला परिषद् या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला किसी नगर, शहर या ग्राम में किसी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय भी है ;

(झ) "राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग" से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है ;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ट) "माता-पिता" से किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता या माता अभिप्रेत है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ढ) "विद्यालय" से प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यताप्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय ;

(ii) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायताप्राप्त विद्यालय ;

(iii) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय ; और

(iv) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर-सहायताप्राप्त विद्यालय ;

(ण) "अनुवीक्षण प्रक्रिया" से किसी अनिश्चित पद्धति से भिन्न दूसरों पर अधिमानता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है ;

(त) किसी विद्यालय के संबंध में "विनिर्दिष्ट प्रवर्ग" से, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय के रूप में ज्ञात कोई विद्यालय या किसी सुभिन्न लक्षण वाला ऐसा अन्य विद्यालय अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(थ) "राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग" से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

3. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार – (1) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आस-पास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभार या व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा, जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवारित करे :

परंतु निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (झ) में यथापरिभाषित नि:शक्तता से ग्रस्त किसी बालक को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

4. ऐसे बालकों, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, के लिए विशेष उपबंध – जहां छह वर्ष से अधिक की आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा :

परंतु जहां किसी बालक को, उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहां उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो विहित की जाए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा :

परंतु यह और कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई बालक, चौदह वर्ष की आयु के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क शिक्षा का हकदार होगा ।

5. अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार – (1) जहां किसी विद्यालय में, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है वहां किसी बालक को, धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में, स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा ।

(2) जहां किसी बालक से किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसे बालक को धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में, स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा ।

(3) ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भारसाधक, जहां ऐसे बालक को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था, तुरंत स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब, ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए विलंब करने या प्रवेश से इनकार करने के लिए आधार नहीं होगा :

परंतु यह और कि स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब करने वाले विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भारसाधक, उसको लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होगा/होगी ।

अध्याय 3

समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता-पिता के कर्तव्य

6. समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य – इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र या आस-पास की ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, जहां विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय स्थापित करेंगे ।

7. वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना – (1) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के प्राक्कलन तैयार करेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय का ऐसा प्रतिशत उपलब्ध कराएगी, जैसा वह, समय-समय पर राज्य सरकारों के परामर्श से अवधारित करे ।

(4) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (घ) के अधीन राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता की परीक्षा करने के लिए वित्त आयोग को निर्देश देने का अनुरोध कर सकेगी, ताकि उक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियों का अपना अंश प्रदान कर सके ।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई राशियों और उसके अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार,–

(क) धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा विकसित करेगी ;

(ख) शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी ;

(ग) नवीकरण, अनुसंधान, योजना और क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी ।

8. समुचित सरकार के कर्तव्य – समुचित सरकार,–

(क) प्रत्येक बालक को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी :

परंतु जहां किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां ऐसा बालक या, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण – "अनिवार्य शिक्षा" पद से समुचित सरकार की, –

(i) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने ; और

(ii) छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की,

बाध्यता अभिप्रेत है ;

(ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आस-पास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित न हों ;

(घ) अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारिवृंद और शिक्षा के उपस्कर भी हैं, उपलब्ध कराएगी ;

(ङ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी ;

(च) प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मानीटर करेगी ;

(छ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगी ;

(ज) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगी ; और

(झ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी ।

9. स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य – प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, –

(क) प्रत्येक बालक को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा :

परन्तु जहां किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित विद्यालय

से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां ऐसा बालक या, यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा ;

(ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आस-पास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित न हों ;

(घ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिलेख रखेगा ;

(ङ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मानीटर करेगा ;

(च) अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारिवृन्द और शिक्षा सामग्री भी है, उपलब्ध कराएगा ;

(छ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा ;

(ज) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगा ;

(झ) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगा ;

(ञ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा ;

(ट) प्रवासी कुटुंबों के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा ;

(ठ) अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालयों के कार्यकरण को मानीटर करेगा ; और

(ड) शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करेगा ।

10. माता-पिता और संरक्षक का कर्तव्य – प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आस-पास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए ।

11. समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना – प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए, जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए नि:शुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी ।

अध्याय 4
विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

12. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा – (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, –

(क) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रविष्ट सभी बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा ;

(ख) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रवेश कराए गए बालकों के ऐसे अनुपात को, जो इस प्रकार प्राप्त उसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का उसके वार्षिक आवर्ती व्यय से है, न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन रहते हुए नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा ;

(ग) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में, आस-पास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि जहां धारा 2 के खंड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहां खंड (क) से खंड (ग) के

उपबंध ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने वाले धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय की, उसके द्वारा इस प्रकार उपगत व्यय की, राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिपूर्ति की जाएगी :

परन्तु ऐसी प्रतिपूर्ति धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा विद्यालय उसके द्वारा कोई भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाएं, या तो नि:शुल्क या रियायती दर पर, प्राप्त करने के कारण पहले से ही विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता के अधीन है, वहां ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा ।

(3) प्रत्येक विद्यालय ऐसी जानकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा ।

13. प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना – (1) कोई विद्यालय या व्यक्ति, किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संगृहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा ।

(2) कोई विद्यालय या व्यक्ति, यदि उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में, –

(क) प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से, जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस के दस गुना तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

(ख) किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो वह जुर्माने से, जो पहले उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपए तक और प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

14. प्रवेश के लिए आयु का सबूत – (1) प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर या ऐसे अन्य दस्तावेज के आधार पर, जो विहित किया जाए, अवधारित की जाएगी ।

(2) किसी बालक को, आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा ।

15. प्रवेश से इनकार न किया जाना – किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा :

परंतु किसी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात् ईप्सित है :

परंतु यह और कि विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेश प्राप्त कोई बालक ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अपना अध्ययन पूरा करेगा ।

16. रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध – किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा ।

17. बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध – (1) किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा ।

18. मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना – (1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, ऐसे प्राधिकारी से, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, मान्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु किसी विद्यालय को ऐसी मान्यता तब तक अनुदत्त नहीं की जाएगी जब तक वह धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है ।

(3) मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर, विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, मान्यता वापस ले लेगा :

परंतु ऐसे आदेश में आस-पास के उस विद्यालय के बारे में निदेश होगा जिसमें गैर-मान्यताप्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों को प्रवेश दिया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसी मान्यता को ऐसे विद्यालय को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा ।

(4) ऐसा विद्यालय, उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा ।

(5) कोई व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात् विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

19. विद्यालय के मान और मानक – (1) किसी विद्यालय को, धारा 18 के अधीन तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा, या मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है ।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है, वहां वह ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा ।

(3) जहां कोई विद्यालय, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान और मानकों को पूरा करने में असफल रहता है, वहां धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय को अनुदत्त मान्यता को उसकी उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वापस ले लेगा ।

(4) कोई विद्यालय उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा ।

(5) कोई व्यक्ति, जो मान्यता वापस लेने के पश्चात् कोई विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए के जुर्माने का दायी होगा ।

20. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति – केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का, उसमें किसी मान या मानक को जोड़कर या उससे उसका लोप करके संशोधन कर सकेगी ।

21. विद्यालय प्रबंध समिति – (1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा :

परंतु ऐसी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे :

परंतु यह और कि अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य स्त्रियां होंगी ।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :–

(क) विद्यालय के कार्यकरण को मानीटर करना ;

(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना ;

(ग) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मानीटर करना ; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

22. विद्यालय विकास योजना – (1) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई विद्यालय विकास योजना, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी ।

23. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें – (1) कोई व्यक्ति, जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(2) जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा ।

(3) शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

24. शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना – (1) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन ;

(ख) धारा 29 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम

संचालित करना और उसे पूरा करना ;

(ग) विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना ;

(घ) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना ;

(ङ) माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना ; और

(च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में व्यतिक्रम करने वाला/वाली कोई शिक्षक/शिक्षिका, उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होगा/होगी :

परंतु ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे शिक्षक/ऐसी शिक्षिका को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(3) शिक्षक की शिकायतों को, यदि कोई हों, ऐसी रीति में दूर किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

25. छात्र-शिक्षक अनुपात – (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाए रखा जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के लिए, किसी विद्यालय में तैनात किए गए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय या कार्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी या धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा ।

26. शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना – नियुक्ति प्राधिकारी, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा भागत: वित्तपोषित किसी विद्यालय के संबंध में

यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

27. गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध – किसी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान-मंडलों या संसद् के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा ।

28. शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध – कोई शिक्षक/शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा/लगाएगी ।

अध्याय 5

प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना

29. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया – (1) प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी ।

(2) शिक्षा प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :–

(क) संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता ;

(ख) बालक का सर्वांगीण विकास ;

(ग) बालक के ज्ञान, अन्त:शक्ति, योग्यता का निर्माण करना ;

(घ) पूर्णतम मात्रा तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास ;

(ङ) बाल अनुकूल और बालकेन्द्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण ;

(च) शिक्षा का माध्यम, जहां तक साध्य हो बालक की मातृभाषा में होगा ;

(छ) बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिन्तामुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना ;

(ज) बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन ।

30. परीक्षा और समापन प्रमाणपत्र – (1) किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(2) प्रत्येक बालक को, जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा ।

अध्याय 6

बालकों के अधिकार का संरक्षण

31. बालक के शिक्षा के अधिकार को मानिटर करना – (1) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की, यथास्थिति, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, उस अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना ;

(ख) नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना ; और

(ग) उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 के अधीन यथाउपबंधित आवश्यक उपाय करना ।

(2) उक्त आयोगों को, उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वही शक्तियां होंगी, जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमश: धारा 14 और धारा 24 के अधीन उन्हें समनुदेशित की गई हैं ।

(3) जहां किसी राज्य में, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है वहां समुचित सरकार उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए ऐसी

रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकेगी ।

32. शिकायतों को दूर करना – (1) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा ।

(3) स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग को या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन की गई अपील का विनिश्चय धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा उपबंधित, यथास्थिति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन निहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

33. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पंद्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी ।

(2) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के कृत्य अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना, होंगे ।

(3) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

34. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पन्द्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी ।

(2) राज्य सलाहकार परिषद् के कृत्य अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना होंगे ।

(3) राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

35. निदेश जारी करने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे ।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में, स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय प्रबंध समिति को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी और ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

(3) स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

36. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी – धारा 13 की उपधारा (2), धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

37. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

38. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) समुचित सरकार, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 4 के पहले परंतुक के अधीन विशेष प्रशिक्षण देने की रीति और उसकी समय-सीमा ;

(ख) धारा 6 के अधीन किसी आस-पास के विद्यालय की स्थापना के लिए क्षेत्र या सीमाएं ;

(ग) धारा 9 के खंड (घ) के अधीन चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के अभिलेख रखे जाने की रीति ;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन व्यय की प्रतिपूर्ति की रीति और सीमा ;

(ङ) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन बालक की आयु का अवधारण करने हेतु कोई अन्य दस्तावेज ;

(च) धारा 15 के अधीन प्रवेश लेने के लिए विस्तारित अवधि और यदि विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेश लिया जाता है तो अध्ययन पूरा करने की रीति ;

(छ) वह प्राधिकारी, प्ररूप और रीति, जिसको और जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जाएगा ;

(ज) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र का प्ररूप, अवधि, उसे जारी करने की रीति और शर्तें ;

(झ) धारा 18 की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने की रीति ;

(ञ) धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(ट) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन विद्यालय विकास योजना तैयार करने की रीति ;

(ठ) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन शिक्षक द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्य ;

(ढ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षकों की शिकायतों को दूर करने की रीति ;

(ण) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रमाणपत्र देने का प्ररूप और रीति ;

(त) धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण, उसके गठन की रीति और उसके निबंधन और शर्तें ;

(थ) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(द) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 20 और धारा 23 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाया/बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी । किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या अधिसूचना बनाए/बनाई जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी ।

अनुसूची
(धारा 19 और धारा 25 देखिए)
विद्यालय के लिए मान और मानक

क्र. सं.	मद	मान और मानक	
1.	शिक्षकों की संख्या : (क) पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए	प्रवेश किए गए बालक	शिक्षकों की संख्या
		साठ तक	दो
		इकसठ से नब्बे के मध्य	तीन
		इक्यानवे और एक सौ बीस के मध्य	चार
		एक सौ इक्कीस और दो सौ के मध्य	पांच
		एक सौ पचास बालकों से अधिक	पांच धन एक प्रधान अध्यापक
		दौ सौ बालकों से अधिक	छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) चालीस से अधिक नहीं होगा ।
	(ख) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	(1) कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो – (i) विज्ञान और गणित ; (ii) सामाजिक अध्ययन ; (iii) भाषा । (2) प्रत्येक पैंतीस बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक । (3) जहां एक सौ से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां – (i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक ; (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक – (अ) कला शिक्षा ; (आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा ; (इ) कार्य शिक्षा ।	

2.	भवन	सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे – (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय-सह-भंडार-सह प्रधान अध्यापक कक्ष ; (ii) बाधा मुक्त पहुंच ; (iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् शौचालय ; (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल सुविधा ; (v) जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है, वहां एक रसोई ; (vi) खेल का मैदान ; (vii) सीमा दीवाल या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं ।
3.	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(i) पहली से पांचवीं कक्षा के लिए दो सौ कार्य दिवस ; (ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए दो सौ बीस कार्य दिवस ; (iii) पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष आठ सौ शिक्षण घंटे ; (iv) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष एक हजार शिक्षण घंटे ।
4.	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या	पैंतालीस शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं ।
5.	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे ।
6.	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचारपत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी ।
7.	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे ।

———